के वि वि आयोग
CERC

वार्षिक रिपोर्ट

2024-25

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

के वि वि आयोग
CERC

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
नौरोजी नगर, नई दिल्ली–110029
दूरभाष : +91 11 26189709
https://www.cercind.gov.in

अध्यक्षीय वक्तव्य

वर्ष 2024–25 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) के लिए एक निर्णायक अवधि रही है, जो रणनीतिक पहलों और व्यापक विनियामक सुधारों द्वारा चिन्हित है, और जिसने भारत के विद्युत क्षेत्र को सुदृढ़ किया और राष्ट्रीय ऊर्जा लक्ष्यों को आगे बढ़ाया। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2024 का आरंभ वर्ष 2024–29 की नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ संचालन में आधारस्तंभ के रूप में है। इन विनियमों में जोखिम मूल्यांकनों पर आधारित उत्पादन और पारेषण खंडों में विवेकपूर्ण व्यय मान्यता तंत्र और पुनरीक्षित इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) शामिल हैं। उल्लेखनीय रूप से, हाइड्रो परियोजनाओं के लिए नवोन्मेषी प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं जिनमें रन–ऑफ–रिवर और पम्प्ड भंडारण शामिल हैं।

आयोग ने भारत के पावर बाजार के पारदर्शी विकास को प्राथमिकता दी। विनियामक कदमों में पावर बाजार डिज़ाइन में प्रस्तावित संशोधन और वर्चुअल विद्युत क्रय करारों (वीपीपीए) के लिए संरचनागत तंत्र शामिल हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य बाजार में तरलता, प्रतिस्पर्धा, और लचीलेपने में संवर्धन करना था, जिससे क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों को अधिक अवसर मिल सकें और संव्यवहार जोखिम–मुक्त हो सके।

केविविआ ने संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच (जीएनए) में ड्राफ्ट तृतीय संशोधन जारी किया, जिसमें पारेषण आस्तियों की उपयोग में सुधार करने और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने, बैंक गारंटी आवश्यकताओं को युक्तिसंगत करने, और विकासकर्ताओं द्वारा शीघ्र निर्णय को प्रोत्साहित करने के लिए सौर और गैर–सौर घंटों में पहुंच को पुनः परिभाषित किया गया है। आयोग के कार्य ने नेटवर्क लागतों की समतापूर्ण शेयरिंग सुनिश्चित की और अंतर–राज्यिक ग्रिड से नई परियोजनाओं के संयोजन को तेज़ किया।

इस वर्ष भारत ने संस्थापित नवीकरणीय क्षमता में 175 जीडब्ल्यू को पार किया – यह उपलब्धि केविविआ के अभिनव विनियामक समाधानों, अनुपालन, प्रतिबद्ध इकाइयों के लिए वैकल्पिक रूप प्रदान करने और इस प्रकार द्वारा बाजार के लचीलेपन को बढ़ाने से समर्थित है। आयोग ने हाइब्रिड और एकीकृत भंडारण परियोजनाओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) तंत्रों और परिष्कृत मानकों में नए संशोधनों को भी अधिसूचित किया।

केविविआ ने कई ऐतिहासिक याचिकाओं का न्यायनिर्णयन किया जिसमें निवेश का समर्थन करते हुए उपभोक्ता हितों की रक्षा की, बाजार प्रथाओं को स्पष्ट किया और क्षेत्रीय जवाबदेही को बढ़ावा दिया। आयोग ने विचलन प्रभारों, लंबे समय से लंबित पारेषण लागत विवादों, और विचलन व्यवस्थापन तंत्र के अधीन निरंतर चूक के मामलों के समाधान में शीघ्रता की। सभी कार्यवाहियाँ पारदर्शिता और कठोरता के साथ आयोजित की गईं, जिससे बाजार का विश्वास और निवेशक सुरक्षा सुदृढ़ हुए।

डिजिटल परिवर्तन को अपनाते हुए, आयोग ने समुन्नत याचिका दायर करने और निगरानी प्रणालियों के साथ अपनी ई–गवर्नेंस क्षमताओं को बढ़ाया। व्यापक जन सुनवाइयों, ड्राफ्ट विनियमों पर परामर्शों, और जुड़ाव मंचों के माध्यम से हितधारक सहभागिता को बढ़ावा दिया गया। इसका संचयी प्रभाव एक समावेशी, अनुक्रियाशील, और सुविज्ञ विनियामक प्रक्रिया के रूप में सामने आया है। परियोजना लागत समीक्षाओं और निवेश अनुमोदनों में विवेकपूर्ण वित्तीय पर्यवेक्षण किया गया – जिससे लागत नियंत्रण के साथ अवसंरचना विकास संतुलित हुआ। आयोग ने व्यय दक्षताओं की कड़ी निगरानी की, जिससे अनुमोदित बजट और समय–सीमाओं के भीतर ग्रिड उन्नयन और आस्ति विस्तार संभव हो सका।

भावी परिकल्पना

चूंकि आयोग लागत इष्तमीकरण की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखता है, निवल–शून्य और ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए विश्वसनीय ग्रिड सुनिश्चित करता है, वर्ष 2024–25 में प्रस्तुत की गई रणनीतियाँ आगे के सुधार हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य

करती हैं। विनियमन में नवोन्मेष, मजबूत न्यायनिर्णयन, और हितधारक प्रतिक्रिया ने एक आधुनिक, लचीली, और गतिशील विद्युत प्रणाली की नींव तैयार की है। सभी क्षेत्र के सहभागियों के दृढ़ सहयोग और दृष्टिकोण भारत के ऊर्जा भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के ओर से, वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 को प्रस्तुत करना सौभाग्य की बात है – जो हमारी उपलब्धियों, विनियामक नेतृत्व, और क्षेत्रीय दृष्टिकोण का व्यापक विवरण है।

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत।
क्षुरासन्नधारा निशिता दुरत्यद्दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति॥"

उठो, जागो और उच्चतम लक्ष्यों की खोज करो, क्योंकि बुद्धिमान लोग कहते हैं कि मार्ग, यद्यपि छुरे की धार के समान तीक्ष्ण और कठिन है, फिर भी निरंतर प्रयास से सच्ची उपलब्धियों तक ले जाता है।

अध्यक्ष

विषय सूची

आयोग 11

मिशन विवरण 15

अध्यक्ष एवं सदस्यों का संक्षिप्त विवरण 19

पूर्व वर्षः एक अवलोकन 29

विनियामक क्रियाविधि और प्रक्रिया 39

वर्ष 2024–25 के दौरान गतिविधिया 43

- विधिक कार्यवाहियाँ 45
- वर्ष 2024–25 में जारी प्रमुख निर्णय/विनियम 45
- प्रमुख वैचारिक और विनियामक विकास 52
- थर्मल उत्पादन 55
- हाइड्रो उत्पादन 56
- वर्ष 2024–25 के दौरान केविविआ द्वारा अधिसूचित विनियम/विस्तृत क्रियाविधि 58
- नवीकरणीय ऊर्जा 56
- वर्ष 2024–25 के दौरान अन्य गतिविधियाँ 63

उपभोक्ताओं के हितों तथा क्षेत्र के विकास के संदर्भ में विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कष 69

वर्ष 2024–25 के दौरान जारी की गई अधिसूचनाए 73

वर्ष 2025–26 के लिए कार्यसूची 77

लेखाओं का वार्षिक विवरण 81

आयोग का मानव संसाधन 85

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 89

अनुबंध

- अनुबंध–I 95
- अनुबंध–II 116
- अनुबंध–III 119
- अनुबंध–IV 120
- अनुबंध–V 120
- अनुबंध– VI 121
- अनुबंध–VII 124
- अनुबंध–VIII 127
- अनुबंध–IX 129
- अनुबंध–X 135
- अनुबंध–XI 136
- अनुबंध–XII 146

संक्षेप अक्षरों की सूची

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
एबीटी	उपलब्धता आधारित टैरिफ
एसीपी	क्षेत्रीय क्लीयरिंग कीमत
एडीएमएस	स्वचालित मांग प्रबंधन योजना
एईआरए	एयरपोर्ट आर्थिक विनियामक अधिकरण
एजीसी	स्वतः उत्पादन नियंत्रण
एपीपीसी	औसत पूल क्रय लागत
एपीटीईएल / एटीई	विद्युत का अपीलीय न्यायाधीकरण
एटीएस	संबद्ध पारेषण प्रणाली
एयूएफआर	फ्रीक्वेंसी रिले
बीसीडी	बिलिंग, वसूली और संवितरण (प्रक्रिया)
बीईई	ऊर्जा कुशलता ब्यूरों
बीपीटीए	बल्क विद्युत पारेषण करार
ब्रिक्स	बाज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका
बीयू	बिलियन यूनिट
सीएसी	केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति
सीबीटीई	विद्युत का सीमा–पार व्यापार
सीसीजीटी	समन्वित साईकिल गैस टर्बाइन
सीसीआई	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीईए	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीईएम	मंत्री स्तरीय स्वच्छ ऊर्जा (शिखर सम्मेलन)
सीईआरसी	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
सीजीए	महालेखा नियंत्रक
सीजीपी	केप्टिव उत्पादन संयंत्र
सीआईजीआरई	बड़ी विद्युत प्रणालियों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिषद्
सीआईएल	कोयला इंडिया लि.
सीओडी	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
सीपीआरआई	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान
सीपीएसयू	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
सीटीयू	केन्द्रीय पारेषण कंपनी
डीएएम	डे अहेड मार्केट

डीईईपी	कुशल विद्युत कीमत डिस्कवरी
डीआईसी	पदनामित आईएसटीएस ग्राहक
डिस्कॉम	वितरण कंपनी
डीएसएम	विचलन व्यवस्थापन तंत्र या मांग पक्ष प्रबंधन
डीवीसी	दामोदर घाटी निगम
ईए	विद्युत अधिनियम
ईआर	पूर्वी क्षेत्र
ईआरसी	विद्युत विनियामक आयोग
ईआरएलडीसी	पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
ईआरपीसी	पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति
एफजीएमओ	फ्री गवर्नर मोड प्रचालन
एफआई	वित्तीय संस्था
एफओआईआर	भारतीय विनियामक फोरम
एफओआर	विनियामक फोरम
एफएसए	ईंधन आपूर्ति करार
जीसीवी	सकल क्लोरिफिक मूल्य
जीएफए	सकल नियत आस्तियां
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीओआई	भारत सरकार
जीपीएस	गैस विद्युत केन्द्र
जीएसईएस	ग्रिड सुरक्षा विशेषज्ञ प्रणाली
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
जीडब्ल्यू	गीगा वाट
एचईपी	हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना
एचपीएस	हाइड्रो विद्युत केन्द्र
एचवीडीसी	उच्च वोल्टता प्रत्यक्ष करंट
आईसी	स्थापित क्षमता
आईडीसी	निर्माण के दौरान हित
आईईजीसी	भारतीय विद्युत ग्रिड कोड
आईईएक्स	भारतीय ऊर्जा विनिमय
आईपीपी	स्वतंत्र क्रय उत्पादक
आईएसजीएस	अंतर–राज्यिक उत्पादन प्रणाली

आईएसटीएस	अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली
जेईआरसी	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
जेएनएनएसएम	जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन
जेवी	संयुक्त उद्यम
केवी	किलो वॉल्ट
केडब्ल्यू	किलोवाट
केडब्ल्यूएच	किलावोट घंटा
एलसी/एलओसी	साख–पत्र
एलडीसी	भार प्रेषण केन्द्र
लीलो	लूप इन लूप आउट
एलटीए	दीर्घकालिक पहुंच
एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर
एमबीईडी	बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण
एमसीपी	बाजार समाशोधन कीमत
एमएमसी	बाजार मानिटरिंग कक्ष
एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमओपी	विद्युत मंत्रालय
एमटीओए	मध्यकालिक निर्बाध पहुँच
एमयू	मिलियन यूनिट
एमडब्ल्यू	मेगावाट
एमवाईटी	बहुवर्ष टैरिफ
एनडीसी	राष्ट्रीय विकास परिषद
नीपको	उत्तर–पूर्वी विद्युत ऊर्जा कंपनी
एनईपी	राष्ट्रीय विद्युत योजना या राष्ट्रीय विद्युत नीति
एनईआर	उत्तर–पूर्वी क्षेत्र
एनईआरएलडीसी	उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
एनईआरपीसी	उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति
एनएचपीसी	राष्ट्रीय हाईड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा निगम
एनएलसी	नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन
एनएलडीसी	राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र
एनपीसी	राष्ट्रीय विद्युत समिति
एनआर	उत्तर क्षेत्र

एनआरएलडीसी	उत्तर क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
एनआरपीसी	उत्तर क्षेत्र विद्युत समिति
एनटीपी	राष्ट्रीय टैरिफ नीति
एनटीपीसी	राष्ट्रीय थर्मल पावर कार्पोरेशन
एनवीवीएन	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि.
ओएंडएम	प्रचालन तथा रखरखाव
ओसीसी	प्रचालन समन्वय समिति
ओसीजीटी	निर्बाध चक्र गैस टर्बाइन
ओपेक्स	प्रचालन व्यय
ओटीसी	ओवर दि काउंटर
पीएएफ	संयंत्र उपलब्धता घटक
पीजीसीआईएल	पावर ग्रिड कार्पोरेशन इंडिया लि
पीएलएफ	संयंत्र भार घटक
पीएमआर	विद्युत बाजार विनियम
पीएमयू	फेजर परिमापन यूनिट
पीएनजीआरबी	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
पीओसी	प्वाइंट ऑफ कनैक्शन
पोसोको	विद्युत प्रणाली प्रचालन निगम लि.
पीपीए	विद्युत क्रय करार
पीएसडीएफ	विद्युत प्रणाली विकास निधि
पीएक्सआईएल	भारतीय विद्युत विनिमय लि.
आरई	नवीकरणीय ऊर्जा
आरईए	क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा
आरएफपी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आरजीएमओ	नियंत्रित गवर्नर मोड प्रचालन
आरएलडीसी	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
आरएलएनजी	पुनर्गैसीकृत लिक्वीफाईड प्राकृतिक गैस
आरओसीई	नियोजित पूंजी पर रिटर्न
आरओई	इक्विटी पर रिटर्न
आरओआर	रन ऑफ दी रिवर
आरपीसी	क्षेत्रीय विद्युत समिति
आरपीओ	नवीकरणीय क्रय बाध्यता

आरआरआई	विनियामक अनुसंधान संस्थान
आरटीएम	वास्तविक समय बाजार
साफिर	दक्षिण एशिया अवसरंचना विनियम फोरम
स्काडा	पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण
एससीईडी	सुरक्षा बाधित आर्थिक प्रेषण
एससीओडी	वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख
एसईसीआई	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एसईआरसी	राज्य विद्युत विनियामक आयोग
एसईजैड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएचआर	स्टेशन हीट दर
एसजेवीएनएल	सतलुज जल विद्युत निगम लि.
एसएलडीसी	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
एसआर	दक्षिणी क्षेत्र
एसआरएलडीसी	पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
एसआरपीसी	दक्षिण क्षेत्रीय विद्युत समिति
एसएसयू	राज्य क्षेत्र कंपनियां
एसटीओए	अल्पकालिक निर्बाध पहुँच
एसटीपीएस	सुपर थर्मल पावर स्टेशन
एसटीयू	राज्य पारेषण कंपनी
टीएएम	टर्म एहेड बाजार
टीएएमपी	बड़े पत्तनों की टैरिफ अधिकरण
टीबीसीबी	टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली
टीएचडीसी	टिहरी हाइड्रो विकास निगम
टीओआर	संदर्भ की शर्तें
टीपीएस	थर्मल विद्युत केन्द्र
टीएसए	पारेषण सेवा करार
उदय	उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना
यूएचवीएसी	अल्ट्रा उच्च वोल्टेज वैकल्पिक करंट
यूआई	अननुसूचित अंतर्विनिमय
यूएमपीपी	अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना
वीएटी	मूल्य वर्द्धित कर
वाईटीसी	वार्षिक पारेषण प्रभार

1. आयोग

आयोग

विद्युत क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक आयोग की परिकल्पना 1990 के दशक के प्रारंभ में उस समय की गई थी, जब वर्ष 1994 में संस्तुत विद्युत के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) समिति ने 'सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठानों की टैरिफ नीतियों को विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र व्यावसायिक टैरिफ बोर्ड' का गठन करने की सिफारिश की थी। समिति ने यह भी दोहराया था कि 'टैरिफ बोर्डों से प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए समुचित विद्युत टैरिफों को तैयार करने के मामले में उच्च स्तर की व्यावसायिकता आ सकेगी'।

विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को 1996 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में पुनः दोहराया गया। सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ–साथ, विद्युत के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की बात को व्यक्त करते हुए, यह सहमति हुई कि 'राज्य विद्युत बोर्डों में सुधार और पुनर्संरचना करना आवश्यक है तथा इनको एक निश्चित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और इस दिशा में एक उपाय के रूप में विनियामक आयोग को बनाने की बात को समझा गया।'

इस प्रकार, विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 ने केंद्र तथा राज्यों में विनियामक आयोगों के निर्माण हेतु रास्ता बनाया।

1998 का अधिनियम, टैरिफ विनियमन से सरकार को अलग रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में विद्युत टैरिफों की तर्कसंगतता आदि के बारे में, पारदर्शी नीतियों के सुव्यवस्थीकरण के लिए केंद्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के लिए उपबंध किया गया। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार ने जुलाई 1998 में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (के.वि.वि.आ.) का गठन किया। चूंकि, अब विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 को विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के उपबंधों के अधीन सृजित सीईआरसी को विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के रूप में मान्यता दी गई है।

विद्युत अधिनियम, 2003 ने केविविआ के दायित्वों के दायरे में काफी विस्तार किया है। ईआरसी अधिनियम, 1998 के अधीन केविविआ में केवल टैरिफ अवधारण करने की शक्तियां निहित थीं। विद्युत अधिनियम, 2003 ने केविविआ को टैरिफ अवधारण करने की शक्तियों के अतिरिक्त कई अन्य दायित्व सौंपे हैं। इनमें अंतर–राज्यिक पारेषण, अंतर–राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने और परिणामतः अनुज्ञप्तियों को संशोधित, निलंबित और रद्द करने की शक्ति, प्रदर्शन मानकों को निर्धारित करके और उनका अनुपालन सुनिश्चित करके अनुज्ञप्तिधारियों को विनियमित करने की शक्तियां आदि शामिल हैं।

आयोग अर्ध–न्यायिक हैसियत में कार्य करता है। इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। इसमें एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (कें.वि.प्रा.) के अध्यक्ष, पदेन सदस्य के रूप में शामिल है। स्वतंत्र विनियमन से संबंधित मुद्दों पर विचार करते समय, एक बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, अधिनियम यह विहित करता है कि अध्यक्ष और सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें इंजीनियरी, विधि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त अथवा प्रबंधन में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। यह आयोग में निरूपित की जाने वाली विभिन्न विद्याओं के एक व्यापक स्वरूप को भी निर्धारित करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अधिनियम में यथा विहित केंद्रीय सरकार द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अधिनियम एक सचिव की नियुक्ति के लिए भी उपबंध करता है, जो अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करता है और जिसकी शक्तियां और कर्तव्य आयोग द्वारा परिभाषित किए जाते हैं।

अधिदेश

जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1) द्वारा दायित्व सौपा गया है, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी है

क) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करना;

ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों से भिन्न उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करना यदि ऐसी उत्पादन कंपनियां एक राज्य से अधिक राज्यों में विद्युत के उत्पादन और विक्रय के लिए संयुक्त स्कीम में शामिल होती हैं या अन्यथा उनकी ऐसी कोई संयुक्त स्कीम है;

ग) विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण को विनियमित करना;

घ) विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण के लिए टैरिफ अवधारित करना;

ङ) किन्हीं व्यक्तियों को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और उनकी अंतर–राज्यिक संक्रियाओं की बाबत विद्युत व्यापारी के रूप में कृत्य करने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना;

च) उपर्युक्त खंड (क) से खंड (घ) तक से संसक्त विषयों के संबंध में उत्पादन कंपनियों या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को अंतर्वलित करने वाले विवादों का न्यायनिर्णयन करना तथा मध्यस्थता के लिए किसी विवाद को निर्दिष्ट करना;

छ) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फीस उदगृहीत करना;

ज) ग्रिड मानकों को ध्यान में रखते हुए, ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट करना;

झ) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता की बाबत मानकों को विनिर्दिष्ट और प्रवृत्त करना;

ञ) विद्युत के अंतर–राज्यिक व्यापार में, यदि आवश्यक समझा जाए, व्यापार अंतर को नियत करना;

ट) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो अधिनियम के अधीन समनुदेशित किए जाएं।

केंद्रीय सरकार को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों पर सलाह देना:

क. राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति बनाना;

ख. विद्युत उद्योग के क्रियाकलाप में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययता का संवर्धन करना;

ग. विद्युत उद्योग में विनिधान का संवर्धन;

घ. केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय।

2. मिशन

मिशन विवरण

आयोग की थोक विद्युत बाजारों में प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और मितव्ययता को बढावा देने, सप्लाई की गुणवत्ता में सुधार करने, मांग आपूर्ति के अंतर, जिससे ग्राहकों के हितों का सम्पोषण हो, को पाटने के लिए संस्थागत बाधाओं को दूर करने के संबंध में सरकार को सलाह दने की योजना है। इन उद्देश्यों के अनुसरण में, आयोग का उद्देश्य–

क. भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी), उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) के माध्यम से क्षेत्रीय पारेषण प्रणालियों के प्रचालन और प्रबंधन में सुधार करना।

ख. एक कारगर टैरिफ अवधारण तंत्र तैयार करना जिससे थोक विद्युत और पारेषण सेवाओं की कीमत के संबंध में मितव्ययता और कार्यकुशलता और न्यूनतम लागत पर निवेश सुनिश्चित होगा।

ग. अंतर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच को सुकर बनाना।

घ. अंतर–राज्यिक व्यापार को सुकर बनाना।

ङ. विद्युत बाजार के विकास को प्रोत्साहन देना।

च. सभी पणधारियों के लिए जानकारी देने में सुधार लाना।

छ. थोक ऊर्जा तथा पारेषण सेवाओं में प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के विकास के लिए अपेक्षित तकनीकी तथा संस्थानिक परिवर्तनों को सुकर बनाना।

ज. प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों के सृजन के प्रथम उपाय के रूप में, पर्यावरणीय, सुरक्षा तथा विद्यमान विधायी अपेक्षाओं की सीमा के भीतर पूंजी तथा प्रबंधन के लिए प्रवेश तथा निकासी की बाधाओं के संबंध में सलाह देना।

मार्गदर्शक सिद्धांत

मिशन विवरण और इसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आयोग का मार्गदर्शन निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा किया जाता है:

क. सभी पणधारियों (स्टेक होल्डरों) के प्रति पारदर्शी और निष्पक्ष रहते हुए उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ताओं के हितों सहित समाज के हित का संरक्षण।

ख. पक्षकारों को सुने जाने के पर्याप्त और समान अवसर दिए जाने के पश्चात् याचिकाओं के माध्यम से इसके समक्ष लाए गए विवाद समाधान में निष्पक्ष रहना।

ग. एक ओर विचारों में संगत रहते हुए, विनियामक निश्चितता बनाए रखना और दूसरी ओर उभरते हुए विद्युत क्षेत्र में खुले मन से परिवर्तनों को अंगीकार करना।

घ. यह सुनिश्चित करने के लिए अपने विनियम बनाने में पणधारी परामर्श और भागीदारी प्रक्रिया अपनाना जिससे कि विनियम यथासंभव पणधारियों की आशाओं के अनुरूप हों।

ङ. विनियामक और बाजार आधारित तंत्र का प्रयोग करते हुए विद्युत क्षेत्र में स्रोतों का अनुकूल आबंटन सुनिश्चित करना।

च. विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय स्रोतों के संवर्धन द्वारा कायम रखने योग्य विकास को प्रोत्साहित करना।

3. अध्यक्ष एवं सदस्यों का संक्षिप्त विवरण

श्री जिश्नु बरूआ

अध्यक्ष
(2 मार्च, 2023 से कार्यरत)

श्री जिश्नु बरूआ पूर्व आईएएस अधिकारी हैं जो वर्ष 1988 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में शामिल हुए और इन्हें असम–मेघालय संवर्ग, इनका गृह संवर्ग, आबंटित किया गया था। असम राज्य सरकार में अपने सेवा करियर में, श्री बरूआ ने जिलों के उपायुक्त (1994–1997), 1997–2001 में असम औद्योगिक विकास निगम (एआईडीसी) के प्रबंध निदेशक, आयुक्त एवं सचिव, कार्मिक, गृह एवं राजनीतिक विभाग (2007–2012) आदि जैसे क्षेत्र में कई पदों पर कार्य किया। वे वर्ष 2001–2006 से पूर्व केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी रहे उस अवधि के दौरान, वाणिज्यिक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन आदि के संघ राज्य मंत्री को निजी सचिव के रूप में सेवाएं दी और बाद में गृह मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक (पुलिस) के रूप में कार्य किया।

वर्ष 2014 से 2017 तक वे पुनः केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार में का. र्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के संयुक्त सचिव के रूप में तैनात होकर सतर्कता, प्रशिक्षण और सेवाएं मामलों की देख–रेख की।

असम में लौटने पर, श्री बरूआ असम सरकार के प्रधान सचिव के रूप में तैनात हुए जिस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के अधीन वितरण, उत्पादन और पारेषण कंपनियों के अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं दी। तत्पश्चात, वे अपर प्रमुख सचिव, गृह एवं राजस्व विभाग के रूप में नियुक्त हुए। श्री बरूआ को 31 अक्तूबर, 2020 को असम सरकार के प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्होंने अध्यक्ष, असम विद्युत वितरण कंपनी लि. (एपीडीसीएल) के रूप में का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। श्री बरूआ 31 अगस्त, 2022 को प्रमुख सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए और तत्पश्चात् अध्यक्ष, असम विद्युत वितरण कंपनी के रूप में पुनःनियुक्त हुए। उन्होंने 2 मार्च, 2023 को केविविआ के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री बरूआ ने असम में विद्युत क्षेत्र में दो कार्यकाल, अर्थात् वर्ष 2017–2018 में और जून 2021 से फरवरी, 2023 तक सेवाएं दी। वे वर्ष 2017–18 में प्रधान सचिव, विद्युत और अध्यक्ष, एपीडीसीएल थे जब एपीडीसीएल ने प्रथम बार 100ः से अधिक संग्रह दक्षता को दर्ज कर इतिहास बनाया। उस वर्ष में, रु. 4759.45 करोड़ के राजस्व मांग के विपरीत, 102.61ः की संग्रह दक्षता के साथ रु. 4883.90 करोड़ वसूल किए गए।

वित्त वर्ष 2021–22 में अध्यक्ष, एपीडीसीएल के रूप में उनके द्वितीय कार्यकाल में, कंपनी के इतिहास में संग्रह दक्षता दूसरी बार 100ः से अधिक रही। वित्त वर्ष 2021–22 में, वर्ष के दौरान रु. 6083.55 करोड़ की मांग के विपरीत 103.47ः की संग्रह दक्षता और 16.95ः की एटीएंडसी हानियों के साथ रु. 6294.81 करोड़ का संग्रह हुआ। राजस्व संग्रह में सुधार, राजस्व संग्रह पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने, समुचित वितरण ट्रांसफार्मरों को उपभोक्ताओं के उचित सूचीकरण, मीटर री. डिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग, राजस्व संग्रह के लिए समर्पित व्हाट्सऐप ग्रुप के माध्यम से आक्रामक निगरानी, संग्रह और बिलिंग डाटा के निरंतर सूक्ष्म और विस्तृत विश्लेषण, शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट मीटरों के संस्थापन, दूरदराज के क्षेत्रों में राजस्व संग्रह एजेंटो की तैनाती (ईजी पे एजेंट के रूप में भी ज्ञात) आदि के कारण संभव हुआ।

सेंट स्टीफन्स कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर श्री बरूआ, वर्ष 2006 में नेशनल डिफेंस कॉलेज (एनडीसी) में स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस स्टडीज पर 46वें कोर्स में भी उपस्थित हुए। उन्हें एनडीसी में उनकी थीसिस के लिए मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा एम. फिल डिग्री भी प्रदान की गई।

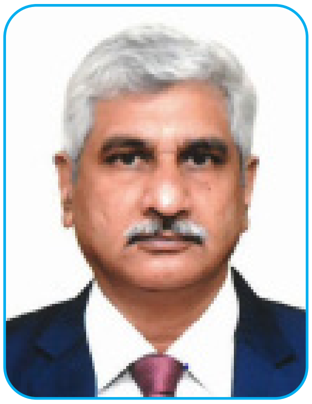

श्री रमेश बाबू वीरावल्ली

सदस्य (तकनीकी)
(21 मई, 2024 से कार्यरत)

श्री रमेश बाबू वी, मई 2024 से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग में सदस्य हैं और मौजूदा नियुक्ति से पूर्व उन्होंने मई 2020 से जनवरी 2024 तक एनटीपीसी में निदेशक (प्रचालन) के रूप में कार्य किया। एनआईटी श्रीनगर से मेकैनिकल इंजीनियरिंग स्नातक और आईआईटी दिल्ली से थर्मल इंजीनियरिंग में मास्टर, उन्होंने वर्ष 1987 में कार्यपालक प्रशिक्षु के रूप में एनटीपीसी में कार्यभार ग्रहण किया। उनका थर्मल संयंत्रों के प्रणाली सुधार और कार्यकुशलता के क्षेत्र में तथा पुराने यूनिटों के विद्युत संयंत्र प्रचालन तथा रखरखाव, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के क्षेत्र में बड़े आकार के संयंत्रों के प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान सहित 37 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव रहा है। उन्होंने व्यवसायिक प्रबंधन तथा रणनीतिक योजनाकार के रूप में संयंत्रों की कार्यकुशलता और विश्वसनीयता के सुधार के लिए कई पहल की।

विद्युत क्षेत्र में श्री रमेश बाबू के अनुभव में विद्युत स्टेशनों के 'बिजनेस यूनिट प्रधान' और ईडी से सीएमडी के रूप में भी वरिष्ठ प्रबंधन स्तर का एक्सपोजर शामिल है जहां उन्होंने एनटीपीसी विद्युत संयंत्रों के प्रचालनगत उत्कृष्टता से संबंधित प्रणाली सुधार गतिविधियों और रणनीतियों पर कार्य किया।

श्री रमेश बाबू एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड (एनटीईसीएल), कान्ति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (केबीयूएनएल), भारतीय रेल बिजली कार्पोरेशन लिमिटेड (बीआरबीसीएल) और नबी नगर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (एनपीजीसीएल) के बोर्ड में अंशकालिक अध्यक्ष भी रहे। वे मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड (एमयूएनपीएल) के बोर्ड के अंशकालिक अध्यक्ष भी रहे। वे उत्तरी कोल फील्ड लिमिटेड के बोर्ड के स्थायी अतिथि रहे और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य भी रहे।

निदेशक (प्रचालन), एनटीपीसी के रूप में वे सभी पावर स्टेशनों की ईंधन रक्षा, सुरक्षा एवं पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करते हुए एनटीपीसी ग्रुप पोर्टफोलियों के सभी विद्युत उत्पादन स्टेशनों के सुरक्षित, विश्वसनीय, सतत एवं कुशल प्रचालन के लिए समुचित योजना के लिए भी उत्तरदायी रहे।

श्री रमेश बाबू को ईपीआरआई द्वारा लोचशील प्रचालनों में उनके कार्य के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अवार्ड प्रदान किया गया।

श्री हरीश दुदानी

सदस्य (विधि)

(6 अगस्त, 2024 – कार्यरत)

श्री हरीश दुदानी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर और विधि में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने वर्ष 1992 में दिल्ली न्यायिक सेवा में कार्यभार ग्रहण किया और दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में उन्नत हुए। न्यायिक सेवा के दौरान, वे विभिन्न पदों अर्थात् मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट/सिविल जज/स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट/अपर प्रमुख मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट/जज, लेबर कोर्ट/जज, मोटर दुर्घटना दावा न्यायधिकरण/अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज/स्पेशल जज (सीबीआई)/डिस्ट्रिक्ट जज (कमर्शियल कोर्ट)/प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 सहित सिविल एवं अपराधिक विधियों के विभिन्न विषयों पर अधिनिर्णित मामले, बौद्धिक संपत्ति अधिकार, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, कमर्शियल कोर्ट अधिनियम 2015 इत्यादि में विभिन्न पदों पर रहे।

उन्होंने दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण में विशेष ड्यूटी पर अधिकारी के रूप में भी कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने दिल्ली में सभी न्यायालय परिसरों में साथ–साथ बैंक मामलों के लिए प्रथम पेपरलेस लोक अदालत आयोजित की और दिल्ली राज्य की वितरण कंपनियों के विद्युत मामलों, वित्तीय संस्थाओं, मोटर दुर्घटना दावों, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, यातायात चालानों, अपराधिक समाधेय मामलों, सिविल मामलों इत्यादि से संबंधित अनिर्णित एवं पूर्ववादकारी मामलों के लिए लोक अदालतें आयोजित की। उन्होंने बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के सहयोग से संबद्ध विभिन्न बालगृहों और पूरी दिल्ली की बाल कल्याण समितियों के निरीक्षणों को भी आयोजित किया। उन्होंने गांधी भवन, दिल्ली विश्वविद्यालय में विधिक सहायक क्लीनिक खोलने, स्कूली बच्चों के लिए विधिक साक्षरता कार्यक्रम, दिल्ली की एनसीटी की सरकार के मौजूदा नेटवर्क अर्थात् जेण्डर रिसोर्स केन्द्रों, मिशन कनवर्जेंस के अधीन कार्य कर रहे सामाजिक सेवा केन्द्र के माध्यम से दिल्ली की जनसंख्या तक पहुंचने के लिए प्रक्रिया में पहल की। उन्होंने महिला अधिकारों, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों, शिक्षा के अधिकार, असंग. ठित कामगारों के अधिकार, ट्रांसजेण्डर के अधिकार, विधि विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम तैयार करना, पैरालीगल वॉलंटियर (पीएलवी) के रूप में सामाजिक कार्यकर्ताओं का पैनल तैयार किया और उनके प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम जैसे विषयों पर राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिकरण के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर सेमीनार आयोजित करने में योगदान दिया और विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए। दिल्ली पुलिस के किशोर कल्याण अधिकारियों के लिए द्विमासिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए।

उन्होंने जिला न्यायालयों के विभिन्न मध्यस्थता केन्द्रों पर मध्यस्थ के रूप में कार्य किया और भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सौंपे गए मामलों में मध्यस्थता भी की। मध्यस्थता के क्षेत्र में, वर्ष 2007 से उन्हें कई मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रमों, रेफ. रल जज सेंसटाइजेशन कार्यक्रमों, में मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ('एमसीपीसी') द्वारा रिसोर्स व्यक्तिध्वरिष्ठ प्रशिक्षक के रूप में नामित किया गया, देश के विभिन्न भागों में प्रशिक्षक कार्यक्रमों में प्रशिक्षण

और प्रशिक्षक कार्यक्रम में उन्नत प्रशिक्षण के रूप में नामित किया गया। वर्ष 2008 में, एमसीपीसी द्वारा नामित किए जाने पर, उन्होंने वैकल्पिक विवाद समाधान, नई दिल्ली के लिए अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र के सहयोग से प्रभावी विवाद समाधान केन्द्र, यूके द्वारा आयोजित प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। एमसीपीसी द्वारा नामित किए जाने पर सटराज इंस्टीटयूट आफ डिस्प्युट रेजुलुशन और एडवर्ड मीडिएशन एकेडमी, यूएसए के सहयोग से विन्सटीन इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा आयोजित उन्नत मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित हुए और वर्ष 2018 में जकार्ता, इंडोनेशिया में पांचवी एशियन मीडिएशन एसोसिएशन सम्मेलन में भी उपस्थित हुए और मध्यस्थता प्रशिक्षण प्रदान करने में नई तकनीकों की जानकारी प्राप्त की तथा उक्त तकनीकों को भारत में विभिन्न स्थानों में समय समय से एमसीपीसी द्वारा प्रशिक्षकों के लिए आयोजित गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न राज्यों से प्रशिक्षकों के साथ रिसोर्स व्यक्ति के रूप में शेयर किया गया।

उन्हें दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र, दिल्ली उच्च न्यायालय तथा इण्डिया इंटरनेशनल आर्बिटरेशन सेन्टर नई दिल्ली द्वारा आर्बिटेटर के रूप में पैनल में भी रखा गया।

उन्होंने रिसोर्स व्यक्ति के रूप में सम्मेलनों और सेमिनारों में भागीदारी की और विभिन्न विधिक विषयों अर्थात् साक्ष्य की छानबीन, 'बेलः अवधारणात्मक फ्रेमवर्क', रिमांड के लिए विचारार्थ क्रियाविधि, पुनः जांच के लिए निर्देश, आगे की जांच, क्लोजर रिपोर्ट, बेल पर क्रियाविधि, सेशन में बांग्लादेश न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम – अपराधिक मामलों के ट्रायल की प्रक्रिया, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, डीजेएस के नए नियुक्त अधिकारियों के लिए 'इंडक्शन कोर्स मॉक ट्रायल (सिविल)', औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन विधि, पद्धति और क्रियाविधि विषयों पर सत्रों में औद्योगिक न्यायधिकरण और श्रम न्यायालयों के अधीष्ठाता अधिकारियों के लिए अधिनिर्णय में जानकारी, कुशलता और प्रवृत्ति के समेकन पर सम्मेलन से संबंधित सत्रों के लिए राज्य न्यायिक एकेडमिक्स द्वारा आमंत्रित भी किया गया।

श्री रविन्दर सिंह ढिल्लों

सदस्य (विधि)

(7 फरवरी, 2025 से कार्यरत)

श्री रविन्दर सिंह ढिल्लों वर्तमान में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविवआ) के सदस्य (वित्त) के पद पर कार्यरत हैं, जो कि उन्होंने फरवरी, 2025 में ग्रहण किया। विद्युत क्षेत्र, अवसंरचना वित्त, और विनियामक नीति में चार दशकों से अधिक के विशिष्ट अनुभव के साथ, वे आयोग में तकनीकी विशेषज्ञता, वित्तीय नेतृत्व, और विद्युत मूल्य श्रृंखला की गहन समझ का दुर्लभ मिश्रण लेकर आए हैं। उनका करियर, भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रांति लक्ष्यों के साथ एक सशक्त संरेखण और सभी के लिए किफायती विद्युत को बढ़ावा देने के संदृष्य की ओर समर्पण दर्शाता है। केविविआ में नियुक्ति से पूर्व, जून 2020 से मई 2023 तक, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) – भारत में सबसे बड़ी एनबीएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में, श्री ढिल्लों ने कई उपलब्धियाँ हासिल करने के लिए संगठन का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में, पीएफसी को प्रतिष्ठित 'महारत्न' का दर्जा दिया गया – जिससे इसे भारत के अग्रणी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से एक के रूप में मान्यता मिली। उन्होंने पीएफसी के पोर्टफोलियो को विद्युत से परे अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में सफलतापूर्वक विविधता प्रदान की।

श्री ढिल्लों ने अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर विविध घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से पूंजी जुटाकर पीएफसी के वित्त पोषण आधार को भी मजबूत किया। प्रमुख पहलों में कंपनी के बॉंड्स का पहला पब्लिक इश्यू, 300 मिलियन यूआर ग्रीन बॉन्ड जारी करना, और 875 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर जेपीवाई–मूल्यवर्ग का ऋण शामिल था – पीएफसी द्वारा एकल लेनदेन में अब तक उठाया गया सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा ऋण। इन पहलों ने मजबूत निवेशक विश्वास का प्रदर्शन किया और पीएफसी के ईएसजी अभिविन्यास को मजबूत किया। उन्होंने कई ऐतिहासिक पहलों पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) की अवधारणा और रोलआउट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका परिव्यय 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, और कोविड–19 महामारी के दौरान चलनिधि अंतर्वेशन योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया, जिसने विद्युत क्षेत्र में एक बड़े तरलता संकट को रोकने में मदद की, जिसमें पीएफसी और आरईसी ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का संवितरण किया। उनके नेतृत्व में, पीएफसी ने विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएस) नियमों को प्रभावी ढंग से लागू किया, जिसने उत्पादकों और पारेषण कंपनियों को विद्युत वितरण कंपनियों के बकाया को कम करने में मदद की।

विद्युत क्षेत्र में श्री ढिल्लों का योगदान उनकी कार्यकारी भूमिकाओं से आगे है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में रुकी हुई हाइड्रो परियोजनाओं के अधिग्रहण के संबंध में समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के वित्तपोषण के लिए अंतर–मंत्रालयी संचालन समिति के सदस्य, राष्ट्रीय विद्युत योजना को अंतिम रूप देने के लिए समिति के सदस्य और आरडीएस, आईपीडीएस और डीडीयूजीजेवाई जैसी सरकारी योजनाओं के लिए निगरानी समितियों के सदस्य सहित कई प्रमुख राष्ट्रीय समितियों में कार्य किया है। उन्हें सीएमडी, आरईसी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था।

परियोजना वित्तपोषण में व्यापक अनुभव के साथ, श्री ढिल्लों ने व्यवसाय विकास, ऋण मूल्यांकन, निधि संवितरण, ऋण निगरानी और तनावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान में पहल की है। उन्होंने पांच वर्षों में लगभग 46ः सीएजीआर की नवीकरण ीय पोर्टफोलियो वृद्धि हासिल करते हुए पीएफसी की नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण पहलों का नेतृत्व किया। उन्होंने इले. क्ट्रक मोबिलिटी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी स्टोरेज और अपशिष्ट–से–ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए एक नई व्यवसाय इकाई की स्थापना की। उन्होंने परियोजना रेटिंग मॉडल को बेहतर बनाकर और परियोजना निगरानी के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल प्रस्तुत कर क्रेडिट मूल्यांकन और निगरानी प्रणालियों को मजबूत कर आंतरिक प्रणालियों में भी संवर्धन किया, जिससे संपत्ति की गुणवत्ता में वृद्धि हुई।

पीएफसी के अतिरिक्त, श्री ढिल्लों ने जीई पावर इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक, महाप्रीत एल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के सलाहकार बोर्ड के सदस्य और भारतीय स्टेट बैंक और मैकिन्से एंड कंपनी के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य किया है। इससे पूर्व अपने करियर में उन्होंने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) में कार्य किया। सीईए में, उन्होंने प्रमुख उत्पादन स्टेशनों के लिए प्रादेशिक पा. रेषण नेटवर्क और निकासी प्रणालियों की योजना बनाने के लिए विद्युत प्रणाली अध्ययन किया। बीएचईएल में, वह 210 मेगावाट और 500 मेगावाट उत्पादकों के डिजाइन और 210 मेगावाट उत्पादकों के ऑन–साइट आशोधन में शामिल थे।

श्री ढिल्लों के पास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईटी दिल्ली) से विद्युत प्रणालियों में एम.टेक और थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.ई. है। इन शैक्षणिक प्रत्यय–पत्रों ने उन्हें एक मजबूत तकनीकी आधार प्रदान किया जो वित्तीय और कॉर्पोरेट प्रबंधन में उनके व्यापक अनुभव का पूरक है।

ऊर्जा और अवसंरचना क्षेत्रों में उनके योगदान के सम्मान में, श्री ढिल्लों को कई प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किए गए हैं, जिनमें उनकी अग्रणी ऊर्जा संक्रांति पहलों के लिए "स्कॉच इंडिया इकोनॉमिक फोरम अवार्ड" और भारत के विद्युत क्षेत्र के त्वरित विकास में उनके असाधारण नेतृत्व और योगदान के लिए गवर्नेंस नाओ द्वारा "सीएमडी लीडरशिप अवार्ड (महारत्न)" शामिल हैं।

4. पूर्व वर्षः एक अवलोकन

पूर्व वर्षः एक अवलोकन

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) ने विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा उसे सौपे गए उत्तरदायित्वों से अवगत होकर, विद्युत क्षेत्र में और अधिक सुधारों के लिए वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण पहलें कीं।

वर्ष 2024–25 के दौरान, 819 याचिकाएं पंजीकृत हुईं। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष 2023–24 से 674 याचिकाएं आगे बढ़ाई गईं जिससे याचिकाओं की कुल संख्या 1493 हुई। इनमें से, 606 याचिकाएं वर्ष 2024–25 के दौरान निपटाई गईं। निपटाई गईं याचिकाओं का विस्तृत विवरण अनुबंध–५ में दर्ज है। आदेशों के अलावा, आयोग ने क्षेत्र के लिए दूरगामी प्रभावों वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विनियम जारी किए। आयोग के स्टाफ ने भावी बाजार सुधारों पर हितधारकों से चर्चा करने और उनके विचार जानने हेतु चर्चा पत्र भी प्रकाशित किए।

वर्ष के दौरान आयोग द्वारा अधिसूचित महत्वपूर्ण विनियम और जारी स्टाफ पेपर नीचे उल्लिखित किए गए हैं:

क विनियम

1. **दिनांक 12.06.2024 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2024**

   केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) ने विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के खंड (2) के उप–खंड (खंडों) के साथ पठित धारा 61 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के बाद केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2024 अधिसूचित किया।

   इस विनियम का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी और सहभागिता प्रक्रिया के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ग्रिड–इंटरेक्टिव विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ अवधारित करने के लिए निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करना है।

   ये विनियम उन सभी मामलों में लागू होंगे जहाँ उत्पादन स्टेशन या उसके यूनिट के लिए टैरिफ ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित है, और अधिनियम की धारा 79 के साथ पठित धारा 62 के अधीन अंतर्निहित है। विनियम की नियंत्रण अवधि दिनांक 01.07.2024 से दिनांक 31.03.2027 है। नियंत्रण अवधि के दौरान आरंभ की गई नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं के लिए इन विनियमों के अनुसार अवधारित टैरिफ आरई परियोजना के लिए टैरिफ अवधि के लिए वैध रहेगा, जो कि उनके उपयोगी जीवन के समान होगा। ये विनियम आरई परियोजनाओं के लिए वित्तीय और तकनीकी मानदंडों सहित, मानदंड विनिर्दिष्ट करते हैं।

   आयोग ने दिनांक 12.06.2024 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2024 अधिसूचित किया।

2. **केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2024 तिथि 14.06.2024 की अधिसूचना और तिथि 14.06.2024 का राजपत्र सं.413**

   आयोग ने दिनांक 23.05.2024 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2024 जारी किया।

   केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2024 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

   क) अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने में बहु चरणों में शामिल समय–सीमाओं को पारेषण अनुज्ञप्ति याचिकाओं के शीघ्र निपटान के लिए कम किया गया है।

   ख) वह अनुज्ञप्तिधारी जिसे परियोजना मोड (परंतु एसपीवी मोड में नहीं) में टीबीसीबी के माध्यम

से किसी अन्य पारेषण प्रणाली के आबंटन पर, टीबीसीबी के माध्यम से पारेषण प्रणाली के विक. ास के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, वह अतिरिक्त पारेषण प्रणाली को शामिल करने के लिए अपनी मौजूदा अनुज्ञप्ति में संशोधन मांग सकता है। इसी प्रकार, वह अनुज्ञप्तिधारी जिसे किसी अन्य परियोजना के आबंटन के बाद, आ. रटीएम मोड में पारेषण प्रणाली के विकास के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, वह अतिरिक्त पारेषण प्रणाली शामिल करने के लिए अपनी मौजूदा अनुज्ञप्ति में संशोधन मांग सकता है।

ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी या थोक उपभोक्ता को अपनी प्रणाली अंतर राज्यिक पारेषण प्रणाली के साथ जोड़ने के लिए पारेषण लाइन के विकास, रखरखाव और प्रचालन हेतु अनुज्ञप्ति मांगने की आवश्यकता नहीं है।

घ) अधिनियम की धारा 62 के अधीन कवर किए गए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति का उसके जारी किए जाने की तारीख से 25 वर्ष पूरा होने पर, एक समय पर 25 वर्षों की अन्य अवधि के लिए स्वतः नवीकरण होगा। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी 25 वर्षों से कम की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति का नवीकरण आयोग के समक्ष आवेदन के द्वारा मांग सकता है।

ङ) इसके अतिरिक्त, 25 वर्षों से अधिक अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए अधिनियम की धारा 63 के अधीन कवर किया गया पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की आरंभिक अवधि की समाप्ति से दो वर्ष पूर्व आयोग के समक्ष आवेदन कर सकता है।

च) दिनांक 13.04.2006 के एमओपी के पत्र द्वारा जारी प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशानिर्देशों के अधीन विकसित पारेषण परियोजनाओं के लिए, बोली के अधीन कोट नहीं की गई बढ़ाई गई अवधि के लिए टैरिफ आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

छ) दिनांक 10.08.2021 के एमओपी के पत्र द्व ारा जारी प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशानिर्देशा. ें के अधीन विकसित की जा रही परियोजनाएं, उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार शासित होंगी।

ज) यदि टीबीसीबी के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के पारेषण घटकों को सीटीयू की पारेषण योजना के कारण आशोधित या पुनः कॉन्फिगर किया जाना आवश्यक है, तो उसके लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव मूल अनुज्ञप्तिधारी के पारेषण प्रभारों को प्रभावित किए बिना उस अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जाएगा जिसे आशोधन या पुनः कॉन्फिगरेशन का कार्य सौंपा गया है।

3. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2024 अधिसूचना तिथि 19.06.2024 और राजपत्र सं.469 तिथि 01.07.2024

आयोग ने दिनांक 16.02.2024 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022 (जिसे इसके पश्चात् "जीएनए विनियम, 2022" कहा गया है) को संशोधित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहु. ंच) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2024 (जिसे इसके पश्चात् "जीएनए द्वितीय संधोधन विनियम, 2024" कहा गया है) जारी किया। इस विनियम को दिन. ांक 19.06.2024 को अंतिम रूप दिया गया है और जारी किया गया है। जीएनए द्वितीय संशोधन वि. नियम, 2024 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

प्रमुख विशेषताएं:

i. नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी" या 'आरईआईए की परिभाषा को शामिल किया गया।

ii. संयोजकता आवेदन के संबंध में संशोधन

   क. संयोजकता प्रदान किए जाने या जीएनए प्रदान किए जाने के लिए आवेदन की संवीक्षा

   ख. संयोजकता के आवेदक के नाम पर अग्रिम कब्जा पत्र के साथ भूमि के

आबंटन के लिए राज्य सरकार के आदेश को भूमि उपयोग अधिकारों के लिए वैध दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है।

ग. भूमि दस्तावेज के एवज में बैंक गारंटी के प्रस्तुतिकरण पर आधारित संयोजकता प्रदान किए जाने के लिए आवेदन – रुपए 10 लाख/मेगावाट की बैंक गारंटी 1000 मेगावाट की क्षमता तक की संयोजकता मांगने के लिए लागू होगी, और रुपए 100 करोड़ प्लस रुपए 5 लाख/मेगावाट की बैंक गारंटी 1000 मेगावाट से अधिक की क्षमता के लिए संयोजकता मांगने हेतु लागू होगी।

घ. नोडल एजेंसी द्वारा संयोजकता के सिद्धांततः अनुदान की सूचना के लिए समयसीमा 30 दिनों से बढ़ा दी गई है।

iii. आवेदक द्वारा मध्यवर्ती उपलब्धियों के दस्तावेजों का जमा किया जाना

क. बैंक गारंटी रूट के अधीन आवेदकों द्वारा भूमि दस्तावेज जमा करने की समयसीमा संयोजकता का सिद्धांततः अनुदान जारी किए जाने के 18 मास के अंदर या संयोजकता का अंतिम अनुदान जारी किए जाने के 12 मास के अंदर, जो भी पहले हो, के रूप में बढ़ा दी गई है।

ख. आवेदक को वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख या ऐसे आवेदक की संयोजकता की आरंभ तारीख, जो भी बाद में हो, से 6 महीने पूर्व तक वित्तीय समापन प्राप्त करना होगा।

ग. यदि संयोजकता अनुदानग्राही निर्धारित समय के अंदर वित्तीय समापन प्राप्त करने में विफल होता है, तो भूमि की एवज में जमा की गई बीजी का नकदीकरण किया जाएगा।

4. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस तथा प्रभार तथा अन्य सहबद्ध मामले) विनियम, 2024 अधिसूचना तिथि 12.07.2024 और राजपत्र सं.588 तिथि 01.08.2024

आयोग ने प्रत्येक पांच वर्ष की नियंत्रण अवधि के लिए अधिनियम की धारा 28 के अधीन आरएलडीसी और एनएलडीसी के लिए फीस और प्रभारों के अवधारण हेतु विनियम जारी किए। दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2029 की नियंत्रण अवधि के लिए ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस तथा प्रभार तथा अन्य सहबद्ध मामले) विनियम, 2024 दिनांक 04.04.2024 को जारी किए गए थे। दिनांक 20.05.2024 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थीं और दिनांक 30.05.2024 को एक जन सुनवाई आयोजित की गई थी। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस तथा प्रभार तथा अन्य सहबद्ध मामले) विनियम, 2024 (जिसे इसके पश्चात् "आरएलडीसी फीस तथा प्रभार विनियम, 2024" कहा गया है) को हितधारकों की टिप्पणियाँ पर विचार करने के बाद अंतिम रूप दिया गया और इन्हें दिनांक 12.07.2024 को जारी किया गया। आरएलडीसी फीस तथा प्रभार विनियम, 2024 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं।

प्रमुख विशेषताएंः

1. आरएलडीसी फीस तथा प्रभार विनियम, 2024 को केविविआ के विभिन्न विनियमों के अधीन आवश्यकताओं पर विचार करते हुए कुछ परिवत. र्नों के साथ केविविआ (आरएलडीसी फीस तथा प्रभार विनियम और अन्य सहबद्ध मामले) विनियम, 2019 (जिसे इसके पश्चात् "आरएलडीसी फीस तथा प्रभार विनियम, 2019" कहा गया है) के अनुरूप तैयार किया गया है।

2. आरएलडीसी फीस तथा प्रभारों के कुछ घटक निम्नानुसार हैंः

   क) पूंजीगत व्यय (केपेक्स)

   ख) वार्षिक एलडीसी प्रभार

   ग) उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण

   घ) भार प्रेषण केन्द्र विकास निधि (एलडीसीडी निधि)

ङ) प्रोत्साहन संबद्ध प्रदर्शन (पीएलआई)

च) प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन

छ) पीएलआई के निर्धारण के लिए प्रमुख प्रदर्शन सूचक (केपीआई)

ज) विलंबित भुगतान अधिभार

झ) भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम)

5. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2024 अधिसूचना तिथि 05.08.2024 और राजपत्र सं. 642 तिथि 21.08.2024

1. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) ने विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 79 की उप–धारा (1) के खंडों (ग) और (ज) के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2024 ("डीएसएम विनियम, 2024") अधिसूचित किया। इन विनियमों का उद्देश्य वाणिज्यिक तंत्र प्रदान करना है यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रिड उपयोगकर्ता ग्रिड की सुरक्षा और स्थिरता के हित में विद्युत के आहरण और अंतःक्षेपण की अपनी अनुसूचियों से विचलन न करें और उनका पालन करें। ये विनियम विद्युत के अंतर–राज्यिक बिक्री और खरीद में लगी हुई सभी ग्रिड–संबद्ध प्रादेशिक इकाइयों और अन्य इकाइयों पर लागू हैं।

2. इन विनियमों में ग्रिड से जुड़ी इकाइयों जैसे सामान्य विक्रेताओं, रन–ऑफ–रिवर हाइड्रो उत्पादन स्टेशनों, पवन और सौर उत्पादन स्टेशनों आदि के लिए अधिक अंतःक्षेपण या कम अंतःक्षेपण के माध्यम से विचलन के लिए प्रभारों का प्रावधान है। इन विनियमों में विचलन के लिए नियत प्रभार विक्रेता द्वारा अधिक अंतःक्षेपण या क्रेता द्वारा कम आहरण के लिए प्राप्य हैं, जबकि क्रेता द्वारा कम अंतःक्षेपण या क्रेता द्वारा अधिक आहरण के लिए देय हैं। सामान्य क्रेताओं और विक्रेताओं के लिए, विचलन प्रभार प्रचालन फ्रीक्वेंसी बैंड अर्थात् 49.90 हर्ट्ज़ से 50.05 हर्ट्ज़ के अंदर श्रेणीकृत हैं; तथापि प्रचालन बैंड से आगे विचलन प्रभारों को फ्रीक्वेंसी को ध्यान में न रखकर फ्लैट रखा गया है। इसके अतिरिक्त, ग्रेडेड विचलन प्रभार संबंधित क्रेताओं और विक्रेताओं की आरंभिक मात्रा सीमा तक सीमित हैं जिससे आगे प्रभार इस प्रकार प्रस्तावित हैं कि कोई भी अतिरिक्त विचलन हतोत्साहित होगा। इन विनियमों में पवन और सौर उत्पादन स्टेशनों के लिए विचलन बैंड के साथ–साथ स्टैंड–अलोन या सह–स्थित ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के मामले में विचलन से निपटने का प्रावधान भी है।

3. ये विनियम दिनांक 05.08.2024 को अधिसूचित किए गए थे और डीएसएम विनियम, 2024 के विनियम 8 के खंड 8 को छोड़कर सभी उपबंध दिनांक 16.09.2024 से प्रभावी होंगे और डीएसएम विनियम, 2024 के विनियम 8 के खंड 8 दिनांक 01.11.2024 से प्रभावी होंगे और दिनांक 31.10.2024 तक याचिका सं. 01/एसएम/2023 में दिनांक 06.02.2023 का आदेश का पैरा 27(3)(क) प्रचालन में जारी रहेगा।

6. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024

आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022 (जिसे इसके पश्चात् ग्रिड कोड कहा गया है) संशोधित करने के लिए दिनांक 12.06.2024 को ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024 जारी किया। दिनांक 15.07.2024 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं। कुल 21 हितधारकों ने अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। ग्रिड कोड के ड्राफ्ट प्रथम संशोध के संबंध में दिनांक 14.08.2024 को जन सुनवाई आयोजित की गई। हितधारकों की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद इन विनियमों को अंतिम रूप दिया गया। निम्नलिखित परंतुकों को ग्रिड कोड के प्रथम संशोधन के अधीन शामिल किया गया

i. याचिका सं.14/एसएम/2023 और 18/एसएम/2023 में दिनांक 30.09.2023 और 18.12.2023 के स्व–प्रेरणा आदेशों के देखते हुए, निम्नलिखित परंतुकों को शामिल किया गया:

ii. पम्प्ड भंडारण संयंत्र के मामले में, यदि अपर्याप्त जलाशय स्तरों के कारण रेटेड जल आहरण स्तरों तक डिजाइन क्षमताएं प्रदर्शित करना सं. भव न हो, तो सीओडी उपलब्ध जल आहरण स्तरों पर क्षमताएं प्रदर्शित करने के बाद घो. षित की जा सकती है, इस शर्त के अध्यधीन कि सीओडी के बाद उसे तुरंत प्रदर्शित किया जाएगा जब पर्याप्त जलाशय स्तर उपलब्ध हो।

iii. वह उत्पादन स्टेशन जिसका टैरिफ अधिनियम की धारा 62 के अधीन अवधारित है, लाभार्थी की सहमति के बिना डे अहेड बाजार में अपनी अप्राप्त अधिशेष विद्युत बेच सकता है।

iv. उत्पादन स्टेशन (लिग्नाइट, गैस–आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशन, और हाइड्रो उत्पादन स्टेशन के अलावा) या ईएसएस को आंशिक आउटेज या किसी अन्य तकनीकी कारण जैसे कारणों के कारण माह के दौरान अधिकतम 60 पुनरीक्षणों के अध्यधीन, घोषित क्षमता और शेड्यूल प्रति दिन के अधिकतम 4 पुनरीक्षणों की अनुमति होगी।

v. लिग्नाइट, गैस पर आधारित उत्पादन स्टेशन या हाइड्रो उत्पादन स्टेशन को कारणों जैसे कि यूनिट की आंशिक आउटेज या किसी अन्य तकनीकी कारण के कारण माह के दौरान अधिकतम 120 पुनरीक्षणों के अध्यधीन, घोषित क्षमता और दिन में अनुसूची के 6 पुनरीक्षणों की अनुमति होगी।

vi. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा पर, उत्पादन स्टेशन या उसके यूनिट की शेड्यूलिंग डी. 2 (जहाँ डी वह तारीख है जब उत्पादन स्टेशन उत्पादन स्टेशन या उसके यूनिट का वाणिज्यिक प्रचालन सूचित करता है)" के 0000 बजे या उत्पादन स्टेशन या उसके यूनिट द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख, जो भी बाद में हो, से आरंभ होगी।

vii. अशक्त विद्युत का अंतःक्षेपण आरईजीएस और ईएसएस (हाइड्रो पीएसपी ईएसएस को छोड़कर) के लिए प्रथम–बार ऊर्जीकरण और एकीकरण (एफटीसी) की तारीख से 45 दिनों के अधिक नहीं होगा।

viii. जिन थर्मल स्टेशनों के टैरिफ आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अधीन अवधारित हैं, उनकी भरपाई लागू टैरिफ विनियमों के उपबंध ों के अनुसार आंशिक भार प्रचालन के लिए की जाएगी।

ix. उत्पादन स्टेशन में 'डी–1' दिवस पर 1430 बजे के बाद 'डी' दिवस के लिए क्रेताओं द्वारा अनुसूचियों के डाउनवार्ड पुनरीक्षण के अनुमति केवल उन लाभार्थियों के लिए होगी जिन्होंने उत्पादन स्टेशन में न्यूनतम टर्नडाउन के उनके संबंधित हिस्से से अधिक शेड्यूल किया है इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसे लाभार्थियों द्वारा डाउनवार्ड पुनरीक्षण की अनुमति इस प्रकार उस मात्रा तक होगी कि उत्पादन स्टेशन का समग्र शेड्यूल कम से कम न्यूनतम टर्नडाउन स्तर पर हो।

x. यदि प्रादेशिक इकाई उत्पादन स्टेशन, जिसका टैरिफ अधिनियम की धारा 62 के अधीन अवधारित है, दिवस के ऑफ–पीक घंटों के लिए न्यूनतम टर्नडाउन स्तर (एमटीएल) से नीचे शेड्यूल करता है जब शेड्यूल दिवस के पीक घंटों के लिए न्यूनतम टर्नडाउन स्तर से ऊपर है, तो उस इकाई द्वारा विभेदक राशि के भुगतान के साथ एससीईडी के माध्यम से समायोजित किया जाएगा जिसे कारण शेड्यूल एमटीएल से नीचे हुआ।

7. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और सहबद्ध मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने दिनांक 05.08.2024 की अधिसूचना सं. एल–1/260/2021/सीईआरसी द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और सहबद्ध मामले) (प्रथम

संशोधन) विनियम, 2024 (डीएसएम विनियम 2024) जारी किया जो कि दिनांक 16.09.2024 से प्रभावी है। तथापि, दिनांक 22.12.2024 तक विनियम 8(8) के लिए याचिका सं. 01/एसएम/2023 में दिनांक 06. 02.2023 का आदेश का टी पैरा 27(3)(क) प्रचालन में बना रहेगा।

आयोग ने बेहतर स्पष्टता के लिए दिनांक 02.10.2024 को उक्त विनियमों में ड्राफ्ट संशोधन जारी किया और उसे भारतीय ग्रिड कोड और उसके उत्तरवर्ती संशोधनों के साथ संरेखित किया। आयोग ने ड्राफ्ट अधिसूचना के संबंध में सुझाव/टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ आमंत्रित करने के लिए दिनांक 02.10.2024 को सार्व. जनिक नोटिस जारी किया और दिनांक 04.11.2024 को जन सुनवाई आयोजित की। डीएसएम (प्रथम संशोधन) विनियम दिनांक 23.12.2024 से प्रवृत्त होंगे।

संशोधित विनियमों में, पवन और सौर (डब्ल्यूएस) विक्रेताओं के लिए 'उपलब्ध क्षमता' (एवीसी) की परिभाषा प्रदान की गई संयोजकता तक सीमित करने के लिए स्पष्ट की गई जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत की निकासी प्रदान की गई संयोजकता से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त, 'संविदा दर' और 'संदर्भ प्रभार दर' की परिभाषाओं को तृतीय पक्ष को निर्बाध पहुंच के माध्यम से विद्युत की बिक्री शामिल करने के लिए अद्यतित किया गया, जो पहले शामिल नहीं थी।

संशोधित विनियम यह भी विनिर्दिष्ट करता है कि अशक्त विद्युत के अंतःक्षेपण के लिए प्रभार शून्य होंगे जब तक कि परीक्षण चालन के बाद शेड्यून न किया जाए। एक अतिरिक्त उपबंध जोड़ा गया जिसमें अधिक अंतःक्षेपण के माध्यम से शेड्यूल की गई अशक्त विद्युत के विचलन के लिए प्रभार शून्य होंगे जब प्रणाली फ्री. क्वेंसी 50.05 हर्टज़ से अधिक होगी।

8. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2025

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के साथ पठित उसकी धारा 61 के अधीन अपनी शक्तियों और इस निमित्त सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के बाद, दिनांक 01.07.2025 को यथा अधिसूचित और समय–समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबधन और शर्तें) विनियम, 2024 (जिसे इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) को संशोधित करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2025 एकीकृत खदानों की इनपुट कीमत के अवधारण के लिए विनियामक ढांचे को सुदृढ् करने के और आंशिक–भार प्रचालन के लिए प्रचालन मानदंडों को शामिल करने हेतु मूल विनियमों के उपबंध में कुछ संशोधनों को प्रभावी बनाता है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने, पूर्व प्रकाशन के बाद, 4 फरवरी, 2025 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2025 अधिसूचित किया।

9. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और सहबद्ध मामले) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने दिनांक 05.08.2024 की अधिसूचना सं.एल–1/260/2021/सीईआरसी द्वारा केविविआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और सहबद्ध मामले) विनियम, 2024 (डीएसएम विनियम, 2024) अधिसूचित किया, जो दिनांक 16.09.2024 को प्रभावी हुए। तथापि, विनियम 8(8), अशक्त विद्युत से निपटने के सं. बंध में, याचिका सं.01/एसएम/2023 में दिनांक 06. 02.2023 के आयोग के पूर्व के आदेश के पैरा 27(3)(क) द्वारा दिनांक 22.12.2024 तक शासित होता रहेगा।

परीक्षण चरण के दौरान ईंधन खपत की लागत वस. ूली के संबंध में थर्मल उत्पादन स्टेशनों द्वारा उठाए गए मुद्दों को और आगे हल करने के लिए, आयोग ने दिनांक 10.05.2025 को डीएसएम विनियम, 2024 के विनियम 8(8) में द्वितीय संशोधन जारी किया। आयोग ने ड्राफ्ट अधिसूचना के संबंध में सुझाव/

टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ आमंत्रित करने के लिए दिनांक 11.06.2025 को सार्वजनिक नोटिस जारी किया और दिनांक 23.06.2025 को जन सुनवाई आयो. जित की। अंतिम डीएसएम (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025 दिनांक 01.07.2025 से प्रभावी होंगे।

डीएसएम (द्वितीय संशोधन) विनियमों के अनुसार, अशक्त विद्युत के अंतःक्षेपण के लिए प्रभार शून्य होंगे। तथापि, थर्मल उत्पादन स्टेशनों के लिए, यूनिट के प्रथम सिंक्रोनाइजेशन की तारीख से परीक्षण चालन के सफल समापन तक ग्रिड में अंतःक्षेपित अशक्त विद्युत की क्षतिपूर्ति रुपए 2.86/किलोवाट घंटा की सीलिंग के अध्यधीन, विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर पर की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि अशक्त विद्युत को सफल परीक्षण चालन के बाद शेड्यूल किया जाता है, तो शेड्यूल की गई अशक्त विद्युत पर विचलन प्रभार सामान्य विक्रेता या डब्ल्यूएस विक्रेता के लिए यथा लागू होंगे।

इसके अतिरिक्त, जब प्रणाली फ्रीक्वेंसी 50.05 हर्ट्ज़ से अधिक हो जाती है, तो सामान्य विक्रेता या डब्ल्यूएस विक्रेता द्वारा अधिक अंतःक्षेपण के माध्यम से सफल परिक्षण चालन के बाद अशक्त विद्युत के अंतःक्षेपण या शेड्यूल की गई अशक्त विद्युत के विचलन के लिए प्रभार शून्य होंगे।

10. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (चौथा संशोधन) विनियम, 2024

1. आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) को संशोधित करने के लिए दिनांक 09.10.2024 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभ. ारों और हानियों की शेयरिंग) (चौथा संशोध. ान) विनियम 2024 जारी किया। दिनांक 25.11. 2024 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं। कुल 39 हितधारकों ने अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। दिनांक 03.01.2025 को ड्राफ्ट संशोधन के लिए जन सुनवाई आयोजित की गई। एमओपी ने दिनांक 30.6.2028 तक ईएसएस के लिए छूट बढ़ाने के लिए दिनांक 10.6.2025 का आदेश जारी किया। इन विनियमों को हितधारकों की टिप्पणियों/सुझावों पर विचार करने और एमओपी के आदेशों के बाद अंतिम रूप दिया गया।

2. शेयरिंग विनियमों के चौथे संशोधन के अधीन निम्नलिखित उपबंधों को शामिल किया गयाः
   - क. अंतर–राज्यिक और अंतःराज्यिक दोनों पारेषण प्रणालियों से दोहरी संयोजकता वाले उत्पादकों के लिए पारेषण विचलन की संगण ाना।
   - ख. एमओपी के दिनांक 29.05.2023, 09.6.2023 और 10.06.2025 के आदेशों के अनुसार ऑफशोर पवन विद्युत परियोजनाओं, ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया संयंत्रों, हाइड्रो पीएसपी ईएसएस और बीईएसएस के लिए अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों की छूट के लिए उपबंध।
   - ग. पवन या सौर स्रोत पर आधारित आरईजीएस या पवन और सौर स्रोत के संयोजन पर आधारित आरएचजीएस या बैटरी ईएसएस जो कि अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों की छूट के लिए पात्र हैं और जिनकी वाणिज्यिक प्रचालन की अनूसूचित तारीख (एससीओडी) 30 जून 2025 को या उससे पूर्व है और जिन्हें पीपीए के अनुसार सक्षम प्राधिकारी या आयोग द्वारा गठित समिति द्वारा एक समय पर छह मास की अवधि और अधिकतम दो बार के लिए पारेषण प्रणाली की गैर–उपलब्धता या उन कारणों से जो आरईजीएस पर आरोप्य नहीं हैं सहित किसी अप्रत्याशित घटना के कारण सीओडी प्राप्त करने के लिए विस्तार प्रदान किया गया है, के संबंध में छूट के विस्तार के लिए उपबंध।
   - घ. टर्मिनल बे (बेज) के लिए प्रभारों के अंतर का उपचार।

ङ. सुसंगत टैरिफ विनियम पर आधारित टैरिफ–आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अधीन परियोजनाओं के लिए आईएसटीएस के लिए उपलब्धता की संगणना।

ख. स्टाफ पेपर

1. **पावर एक्सचेंजों में बोली व्यवहार के संबंध में विनियामक अन्वेक्षण (मई 2024)**

   यह पेपर भारतीय पावर एक्सचेंजों में, विशेष रूप से ग्रिड तनाव की अवधियों या बाजार अनिश्चितता के दौरान असामान्य कीमत वृद्धि और अनियमित बोली से जुड़ी चिंताओं से संबंधित है।

   इसमें बताया गया है कि यूनिफॉर्म बाजार–क्लियरिंग कीमत (यूएमसीपी) पद्धति के माध्यम से किस प्रकार कीमत की खोज होती है, साथ ही इसमें मूल्य वृद्धि और अस्थिरता के बारे में हितधारक की प्रबल चिंताओं का भी संज्ञान लिया गया है।

   केविविआ विनियामक उपकरणों के रूप में "पे–एज–बिड" (पीएबी) मॉडलों और बोली–जांच का उपयोग करते हुए मूल्यांकन करता है, ऐतिहासिक डाटा के प्रति बेंचमार्किंग बोलियों को मूल्यांकन करता है और मजबूत पारदर्शिता, निगरानी और रिपोर्टिंग व्यवस्थाओं का प्रस्ताव करता है।

   यह पेपर सुधारात्मक कार्यवाहियों और बाजार विश्वास पुनःस्थापित करने, विशेष रूप से कीमत परिवर्तनों से अंतिम उपभोक्ताओं को सुरक्षित करने के संबंध में बाजार सहभागियों से टिप्पणियां मांगता है।

2. **पावर बाजार कीमत निर्धारण (2024)**

   यह स्टाफ पेपर डे–अहेड, वास्तविक–समय, और फॉरवर्ड संविदा खंडों को कवर करते हुए भारत के संगठित विद्युत बाजारों में कीमत अवधारण की व्यापक समीक्षा प्रस्तुत करता है।

   यह पेपर विश्लेषण करते हुए कि कब और क्यों कीमतों में वृद्धि उत्पन्न होती है, प्रमुख यूनिफॉर्म–कीमत नीलामी तंत्र और वैश्विक परिप्रेक्ष्यों (ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, भारत) पर चर्चा करता है।

   यह पेपर बाजार कप्लिंग सुदृढ़ करने की आवश्यकता को उजागर करता है, संसाधन पर्याप्तता ढांचों को प्रोत्साहित करता है, और प्रतिस्पर्धा में संवर्धन करता है।

   जिन मुद्दों पर विचार किया जाता है उनमें बोली प्रक्रिया में सुधार करना, कमियों और अधिक कीमतों को हल करने के लिए हस्तक्षेप करना, और कीमत अवधारण पद्धतियों में परिवर्तनों के संबंध में हितधारक इनपुट शामिल हैं।

3. **नवीकरणीय विद्युत खरीद के लिए संगणना संवर्धन कारकों हेतु पद्धति**

   स्टाफ पेपर उचित संवर्धन दरों को निर्धारित करने के लिए सांख्यिकी मॉडलों और फॉर्मलाें की खोज करता है, जो कि प्रतिस्पर्धात्मक नवीकरणीय ऊर्जा खरीदों में स्तरीकृत टैरिफ संगणनाओं के लिए महत्वपूर्ण है।

   यह विभिन्न सूचीकरण पद्धितयों की तुलना करता है जैसे कि वर्ग त्रुटि या असहमति गुणांक को न्यूनतम करना ताकि संवधर्न कारकों को और अधिक सटीक बनाया जा सके और वास्तविक मुद्रास्फीति और लागत प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित किया जा सके।

   इस दृष्टिकोण का उद्देश्य विद्युत क्रय करारों (पीपीए) के बीच संवर्धनों की संगणना को मानकीकृत करना और वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और उत्पादकों के लिए वित्तीय पूर्वानुमान को सुदृढ़ करना है।

4. **पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों के लिए विधि में परिवर्तन क्षतिपूर्ति हेतु तंत्र**

   यह पेपर कोयला–आधारित थर्मल संयंत्रों के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा लगाए गए नए उत्सर्जन मानकों के संबंध में केविविआ की 2021 क्षतिपूर्ति तंत्र को अद्यतित करता है।

   यह पेपर रेखांकित करता है कि उत्पादक किस प्रकार से अपने पीपीए के अधीन "विधि में परिवर्तन" घटनाओं के लिए टैरिफ वृद्धि का दावा कर सकते हैं, जिसमें अतिरिक्त पूंजीगत लागतें (जैसे उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियाँ), व्यय, अभिकर्मक उपभोग, और आनुषंगिक ऊर्जा शामिल है।

   क्षतिपूर्ति तंत्र का उद्देश्य प्रभावित पक्ष को आर्थिक रूप से पुनर्स्थापित करना है जिसमें मूल्यह्रास, पूंजीगत लागत और स्वीकार्य व्यय के लिए पारदर्शी फॉर्मूलों,का उपयोग किया जाता है और पर्यावरण अनुपालन को कायम रखते हुए उत्पादकों को वित्तीय संकट से बचाया जाता है।

5. विनियामक क्रियाविधियां एवं प्रक्रिया

1. विनियमक क्रियाविधियां एवं प्रक्रिया

केंद्रीय आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अधीन अपने निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करता हैः

i. विनियमों को अधिसूचित करता है

ii. निम्नलिखित से संबंधित याचिकाओं पर आदेश जारी करता हैः

क. टैरिफ का अवधारणा करने

ख. अनुज्ञप्ति जारी करने

ग. प्रकीर्ण मामले

विनियमों के लिए क्रियाविधि

आयोग विनियम जारी करने से पूर्व विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करता है। प्रारंभ में, उस मुद्दे पर परामर्श पेपर तैयार किया जाता है जिस पर विनियम बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रायः परामर्श पेपर कर्मचारीवृंद स्तर पर तैयार किया जाता है और उसे स्टाफ पेपर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद, परामर्श पेपर/स्टाफ पेपर का पणधारियों (स्टेक होल्डरों) से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए इलैक्ट्रानिक और प्रिंट माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है। आक्षेप और सुझावों की प्राप्ति पर, मुद्दों पर विस्तृत रूप से विचार–विमर्श करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई की जाती है।

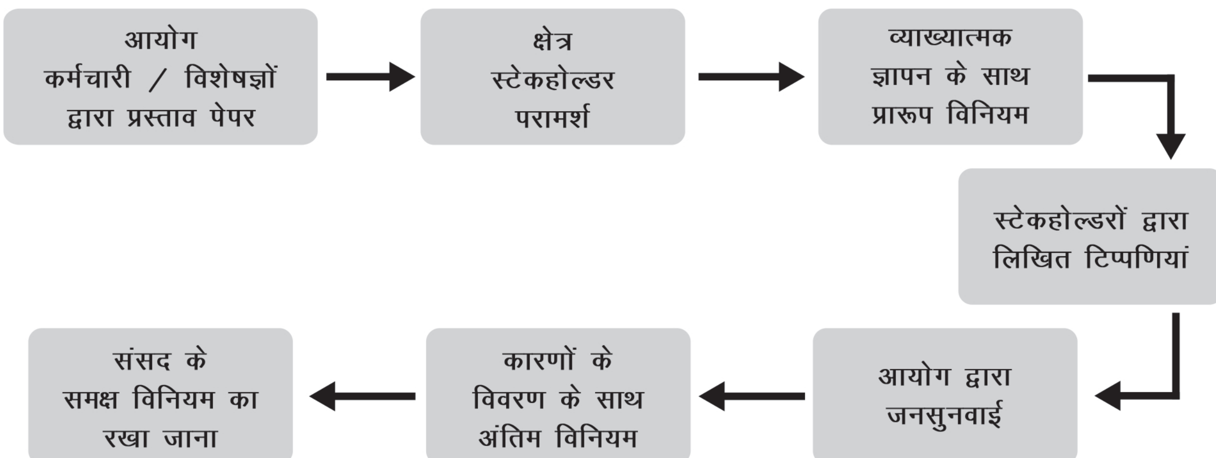

चित्रः विनियम के निर्माण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के प्रवाह का चित्र

प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों और सार्वजनिक सुनवाई में हुए विचार–विमर्श के आधार पर प्रारूप विनियम तैयार किए जाते हैं। अधिनियम की अपेक्षानुसार, प्रारूप विनियमों पर पूर्व प्रकाशन की कार्रवाई की जाती है। इससे यह लक्षित होता है कि प्रारूप विनियम पणधारियों से टीका टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए प्रकाशित किए गए हैं। आक्षेप और सुझाव प्राप्त होने और उन पर विचार करने के पश्चात् ही विनियमों को अंतिम रूप से भारत के राजपत्र में प्रक. ाशित/अधिसूचित किया जाता है तथा कारणों के कथन को पृथक रूप से वेबसाइट पर डाला जाता है।

याचिकाओं से संबंधित आदेशों के लिए प्रक्रिया

आयोग के समक्ष याचिकाएं/आवेदन प्राथमिक रूप से निम्नलिखित के लिए किए जाते हैंः

I. उत्पादन और पारेषण के लिए टैरिफ का निर्धारण करने;

II. विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण और अंतर–राज्यिक व्यापार में अनुज्ञप्ति प्रदान करने।

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित याचिकाएं/आवेदन भी आयोग के समक्ष फाइल किए जाते हैंः

I. विविध याचिकाएं

II. पुनर्विलोकन याचिकाएं

आवेदक विहित फीस के साथ याचिकाएं दायर करते हैं और अपनी याचिकाओं के प्रति सभी संबंधितों को तामील करते हैं। आवेदकों से टैरिफ तथा अनुज्ञप्ति के लिए अपने आवेदन को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने और जनता से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए समाचारपत्र से नोटिस देने की अपेक्षा भी की जाती है। तत्पश्चात, सार्वजनिक सुनवाई की जाती है जिन पर याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी आयोग के समक्ष अपने मामले का तर्क प्रस्तुत करते हैं। आयोग सभी संबंधित व्यक्तियों की सुनवाई करने के पश्चात् याचिका पर अंतिम आदेश पारित करता है। याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी आयोग के समक्ष याचिका का पुनर्विलोकन करने और विद्युत अपील प्राधिकरण के समक्ष आयोग के आदेश के विरूद्ध अपील करने के लिए विधि के अधीन पात्र हैं।

टैरिफ अवधारण करने की प्रक्रिया और सिद्धान्त

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सृजन के पूर्व, केंद्रीय उत्पादन कंपनियों, अर्थात एनटीपीसी, एनएचपीसी, एनएलसी और नीपको, का टैरिफ, परियोजना विशिष्ट अधिसूचनाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा रहा था। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन जुलाई, 1998 से अस्तित्व में आया। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग को, अन्य बातों के साथ–साथ, केंद्रीय उत्पादन कंपनियों के टैरिफ के निर्धारण का कार्य सौंपा गया था। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए, आयोग से टैरिफ के निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप देने की अपेक्षा की गई थी। सभी पणधारियों की सुनवाई की पारदर्शी प्रक्रिया पूरा करने के पश्चात आयोग ने टैरिफ के निबंधनों एवं शर्तों को तीन वर्ष की अवधि, अर्थात 2001–04 के लिए मार्च, 2001 में अंतिम रूप दिया तथा उन्हें अधिसूचित किया। विद्युत अधिनियम, 2003 (जिससे अन्य बातों के साथ–साथ, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 निरसित हो गया) के अधिनियमन के पश्चात्, आयोग ने 2004–09 की पांच वर्ष की अवधि तथा मार्च, 2009 में 2009–14 की एक और पांच वर्ष की अवधि के लिए टैरिफ के निबंधन और शर्तों और वर्ष 2014–19 की टैरिफ अवधि के लिए फरवरी, 2014 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 को अधिसूचित किया। उपर्युक्त अधिसूचनाओं में केन्द्र/स्टेशन/राज्य–वार उत्पादन टैरिफ तथा लाइन या प्रणाली–वार पारेषण टैरिफ को निर्धारण करने का उपबंध है। आयोग ने 15 मार्च, 2024 की अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 जारी किया जो 1.4.2024 से 31.03.2029 तक प्रभावी रहेंगे।

टैरिफ समय–समय पर यथा लागू टैरिफ के निबंधनों और शर्तों के अनुसार तय किया जाता है। निबंधन और शर्तों में वित्तीय मानदंड और तकनीकी मानदंड विहित हैं। टैरिफ को प्रायः लागत प्लस टैरिफ कहा जाता है क्योंकि परियोजना की पूंजी लागत टैरिफ संगणना के लिए आरंभक बिन्दु होती है। इसे विनियमित टैरिफ कहना अधिक समुचित होगा क्योंकि वास्तविक पूंजी व्यय से भिन्न टैरिफ के लिए स्वीकार्य अधिकांश वित्तीय और तकनीकी पैरामीटर मानकीय होते हैं न कि वास्तविक। थर्मल केंद्रों के लिए परिवर्तनीय प्रभार, मासिक भारित औसत कीमत और ईंधन के हीट मूल्य के अनुसार ईंधन कीमत के लिए संशोधित किए जाते हैं। टैरिफ की गणना काफी विस्तृत है, क्योंकि टैरिफ में शामिल विभिन्न तत्वों की संगणना अलग–अलग करके पूर्ण टैरिफ प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक उत्पादन स्टेशन के लिए टैरिफ उसकी स्वीकृत पूंजीगत लागत, आधार ईंधन कीमत एवं सकल कैलोरी मान (जीसीवी), तथा दक्ष प्रचालन के लिए लागू मानदंडों के आधार पर अलग–अलग होता है। यह प्रक्रिया समय लेने वाली है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उत्पादक कुशलतापूर्वक और किफायती ढंग से प्रचालन करें और अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करके विक्रेता उपयोगिताओं से ऊँची कीमतें न वसूलें।

6. वर्ष 2024–25 के दौरान गतिविधियां

वर्ष 2024–25 के दौरान गतिविधियां

विधिक कार्यवाहियां

वर्ष 2024–25 के दौरान कुल 819 याचिकाएं दाखिल हुई इसके अतिरिक्त 674 याचिकाएं पिछले वर्ष 2023–24 से आगे लाई गई जिससे याचिकाओं की कुल संख्या 1493 हो गयी इनमें से 606 याचिकाएं वर्ष 2024–25 के दौरान निपटाई गयी याचिकाओं को विस्तृत विवरण अनुबंध 1 में दिया गया है।

2024–25 में जारी किये गये मुख्य निर्णय/विनियम

1. **केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2024 अधिसूचना दिनांक 12.06.2024**

   केविविआ ने पूर्व प्रकाशन के बाद और इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के खंड (2) के उपखंड (एस) के साथ पठित धारा 61 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2024 अधिसूचित किया। विनियम का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी और सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ग्रिड अत:क्रिया विद्युत परियोजना के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन एवं शर्तों को विर्निष्ट करना है।

   विनियम उन सभी मामलों के लिए लागू होंगे जहां उत्पादन स्टेशन या उसके यूनिट के लिए टैरिफ ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित है और अधिनियम के धारा 79 के साथ पठित धारा 62 के अधीन कवर किये गये हैं। विनियमों की नियत्रंण अवधि 1.7.2024 से 31.03.2027 होगी। नियत्रंण अवधि के दौरान आरंभ की गयी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इन विनियमों के अनुसार अवधारित टैरिफ इस प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना टैरिफ अवधि के लिए वैध रहेगी। विनियमों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तीय में तकनीकी मानदंड़ों को शामिल करते हुए मानदंड़ों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

   आयोग ने दिनांक 12.06.2024 को केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ आधारित निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2024 अधिसूचित किया। ये विनियम दिनांक 1.07.2024 से प्रवृत होगा।

2. **केविविआ (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि निबंधन एवं शर्ते तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2024 अधिसूचना दिनांक 14.06.2024 और राजपत्र संख्या 413 दिनांक 14.06.2024.**

   आयोग ने दिनांक 23.05.2024 को केविविआ (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि निबंधन एवं शर्ते तथा अन्य संबंध मामले) विनियम 2023 जारी किया।

   केविविआ (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि निबंधन एवं शर्ते तथा अन्य संबंध मामले) विनियम 2024 की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैः

   क. अनुज्ञप्ति प्रदान करने में बहुविध उपायों में शामिल टाईमलाईन को पारेषण अनुज्ञप्ति याचिकाओं के शीघ्र निपटान के लिए कम किया गया है।

   ख. एक अनुज्ञप्तिधारी जिसे परियोजना मोड(लेकिन एसपीवी मोड में नहीं) में टीबीसीबी के माध्यम से किसी अन्य पारेषण प्रणाली के आवंटन पर टीबीसीबी के माध्यम से विकास के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गयी है, अतिरिक्त पारेषण प्रणाली को शामिल करने के लिए इसकी मौजूदा अनुज्ञप्ति में संशोधन प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार एक अनुज्ञप्तिधारी जिसे किसी अन्य परियोजना के आवंटन के बाद आरटीएम मोड में पारेषण प्रणाली के विकास के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गयी है। अतिरिक्त पारेषण प्रणाली को जोड़ने के लिए इसके मौजूदा अनुज्ञप्ति में संशोधन की मांग कर कर सकता है।

   ग. एक वितरण अनुज्ञप्ति या बल्क उपभोक्ता को अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के साथ इसकी प्रणाली को संबंध करने के लिए पारेषण

लाईन के विकास के रखरखाव और प्रचालन के लिए अनुज्ञप्ति की मांग करना अपेक्षित नहीं है।

घ. अनुज्ञप्ति के जारी करने की तारीख से 25 वर्षों की समाप्ति पर अधिनियम की धारा 62 के अधीन कवर की गयी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति उसी समय 25 वर्षों की दूसरी अवधि स्वतः नवीनीकृत हो जाएगी। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी आयोग के समक्ष आवेदन करते हुए 25 वर्षों से कम की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण की मांग कर सकता है।

ङ. इसके अलावा, 25 वर्षों से आगे की अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए अधिनियम की धारा 63 के अधीन कवर किये गये पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की आरंभिक अवधि के समाप्त होने से पूर्व दो वर्षों में आयोग के समक्ष आवेदन करेगा।

च. दिनांक 13.04.2006 के पत्र के माध्यम से विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्गनिदेशों के अंतर्गत विकसित पारेषण परियोजनाओं के लिए विस्तारित अवधि के लिए टैरिफ जिसे बोली के अधीन उदृत नहीं किया गया था, आयोग द्वारा निर्णीत किया जाएगा।

छ. दिनांक 10.08.2021 के पत्र के माध्यम से विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्गनिदेशों के अधीन विकसित की जा रही परियोजनाए उक्त मार्गनिर्देशों के अनुसार अधिशासित होगी।

ज. यदि टीबीसीबी के अधीन अनुज्ञप्तिधारी का पारेषण घटक सीटीयू की पारेषण योजना के कारण संशोधित या पुनसंरूपित किया जाना अपेक्षित है तो उसके लिए अतिरिक्ति वित्तीय प्रभाव उस अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किये जाएंगे जिसे मूल अनुज्ञप्तिधारी के पारेषण प्रभारों को प्रभावित किये बिना इसे निर्दिष्ट किया गया है।

3. दिनांक 19.6.2024 की अधिसूचना केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (दूसरा संशोधन) विनियम 2024 और दिनांक 01.07.2024 का राजपत्र संख्या 469.

आयोग ने केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम 2022 (इसके बाद जीएनए विनियम 2022 के रूप में उल्लिखित) के संशोधन के लिए दिनांक 16.02.2024 को केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम 2024 (इसके बाद जीएनए विनियम 2024 के रूप में उल्लिखित) जारी किया। विनियमों को अंतिम रूप दिया गया और दिनांक 19.06.2024 को जारी किया गया। जीएनए के द्वितीय संशोधन विनिमय 2024 की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैः

मुख्य विशेषताएं

क. नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी या आरईआईए की परिभाषा शामिल की गयी है।

ख. संयोजकता आवेदन के संबंध में संशोधन।

ग. संयोजकता प्रदान करने के लिए या जीएनए प्रदान करने के लिए आवेदन की संवीक्षा।

घ. संयोजकता के आवेदक के नाम में अग्रिम अधिकार पत्र सहित भूमि के आवंटन के लिए राज्य सरकारी आदेश में भूमि उपयोग अधिकारों के लिए वैध दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है।

ङ. 10 लाख रूपए/मेगावाट की भूमि दस्तावेज– बैंक गारंटी के स्थान पर बैंक गांरटी को प्रस्तुत करने पर आधारित संयोजकता प्रदान करने के लिए आवेदन 1000 मेगावाट की क्षमता तक संयोजकता की मांग करने के लिए लागू होगा और 100 करोड़ रूपए प्लस 5 लाख रूपए/मेगावाट की बैंक गारंटी 1000 मेगावाट की क्षमता के लिए संयोजकता की मांग करने के लिए लागू होगी।

च. नोडल एजेंसी द्वारा संयोजकता को सैंधांतिक रूप से प्रदान करने की सूचना के लिए टाईमलाईन 30 दिन तक कर दी गयी है।

छ. आवेदक द्वारा अंतरवर्ती माइल्सटोन के दस्तावेजों को प्रस्तुत करना।

ज. बैंक गांरटी रूट के अधीन आवेदकों के लिए भूमि दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की टाईमलाईन बढ़ा दी गयी है और यह संयोजकता को सैधांतिक रूप से प्रदान करने को जारी करने के 18 महिने के अंदर या संयोजकता को अंतिम रूप से प्रदान को जारी करने के 12 महिनों के अदंर जो भी पहले हो, कर दी गयी है।

झ. वित्तीय क्लोजर वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित ता. रीख से पूर्व 6 महिने तक आवेदक द्वारा या इस प्रकार के आवेदक की संयोजकता की आरंभिक तारीख, जो भी बाद में हो, तक प्राप्त किया जाना है।

ञ. यदि संयोजकता अनुदान ग्राही निर्धारित समय से अंदर वित्तीय क्लोजर प्राप्त करने में असफल रहता है तो भूमि के स्थान पर प्रस्तुत किया गये बीजी को नकदीकृत किया जाएगा।

ट. एलओए रूट से (विनियम 5.8 के खंड (xi)(क) के अधीन से विनियम 5.8 के खंड (xi)(ख) तक या विनियम 5.8 के खंड (xi)(ग) के अधीन भूमि बीजी रूट तक संयोजकता का संपरिवर्तन।

4. केविविआ (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र का फीस एवं प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2024 अधिसूचना दिनांक 12.07.2024 और राजपत्र संख्या 588 दिनांक 1.8.2024

आयोग ने प्रत्येक पांच वर्ष की नियंत्रण अवधि के लिए अधिनियम की धारा 28 के अधीन आरएलडीसी और एनएलडीसी के लिए फीस एवं प्रभारों के अवधारण के लिए विनियम जारी किए। नियंत्रण अवधि 1.4.2024 से 31.03.2029 तक के लिए केविविआ (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र का फीस एवं प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2024 का मसौदा 4.4.2024 को जारी किया। टिप्पणियां 20.05.2024 तक आमंत्रित की गयी सार्वजनिक सुनवाई 30.05.2024 को आयोजित की गयी। केविविआ (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र का फीस एवं प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2024 इसके बाद आरएलडीसी फीस एवं विनियम प्रभार 2024 के रूप में उल्लिखित है) को पणधारकों की टिप्पणियों पर विचार करने बाद अंतिम रूप दिया गया और 12.07.2024 को जारी किया गया। आरएलडीसी फीस एवं प्रभार विनियम 2024 की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है।

मुख्य विशेषताएं

1. आरएलडीसी फीस एवं प्रभार विनियम 2024 सीईआरसी के विभिन्न विनियमों के अधीन अपेक्षाओं पर विचार करते हुए कुछ परिवर्तन सहित केविविआ (आरएलडीसी फीस एवं प्रभार एवं अन्य संबंद मामले) विनियम 2019 (इसके बाद आरएलडीसी फीस एवं प्रभार विनियम 2019 के रूप में उल्लिखित) के अनुसार तैयार किया गया।

2. आरएलडीसी फीस एवं प्रभार के कुछ संघटक निम्नानुसार है

   (i) पूंजी व्यय(कैपेक्स)

   (ii) वार्षिक एलडीसी प्रभार

   (iii) प्रयोक्ताओं का पंजीकरण

   (iv) भार प्रेषण केन्द्र विकास निधि

   (v) कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन

   (vi) प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन

   (vii) पीएलआई के अवधारण के लिए मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतक

   (viii) विलंब भुगतान अधिभार

   (ix) भुगतान प्रतिभूति तंत्र

5. केविविआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं संबद्ध मामले) विनियम 2024 अधिसूचना दिनांक 5.8.2024 और राजपत्र संख्या 642 दिनांक 21.08.2024

1. केविविआ ने विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का

36) की धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ग) और (एच) के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केविविआ (विचलन व्यवस्थाप तंत्र एवं संबद्ध मामले) विनियम 2024 (डीएसएम विनियम 2024) अधिसूचित किया। इन विनियमों का उद्देश्य वाणिज्यिक तंत्र प्रदान करना है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रिड प्रयोक्ता विचलन नहीं करते और ग्रिड की स्थिरता और सुरक्षा के हित में विद्युत के आहरण और अंतःक्षेपण की उनकी अनुसूचियों का पालन करते हैं। विनियम सभी ग्रिड संबद्ध प्रादेशिक इकाइयों और विद्युत की अंतःराज्यिक बिक्री और खरीद में लगी अन्य इकाइयों के लिए लागू होंगे।

2. विनियमों में सामान्य विक्रेताओं रन आफ रिवर हाइड्रो उत्पान स्टेशनों, पवन एवं सौर उत्पादन स्टेशनों जैसे ग्रिड संबद्ध इकाइयों के लिए अधिक अंतःक्षेपण या कम अंतःक्षेपण के माध्यम से प्रभारों की व्यवस्था है। इन विनियमों में निर्धारित विचलनों के लिए प्रभार क्रेता द्वारा अधिक आहरण या विक्रेता द्वारा कम अंतःक्षेपण के लिए प्रतिदेय के समय क्रेता द्वारा कम आहरण या विक्रेता द्वारा अधिक अंतःक्षेपण के लिए प्राप्ति योग्य है। सामान्य विक्रेताओं और क्रेताओं के लिए प्रचालन फ्रिक्वेंसी बैंड अर्थात 49.90 हटर्ज से 50.05 हटर्ज तक के अंदर ग्रेड किये गये हैं। तथापि, प्रचालन बैंड के आगे विचलन प्रभारों को फ्रिक्वेंसी का ध्यान किये बिना फ्लैट रखा जाता है। इसके अलावा ग्रेड किये गये विचलन प्रभार संबंधित क्रेताओं और विक्रेताओं के आरंभिक मात्रा सीमा तक सीमित है जिसके आगे प्रभारों को इस तरीके से प्रस्तावित किया जाता है कि कोई ऐसा आगे का विचलन को हतोत्साहित किया जाएगा। विनियमों में पवन एवं सौर उत्पादन स्टेशनों के लिए विचलन बैंडों सहित स्टैड अलोन या सहस्थित ऊर्जा स्टोरेज परियोजनाओं के मामले में विचलन के संव्यवहार की भी व्यवस्था है।

3. ये विनियम 5.08.2024 को अधिसूचित किये गये और डीएसएम विनियम 2024 के विनियम खंड 8 को छोड़कर सभी उपबंधों को छोड़कर 16.09.2024 से प्रभावी होंगे और डीएसएम विनियम 2024 के विनियम 8 के खंड 8, 1.11.2024 से प्रभावी होंगे और 31.10.2024 तक याचिका संख्या 1/एसएम/2025 के 6.02.2023 के आदेश के पैरा 27(3)(क) प्रचालन में जारी रहेगा।

6. केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (प्रथम संशोधन) विनियम 2024

आयोग ने केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2022 (इसके बाद ग्रिड कोड के रूप में उल्लिखित) के संशोधन के लिए ड्राफ्ट केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) प्रथम संशोधन विनियम 2024 दिनांक 12.06.2024 को जारी किया। टिप्पणियां 15.07.2024 तक आमंत्रित की गयी। कुल 21 पणधारकों ने अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की। ग्रिड कोड में प्रथम संशोधन के ड्राफ्ट पर सार्वजनिक सुनवाई 14.08.2024 को की गयी। विनियमों को पणधारकों की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद अंतिम रूप दिया गया है। निम्नलिखित उपबंधों को ग्रिड कोड के प्रथम संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया है

1. याचिका संख्या 14/एसएम/2023 और 18/एसएम/2023 में स्वप्रेरणा आदेश में दिनांक 30.09.2023 और 18.12.2023 को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित उपबंधों को शामिल किया गया।

   (i) पंप स्टोरेज संयंत्र के मामले में यदि अपर्याप्त जलाशय स्तरों के कारण वर्गीकृत जल स्तरों तक डिजाइन क्षमताओं को प्रदर्शित करना संभंव नहीं है तो सीओडी इस शर्त के अध्यधीन उपलब्ध जल आहरण स्तरों पर क्षमताओं को प्रदर्शित करने के बाद घोषित की जा सकती है कि वह तत्काल प्रदर्शित की जाएगी जब पर्याप्त जलाशय स्तर सीओडी के बाद उपलब्ध है।

(ii) उत्पादन स्टेशन जिनका टैरिफ अधिनियम की धारा 62 के अधीन अवधारित है, हिताधिकारी की सहमति के बिना डे अहेड मार्केट में इसकी अनापेक्षित अधिशेष पावर का विक्रय कर सकता है।

(iii) उत्पादन स्टेशन (लिग्नाईट गैस आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशन और हाईड्रो उत्पादन स्टेशन से भिन्न) या ईएसएस को आंशिक आउटेज या किसी अन्य तकनीकी कारणों से माह के दौरान अधिकतम 60 पुनरीक्षणों के अध्यधीन घोषित क्षमता और प्रतिदिन अनुसूची के अधिकतम चार पुनरीक्षणों की अनुमति होगी।

(iv) लिग्नाईट, गैस या हाईड्रो उत्पादन स्टेशन पर आधारित उत्पादन स्टेशन को 120 पुनरीक्षणों के अध्यधीन घोषित क्षमता और प्रतिदिन अनुसूची के अधिकतम छह पुनरीक्षणों की अनुमति होगी।

2. वाणिज्यिक प्रचालन तारीख की घोषणा पर उत्पादन स्टेशन या उसके यूनिट का अधिसूचिकरण डी़2 के 0000 घंटों से आरंभ होगा(जहां डी वह तारीख है जब उत्पादन स्टेशन या उसके यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन को सूचित करता है) या उत्पादन स्टेशन या उसके यूनिट द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख जो भी बाद में है।

3. इनफर्म पावर का अंतःक्षेपण आरईजीएस और ईएसएस(हाईड्रो पीएसपी ईएसएस को छोड़कर) के लिए प्रथम बार ऊर्जाकरण और समेकन (एफटीसी) अनुमोदन की तारीख से 45 दिनों के अधिक नहीं होगा।

4. थर्मल उत्पादन स्टेशन जिनका टैरिफ आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अधीन अवधारित किया गया है, लागू टैरिफ विनियमों के उपबंधों के अनुसार आंशिक भार प्रचालन के लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी।

5. उत्पादन स्टेशन में डी़1 दिवस पर 1430 घंटों के बाद डी दिवस के लिए क्रेताओं द्वारा अनुसूचियों का अधोगामी पुनरीक्षण केवल उन्ही हिताधिकारियों के लिए अनुज्ञेह है जिन्हे इस शर्त के अध्यधीन उत्पादन स्टेशन में न्यूनतम टर्नडाउन स्टेशन में उनके संबंधित शेयर के ऊपर अनुसूचित किया गया है कि इस प्रकार के हिताधिकारियों द्वारा अधोगामी पुनरीक्षण इस प्रकार के मात्रा तक सीमित करना अनुज्ञेय होगा कि उत्पादन स्टेशन की समूची अनुसूची कम से कम न्यूनतम अधोगामी स्तर पर हो।

6. प्रादेशिक इकाई उत्पादन स्टेशन के मामले में जिनका टैरिफ अधिनियम की धारा 62 के अधीन अवधारित वहां उस दिवस के आफपीक अवधि के लिए जब अनुसूचियां दिन के पीक घंटों के लिए न्यूनतम अधोगामी स्तर से ऊपर है तो उन्हे उस इकाई द्वारा विभेदक रकम जिससे एमटीएल के नीचे अनुसूची हुई है, के भुगतान सहित एससीईडी के माध्यम से समायोजित किया जाएगा।

7. केविविआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम 2024

केविविआ ने अधिसूचना संख्या एल/1/260/2021–केविविआ दिनांक 5.08.2024 के माध्यम से केविविआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम 2024 (डीएसएम विनियम 2024 जारी किया जो 16.09.2024 से प्रभावी है। तथापि 22.12.2024 तक विनियम 8(8) के लिए, याचिका सं. 01/एसएम/2023 के दिनांक 6.02.2023 के आदेश के पैरा 27(3)(क) प्रचालन में जारी रहेगा। आयोग ने बेहतर स्पष्टता के लिए 02.10.2024 को उक्त विनियम के लिए ड्राफ्ट संशोधन जारी किया और उसे भारतीय ग्रिड कोड और इसके परवर्ती संशोधनों के अनुरूप किया।

आयोग ने ड्राफ्ट अधिसूचना पर सुझावोंधटिप्पणियोंध आपत्तियों को आमंत्रित करते हुए दिनांक 02.10.2024 को सार्वजनिक नोटिस जारी किया और 4.11.2024 को सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की। डीएसएम(प्रथम संशोधन) विनियम 23.12.2024 से प्रवृत्त होगा।

संशोधित विनियमों में पवन और सौर विक्रेताओं के लिए उपलब्ध क्षमता की परिभाषा यह सुनिश्चित करते हुए प्रदान की गई संयोजकता की मात्रा तक सीमित करने के लिए स्पष्ट की गयी है कि विद्युत निकासी प्रदान की गयी संयोजकता से अधिक नहीं है। इसके अलावा, कान्ट्रेक्ट दर और संदर्भ प्रभार दर की परिभाषाएं थर्ड पार्टी को निर्बाध पहुंच के माध्यम से विद्युत की बिक्री को शामिल करने के लिए अद्यतन की गयी है जिसे पहले बाहर किया गया था।

संशोधित विनियम में भी यह विनिर्दिष्ट है कि इन्फर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए प्रभार ट्रायल रन के बाद अनुसूचित तक शून्य होगा। अतिरिक्त उपबंध जोड़ा गया है जिसमें अधिक अंतःक्षेपण के माध्यम से अनुसूचित इन्फर्म पावर से विचलन के लिए प्रभार शून्य होगा जब प्रणाली फ्रिक्वेंसी 50.05 हटर्ज से अधिक हो जाती है।

8. केविविआ(टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2025

केविविआ विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 61 के साथ पठित की धारा 178 के अधीन इसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व प्रकाशन के बाद एतत द्वारा केविविआ(टैरिफ की निबंधन एवं शर्ते) विनिमय, 2024 और 1.7.2025 को अधिसूचित तथा समय समय से संशोधित(इसके बाद 'मूल विनियम' के रूप में उल्लिखित) को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है।

केविविआ(टैरिफ की निबंधन एवं शर्ते) (प्रथम संशोधन) विनिमय, 2025 समन्वित खनन की इनपुट कीमत के अवधारण के लिए विनियामक फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करने और आंशिक भार प्रचालन के लिए प्रचालनगत मानदड़ों को शामिल करने के लिए मूल विनियमों के उपबंधों के कुछेक संशोधनों को प्रभा. वित करता है। पूर्व प्रकाशन के बाद केविविआ ने 4.2.2025 को केविविआ(टैरिफ की निबंधन एवं शर्ते) (प्रथम संशोधन) विनिमय, 2025 अधिसूचित किया।

9. केविविआ(विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्थ मामले) (दूसरा संशोधन) विनियम 2025

केविविआ ने अधिसूचना सं. एल1/260/2021–केविविआ दिनांक 5.08.2024 के माध्यम से केविविआ(विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्थ मामले) विनियम 2024 अधिसूचित किया जो 16.09.2024 को प्रभावी हुआ। तथापि, इन्फर्म पावर के संव्यवहार के संबंध में विनियम 8(8) 22.12.2024 तक याचिका सं. 01/एसएम/2023 दिनांक 6.02.2023 के आयोग के पूर्ववर्ती आदेश के पैरा 27(3)(क) द्वारा अधिशासित रहना जारी रहा।

परीक्षण चरण के दौरान ईंधन उपभोग की लागत वसूली के संबंध में थर्मल उत्पादन स्टेशनों द्वारा की गयी चिंता का पता लगाने के लिए आयोग ने 10.05.2025 को डीएसएम विनियम 2024 के विनिमय 8(8) में दूसरा संशोधन जारी किया। आयोग ने ड्राफ्ट अधिसूचना पर सुझावों/टिप्पणियों/आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए 11.06.2025 को सार्वजनिक नोटिस जारी किया। अंतिम डीएसएम(दूसरा संशोधन) विनियम 2025 दिनांक 1.7.2025 से प्रभावी हुआ।

डीएसएम(दूसरा संशोधन) विनियम 2025 के अनुसार, इन्फर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए प्रभार शून्य होगा। तथापि, थर्मल उत्पादन स्टेशनों के लिए, ट्रायल रन की सफल समाप्ति तक यूनिट के प्रथम सिन्क्रोनाईजेशन की तारीख से ग्रिड में अंतःक्षेपित इन्फर्म पावर 2.86 रुपयेध्किलोवाट घंटे की सीमा के अध्यधीन विचलन के लिए प्रभारों की /सामान्य दर पर क्षतिपूर्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि इन्फर्म पावर सफल ट्रायल रन के बाद अनुसूचित की जाती है तो अनुसूचित इन्फर्म पावर पर विचलन प्रभार सामान्य विक्रेता या डब्ल्यूएस विक्रेता यथा लागू होगा।

इसके अलावा जब प्रणाली फ्रीक्वेसी 50.05 हटर्ज से अधिक हो जाती है तो इन्फर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए या सामान्य विक्रेता या डब्ल्यू एस विक्रेता द्वारा अधिक अंतःक्षेपण के माध्यम से सफल ट्रायल रन के बाद अनुसूचित इन्फर्म पावर के विचलन के लिए प्रभार शून्य होगा।

10. केविविआ(अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (चतुर्थ संसोधन) विनियम 2025

आयोग ने केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2020 (इसके बाद शेयरिंग विनियम के रूप में उल्लिखित) के संशोधन के लिए दिनांक 9.10.2024 को ड्राफ्ट केविविआ(अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (चतुर्थ संसोधन) विनियम 2024 जारी किया। टिप्पणियां 25.11.2024 तक आमंत्रित की गयी कुल 39 पणधारकों ने अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की। ड्राफ्ट संशोधन के लिए सार्वजनिक सुनवाई 03.01.2025 को आयोजित की गयी। विद्युत मंत्रालय ने 30.06.2028 तक ईएसएस के लिए अधित्याग को बढ़ाते हुए दिनांक 10.06.2025 को आदेश जारी किया। विनियमों को पणधारको की टिप्पणियों/सुझावों तथा विद्युत मंत्रालय के आदेशो पर विचार करने के बाद अंतिम रूप दिया गया।

निम्नलिखित उपबंधों शेयरिंग विनियमों के चतुर्थ संशोधन के अधीन शामिल किया गया है:

क. अंतरराज्यिक और अंतःराज्यिक पारेषण प्रणालियों दोनों को दोहरी संयोजकता वाले उत्पादको के लिए पारेषण विचलन की संगणना।

ख. विद्युत मंत्रालय के आदेश दिनांक 29.05.2023, 09.06.2023 और 10.06.225 के अनुसार आफशोर पवन विद्युत परियोजनाए ग्रिड हाईड्रोजन, ग्रीन अमोनिया संयंत्र, हाईड्रो पीएसपी ईएसएस और बीईएसएस के लिए अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों के अधित्याग के लिए उपबंध।

ग. पवन या सौर स्रोतों पर आधारित आरईजीएस या पवन एवं सौर स्रोत या बेटरी ईएसएस के मिश्रण पर आधारित जो अधित्याग के विस्तार के लिए उपबंध जो अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों के लिए अर्हक हैं और 30.06.2025 को या पूर्व की अनुसूचित तारीख वाले और जिन्हें पारेषण प्रणाली की उपलब्धता या आयोग द्वारा गठित समिति या पीपीए के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा छह महिने की अवधि के लिए और दो बार से अधिक नहीं, के लिए आरईजीएस को गैर प्रदान करने वाले कारणों के लिए या पारेषण प्रणाली की गैर उपलब्धता सहित किसी प्रत्याशित घटना के कारण सीओडी प्राप्त करने के लिए समय का विस्तार प्रदान किया गया।

घ टर्मिनल बे के लिए मिसमैच चार्ज का ट्रीटमेंट।

ङ संबंधित टैरिफ अधिसूचना के आधार पर टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के तहत परियोजनाओं के लिए आईएसटीएस की उपलब्धता की संगणना

ग. स्वप्रेरणा आदेश

स्वप्रेरणा याचिका सं 4/एसएम/2024 आदेश दिनांक 29.11.2024

विषयः क्षतिपूर्ति का पुनरीक्षण

कोयला आधारित उत्पादन स्टेशन के लिए तंत्र – उत्सर्जन मानदंड अनुपालन

- आदेश में स्थापना नये उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों को स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बोली कोयला आधारित थर्मल संयंत्रों की क्षतिपूर्ति के लिए पूर्व स्थापित तंत्र को संशोधित किया।
- इसने अगस्त 2021 के आदेश में यथा निर्धारित कार्यक्षेत्र, लागत वसूली संरचना, और टाईमलाईन आधारित क्षतिपूर्ति को संशोधित किया जिसका लक्ष्य सुचारू रूप से उत्सर्जन मानकों के संक्रमण करना और प्रभावित उत्पादको के लिए उपबंधों के माध्यम से स्पष्टता लाना रहा।

स्वप्रेरणा याचिका सं 5/एसएम/2024 आदेश दिनांक 2.08.2024

विषयः आरई टैरिफ विनियमों के अधीन टैरिफ विनियम 2024 के अधीन वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आरई जेनेरिक टैरिफ अवधारण

- केविविआ ने 01.07.2024 से 31.03.2025 तक की नयी नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के लिए विभिन्न नवीकरणी ऊर्जा स्रोतों, पवन, सौर, बायोमास इत्यादि के लिए स्तरीकृत जेनेरिक टैरिफ निर्धारित किया।
- यह आदेश सभी डिस्काम और आरई परियोजना विकास कर्ताओं केलिए विनियामक संक्रमण और मानकीकरण के दौरान आरई टैरिफ मानदंडों में निरंतरता को सुनिश्चित करता है।

स्वप्रेरणा याचिका सं 9/एसएम/2024 आदेश दिनांक 07.10.2024

विषय अक्तूबर 2024 के लिए ग्रिड विश्वसनीयता और मांग प्रबंधन पर अनुदेश

- वास्तविक समय सतर्कताओं और इष्टतम रखरखाव अनुसूचियों सहित कमियों की सहक्रिया प्रबंधन और उत्पादन पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के लिए अक्तूबर 2024 के दौरान प्रत्याशित उच्च ग्रिड मांग की पूर्ति के लिए प्रचालनगत योजना और समन्वय को बढ़ाने हेतु एनएलडीसी आरएलडीसी और एसएलडीसी को निर्देश देना।
- त्यौहारों/पीक अवधि और स्थापित विस्तृत मानिटरिंग प्रणाली अलर्ट और प्रोटोकाल के लिए तैयारी पर केन्द्रित संबंधित ग्रिड एकटर (एसएलडीसी बिहार, डीवीसी और ओडिशा सहित) द्वारा लिए गए दस्तावेज अनुपालन उपाय।

स्वप्रेरणा याचिका सं 2/एसएम/2025 आदेश दिनांक 29.03.2025

केविविआ के भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के विनियम 30 के अंतर्गड ग्रिड प्रचालन जोखिमों को कम किया गया। जिसके बाद 04, 11 और 25.08.2024 को उच्च फ्रीक्वेंसी बनी रही। आदेश में फ्रीक्वेंसी विचलन 50.05 हटर्ज से अधिक का पता लगाया गया जिससे परवर्ती नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अधिक अंतःक्षेपण, वर्षा से मांग दबाव, थर्मल उत्पादकों सहित तकनीकी अनुसूचिकरण चुनौतियां, सीमित हाईड्रो पावर लोचशीलता और अंतरराज्यिक स्तर पर अपेक्षित कम रिजर्व की अनुपस्थिति पाई गयी।

घ. मुख्य अवधारणात्मक और विनियामक उपलब्धियां

1.04.2024 और 31.03.2025 के बीच केविविआ ने भारत के विद्युत क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण अवधारणात्मक और कई विकास कार्यों को आरंभ किया। जिसमें विशेष रूप से टैरिफ विनियम, बाजार डिजाईन, ग्रिड कोड संशोधन, पारेषण पहुंच और व्यापार सुधार शामिल है।

1. समग्र टैरिफ विनियम

- केविविआ ने 1.04.2024 से प्रभावी टैरिफ निबंधन की विनियम और शर्तों को संशोधित किया और मुख्य रूप से ब्याज संगणनाओं के लिए (बैंक दर) को पुनःपरिभाषित करना, स्वबीमा प्रीमियम नियमावली को समायोजित करना (अब समर्पित निधि में अंतरित किया जाना है) और उत्पादन टैरिफ में कोयले की कीमत में समग्र प्रक्रिया पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
- एक सुनिश्चित पद्यति जो अब एक वर्ष की एसबीआईएमसीएलआर + सौ बेसिस प्वाइंट में बैंक दर से संबद्ध
- स्व–बीमा प्रीमियम इन प्रीमियम के लिए निधि पृथककरण और अनिवार्य रिपोटिंग सहित 0.09 प्रतिशत से 0.12 प्रतिशत हो गयी है।

2. ग्रिड कोड और विचलन व्यवस्थापन सुधार

- भारतीय विद्युत ग्रिड कोड विनियमों को थर्मल और नवीकरणीय/स्टोरेज उत्पादकों के लिए पृथक टाईमलाईन सहित प्रचालनगत क्षमता प्रदर्शन इन्फर्म पावर अंतःक्षेपण केलिए नियमों में परिवर्तन के लिए संशोधित किया गया है।
- पवन और सौर परियोजनाओं के लिए विचलन तंत्र कडे, अनुसूची आधारित विचलन फ्रेमवर्क को अंगीकार करने के लिए भावी योजनाओं सहित चरणबद्ध रूप से स्थापित किया गया है।

3. विद्युत बाजार और व्यापार संरचना

- केविविआ ने नये ओटीसी प्लेटफार्म परिचालकों के रजिस्ट्रेशन और आकस्मिक कान्ट्रेक्ट में कीमत डिस्कवरी के लिए परिवर्तन सहित इसके पावर मार्केट विनियमों को जारी किया और संशोधनों को जारी किया।

- केविविआ ने बाजार संतुलन और संमाहार को बढ़ाने के लिए कान्ट्रेक्ट डिजायनों और व्यापार को पुनरीक्षित करते हुए अप्रैल 2025 में स्व–प्रेरणा आदेश जारी किया।

4. संयोजकता, पहुंच और बैंक गारंटियां

- संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच तीस. रा संशोधन विनियम अधिसूचित किया, नयी परिभाषा को आरंभ करना अर्थात सबस्टेशनों का कलस्टर आरहण/पुनःप्रयोग करने की प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया और समग्र बैंक गारंटी/नवीकरणीय अनुपालन बाध्यताओं, अधिसूचित किया।

- औपचारिक रूप से विनियामक मान्यता प्राप्त 'संयोजकता अनुदान ग्राही' और सबस्टेशनों और नवीकरणीय विकासकर्ता पहुंच अंतरराज्यिक पारेषण को सरल और कारगर बनाना।

5. कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग फ्रेमवर्क

केविविआ ने नोडल इकाइयों के रूप में ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो और भारत की ग्रिड नियंत्रक को शामिल करते हुए पावर एक्सचेंजों पर उनके मासिक व्यापार के लिए फ्रेमवर्क का प्रस्ताव करते हुए कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्रों के व्यापार के लिए ड्राफ्ट विनियम रिलीज किए।

6. अन्य नोट करने योग्य उपलब्धियां

- केविविआ ने आरई क्षमता वृद्धि और बाजार विकास को प्रोत्साहित करते हुए अक्तूबर 2025 में बड़े पैमाने पर सौर एवं ऊर्जा बड़े परियोजनाओं के लिए नए टैरिफ को अनुमोदित किया।

- नवीकरणीय उत्पादकों द्वारा कड़े ग्रिड अनुपालन और क्रास बार्डर व्यापार पर विनियामक फोकस को बढ़ाया है। इन सुधारों से संतुलित बाजार आधारित तंत्र को बढ़ावा मिला, हरित ऊर्जा समेकन के लिए लोचशीलता में वृद्धि हुई और टैरिफ अवधारण के लिए अधिक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली विकसित हुई और विद्युत व्यापार, नेटवर्क पहुंच और ग्रिड प्रचालन को बल मिला।?

- विचलन विनियमों और अद्यतन टैरिफ नियमावली की कड़ाई से प्रत्यक्ष रूप से विशेष तौर पर नवीकरणीय और स्टोरेज प्रचालको सहित सभी बाजार सहभागियों के लिए ग्रिड नियंत्रण और लागत वसूली, राजस्व प्रभावित हुआ।

- यह अवधारणात्मक और विनियामक परिवर्तन भारत के तेजी से उन्नत विद्युत बाजार के अंदर हरित ऊर्जा स्रोतों और नयी प्रोद्योगिकियों के समेकन और विश्वसनीयता बाजार कार्यकुशलता के संतुलन के लिए केविविआ की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

घ.विद्युत बाजार

कुल विद्युत उत्पादन के संबंध में विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की कुल मात्रा

वर्ष	विद्युत एवं डीएसएम के अल्पकालीन संव्यवहारों की कुल मात्रा (बिलियन यूनिट)	कुल विद्युत उत्पादन* (बिलियन यूनिट)	कुल विद्युत उत्पादन के प्रतिशत के रूप में विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों की कुल मात्रा
2009-10	65.90	768.43	9.6%
2010-11	81.56	852.35	9.6%
2011-12	94.51	927.75	10.2%
2012-13	98.94	969.29	10.2%
2013-14	104.64	1026.34	10.2%
2014-15	98.99	1110.07	8.9%
2015-16	115.23	1172.78	9.8%
2016-17	119.23	1241.70	9.6%
2017-18	127.62	1308.15	9.8%
2018-19	145.20	1375.86	10.6%
2019-20	137.16	1390.93	9.9%
2020-21	146.01	1380.06	10.6%
2021-22	186.75	1491.85	12.5%
2022-23	194.35	1624.47	12.0%
2023-24	218.22	1739.09	12.5%
2024-25	238.55	1829.70	13.0%
*कुल विद्युत उत्पादन के प्रतिशत के रूप में विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों की कुल मात्रा।			

बोली मूल्यांकन और भुगतान के प्रयोजन के लिए वृद्धि दर और अन्य पैरामीटरों की अधिसूचना

बोली मूल्यांकन और भुगतान के प्रयोजन के लिए वृद्धि दर और अन्य पैरामीटरों की अधिसूचना समय समय से यथासंशोधित दिनांक 19.01.2005 के विद्युत मंत्रालय के 'वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की उपाप्ति के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के अवधारण के लिए मार्गनिर्देश' के अनुसार आयोग से बोली मूल्यांकन और भुगतान के प्रयोजन के लिए विभिन्न वृद्धि घटको और अन्य पैरामीटरों को प्रत्येक 6 माह में अधिसूचित करना अपेक्षित है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान आयोग ने 8.4.2024 और 24.10.2024 की अधिसूचना के माध्यम से उत्पादन परियोजनाओं के लिए अन्य पैरामीटरों और वृद्धि घटकों को अधिसूचित किया, दिनांक 2.4.2024 और 8.11.2024 की अधिसूचना के माध्यम से पारेषण परियोजनाओं के लिए वृद्धि घटकों और अन्य पैरामीटरों को अधिसूचित किया।

दिनांक 3.11.2022 के संशोधन के साथ पठित दिनांक 22.07.2020 के कोयला आधारित थर्मल पावर परिया. `जनाओं से पावर के साथ संपूरक ग्रिड संबंध नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियाजनाओं से राउड द क्लाक विद्युत की उपाप्ति के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मार्गनिर्देश पर विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसरण में आयोग से बोली मूल्यांकन के प्रया. `जन के लिए विभिन्न घटकों और अन्य पैरामीटरों को

अधिसूचित करना अपेक्षित है। तद्नुसार, दिनांक 19.04.2024 की अधिसूचना के माध्यम से आयोग ने उत्पादन परियोजनाओं के लिए बोली मूल्यांकन हेतु वृद्धि घटकों और अन्य पैरामीटरों को अधिसूचित किया। समय–समय से यथासंशोधित दिनांक 19.01.2005 के 'वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की उपाप्ति के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के अवधारण के लिए मार्गनिर्देश से संबंधित' विद्युत मंत्रालय की अधिसू. चना के खंड 5.6(vi) के अनुसरण में और दिनांक 13. 4.2022 के केविविआ के लिए विद्युत मंत्रालय के पत्र के अनुसरण में, केविविआ ने आयातित कोयले के परिवहन, आयातित कोयले के लिए मासिक विद्युत दरों को अधिसूचित करना आरंभ किया और मौजूदा छमाही अधिसूचना के अलावा अप्रैल 2022 के आगे भुगतान के प्रयोजन के लिए आयातित कोयले का अंतर्देशीय संचालन 63187.23 मेगावाट है। जिसमें कोयला और गैस दोनों सहित एनटीपीसी संयुक्त उद्यम/अनुषंझियों पर 5320 मेगावाट और प्राकृतिक गैस/तरल ईंधन पर आधारित 4017.23 मेगावाट, कोयले आधारित पर 53850 मेगावाट को शामिल किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024.25 के दौरान एनटीपीसी ने थर्मल उत्पादन स्टेशनों से कोई क्षमता नहीं जोड़ी है।

बाजार मानिटरिंग

क. टैरिफ अवधारण

अधिनियम की धारा 62 के अधीन केन्द्रीय आयोग एनटीपीसी लि., नीपको, नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन, एनएसपीसी लि, सतलुज जल विद्युत नि. लि. टिहरी हाइड्रो विकास निगम(टीएसडीसी) दामोदर वैली कार्पोरेशन, सीपीएसयू इत्यादि तथा प्रा. सेक्टर आईपीपी को शामिल करते हुए संयुक्त उद्यम कंपनियों जैसे केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन कंपनियों के अंतरराज्यिक उत्पादन स्टेशनों के टैरिफ को विनियमित करता है।

1. थर्मल उत्पादन

1.1 एनटीपीसी से थर्मल उत्पादन स्टेशन

31.03.2025 को एनटीपीसी के उत्पादन स्टेशन की कुल संस्थापित क्षमता 31.03.2025 को कुल 47 कोयला आधारित थर्मल स्टेशन (पीट एवं गैर पीट हैड) 7 गैस आधारित थर्मल स्टेशन और एनटीपीसी के चार संयुक्त उद्यम हैं।

दामोदर वैली कार्पोरेशन के थर्मल उत्पादन स्टेशन

1.2.1 31.03.2025 को डीवीसी के उत्पादन स्टेशनों की कुल संस्थापित क्षमता 6540 मेगावाट है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान डीवीसी ने कोई नयी क्षमता नहीं जोड़ी है।

1.2 उत्तरी पूर्वी विद्युत ऊर्जा कार्पोरेशन(नीपको) के थर्मल उत्पादन स्टेशन

1.2.1 31.03.2025 को नीपको के उत्पादन स्टेशनों की कुल संस्थापित क्षमता गैस आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशनों का 527 मेगावाट है।

1.3 नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन इंडिय लि. के थर्मल उत्पादन स्टेशन

1.3.1 31.03.2025 को नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन इंडिया लि कुल संस्थापित क्षमता 5300 मेगावाट है।

1.4 ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी(ओटीपीसी) के थर्मल उत्पादन स्टेशन

1.4.1 31.03.2025 को ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी(ओटीपीसी) के उत्पादन स्टेशन की क्षमता 726 मेगावाट

1.5 टिहरी हाईड्रो डेवलपमेंग कार्पोरेशन लि(टीएच. डीसी) के थर्मल उत्पादन स्टेशन

1.5.1 31.03.2025 को टीएचडीसी उत्पादन स्टेशन की कुल संस्थापित क्षमता 660 मेगावाट है

1.6 उदुपी पावर कार्पोरेशन लि.(यूपीसीएल) के थर्मल उत्पादन स्टेशन

1.6.1 31.03.2025 को यूपीसीएल उत्पादन स्टेशन की कुल संस्थापित क्षमता 1200 मेगावाट है

1.7 प्रगति पावर कार्पोरेशन लि का थर्मल उत्पादन स्टेशन

1.7.1 31.03.2025 को पीपीसीएल उत्पादन स्टेशन की कुल संस्थापित क्षमता 1371.20 मेगावाट है

2. हाईड्रो उत्पादन

2.1.1 वर्ष 2024–25 के दौरान आयोग ने एनएचपीसी, एनएसडीसी, एसजेवीएनएल, नीपको, एनटीपीसी, टीएसडीसी, डीवीसी, बीबीएमबी जैसे सीपीएसयू द्वारा स्वामित्व के सेन्ट्रल सेक्टर हाईड्रो उत्पादन स्टेशनों के टैरिफ को विनियमित किया मैसर्स जेएसडब्ल्यू हाईड्रो एनर्जी लि. द्वारा स्वामित्व के एक आईपीपी स्टेशन और पीयूएल एक राज्य स्वामित्व पावर स्टेशन जो उत्तर,पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित हैं।

(संस्थापित क्षमता सहित सभी सारणियां अनुबंध *II-IX* में संलग्न है)

नवीकरणीय ऊर्जा

केविविआ(नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए नियम एवं शर्तें) विनियम 2024 अधिसूचना दिनांक 12.06.2024

केविविआ ने 12.06.2024 को केविविआ(नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए नियम एवं शर्तें) विनियम 2024 (आरई टैरिफ विनियम 2024 अधिसूचित किया) जो 1.07.2024 से प्रभावी हुआ। विनियमों की नियंत्रण अवधि 1.07.2024 से 31.03.2027 है। विनियम का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी और सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ग्रिड अंतःक्रिया विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन एवं शर्त्तो को विनिर्दिष्ट करना है

2. विनियम उन सभी मामलों में लागू होंगे जहां उत्पादन स्टेशन व उसके यूनिट का टैरिप ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित है और अधिनियम की धारा 79 के साथ पठित धारा 62 के अधीन कवर किया गया है। जनरिक टैरिफ निम्नलिखित प्रकार की आरई परियोजनाओं के लिए वार्षिक आधार पर केविविआ द्वारा अवधारित होगाः

   क. लघु हाईड्रो परियोजना

   ख. रैंकिंग साईकिल तकनीक सहित बायोमास पावर परियोजना

   ग. गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादन परियोजना

   घ. बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत परियोजना

   ङ. बायोगैस आधारित पावर परियोजना

   च. रिफ्यूज अर्जित ईंधन आधारित म्यूनिपल सालिड वेस्ट पावर परियोजनाए

3. जनरिक टैरिफ परियोजना की टैरिफ अवधि के लिए परियोजना के आरंभ के वर्ष पर विचार करते हुए स्तरीकृत आधार पर अवधारित किया जाएगा। दो संगठको सहित सिंगल पार्ट टैरिफ परियोजनाओं के लिए नियम लागत संगठक परियोजना के आरंभ के वर्ष पर विचार करते हुए स्तरीकृत आधार पर विचार किया जाएगा जबकि ईंधन लागत संगठक आयोग द्वारा जारी किये जाने वाले टैरिफ आदेश में प्रचालन आधार वर्ष पर अवधारित किया जाएगा।

4. आरई टैरिफ विनियम 2024 के अधीन आरई परियोजनाओं के लिए वित्तीय पैरामीटर निम्नानुसार हैः

   क. ऋण ईक्विटी अनुपातः 70:30 पर विचार किया गया है। परियोजना विनिर्दिष्ट टैरिफ के लिए 30 प्रतिशत की अधिकता में ईक्विटी को मानकीय ऋण के रूप में माना जाएगा और जहां नियोजित की गयी वास्तविक ईक्विटी पूंजी लागत के 30 प्रतिशत से कम हैं वहां वास्तविक ईक्विटी पर विचार किया जाएगा।

   ख. ईक्विटी पर रिटर्नः आरई परियोजनाओं (लघु हाईड्रों परियोजनाओं को छोड़कर) के लिए 14 प्रतिशत और लघु हाईड्रो परियोजनाओं के लिए 15 प्रतिशत का मानकीय आरओई।

ग. ऋण अवधिः पिछले छह माह प्लस 200 आधार प्वाइंट के लिए औसत स्टेट बैंक आफ इंडिया एमसीएलआर(1 वर्ष की अवधि) पर आधारित ब्याज दर सहित 15 वर्ष की ऋण अवधि

घ. मूल्यह्रासः परियोजनाओं के उपयोगी जीवन के लिए शेष मूल्यह्रास सहित पहले 15 वर्षों के लिए 4.67 प्रतिशत प्रतिवर्ष

ङ. कार्यपूंजी पर ब्याज दरः पिछले छह माह प्लस 325 आधार प्वाइंट के लिए औसत एसबीआई एमसीएलआर(एक वर्ष की अवधि पर आधारित)

च. 5.25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि सहित नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के लिए मानकीय ओएंडएम व्यय

5. आरई टैरिफ विनियम 2024 भी क्लोफिक मूल्य स्टेशन हीट दर, राज्य वार ईंधन जैसे क्षमता उपयोग घटक/संयंत्र भार घटक, सहायक उपभोग ईंधन संबद्ध विनिर्दिष्ट तकनीकी विनिर्दिष्ट पैरामीटरों को विनिर्दिष्ट करता है।

केविविआ(विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम 2024

1. केविविआ ने विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) और इस निमित सभी अन्य सामर्थ्य कारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 79 (79 का 1) की धारा 1 (एच) के खंड (सी) (एच) के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5 अगस्त 2024 को केविविआ(विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम 2024 (डीएसएम विनियम 2024) अधिसूचित किया। इन विनियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक तंत्र उपलब्ध करवाना है कि ग्रिड प्रयोक्ता ग्रिड की प्रतिभूति और स्थिरता के हित में विद्युत के आहरण और अंतःक्षेपण के उनकी अनुसूची के अनुपालन में विचलित नहीं होते। विनियम विद्युत की अतःराज्यिक बिक्री और खरीद में लगी हुई सभी ईकाइयों और अन्य इकाइयों के लिए लागू होगा।

2. इन विनियमों में सामान्य विक्रेताओं रन आफ रिवर हाईड्रो उत्पादन स्टेशनों, पवन एवं सौर उत्पादन स्टेशनों इत्यादि जैसे ग्रिड संबद्ध इकाइयों के लिए अधिक अंतःक्षेपण या कम अंतःक्षेपण के माध्यम से विचलन के लिए प्रभारों की व्यवस्था है। विचलन के लिए प्रभार क्रेता दवारा अधिक आहरण या विक्रेता द्वारा कम अंतःक्षेपण के लिए संदेय करते समय क्रेता द्वारा कम आहरण या विक्रेता द्वारा अधिक अंतःक्षेपण के लिए प्राप्ति योग्य होगा।

3. इन विनियमों को स्टेड अलोन और डब्ल्यूएस विक्रेताओं के साथ सहस्थित दोनों के लिए ऊर्जा स्टोरेज प्रणाली के लिए विचलन के संव्यवहार को भी विनिर्दिष्ट किया गया है। स्टैड अलान ऊर्जा स्टोरेज के लिए लागू विचलन प्रभार स्टेंड अलान प्रणाली के लिए सामान्य विक्रेता के लिए उनके समतुल्य है, चार्जिंग मोड के दौरान इसे विनियमों के आरंभ होने के 31.03.2026 तक की अवधि के लिए डब्ल्यूएस विक्रेता के समान माना जाएगा।

4. उसी इंटरकनैक्शन प्वाइंट पर डब्ल्यूएस विक्रेता के साथ सह स्थित ईएसएस के लिए, ईएसएस को अंतःक्षेपण विद्युत के सौर या पवन या हाईब्रिड उत्पादन स्टेशन की अवधि के दौरान डब्ल्यूएस विक्रेता के साथ उसी के समान माना जाएगा जबकि उस अवधि के लिए जब केवल ईएसएस संगठक का अंतःक्षेपण किया जा रहा है या ईएसएस ग्रिड से विद्युत का आहरण कर रहा है तो उसे स्टैंड अलोन ईएसएस प्रणाली के साथ समान माना जाएगा।

5. 'विचलन' फार्मूला इस प्रकार के डब्ल्यूएस विक्रेता केलिए परिभाषित किया गया है कि 31.03.2026 तक डब्लूएल विक्रेताओ के लिए समय ब्लाक में विचलन शविचलन डब्ल्यूएच विक्रेता(%) = 100 एमडब्ल्यूएच में (वास्तविक अंतःक्षेपण) – एमडब्ल्यूएच में अनुसूचित उत्पादन)/उपलब्ध क्षमता) और 1.04.2026 से आगे की अवधि के लिए, विचलन – डब्ल्यूएस विक्रेता(%) = 100 - X एमडब्ल्यूएच में (वास्तविक अंतःक्षेपण) एमडब्ल्यूएच में अनुसूचित उत्पादन)/(उपलब्ध क्षमता) का ग प्रतिशत + 100 ग अनुसूचित उत्पादन का प्रतिशत) परंतु कि 'X' सार्वजनिक परामर्श के बाद अलग आदेश के माध्यम से आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

5

6. विचलन के लिए प्रभारों की समान्य दर (i) 1 डेम के भारित औसत एसीपी के उच्चतम के रूप में या (ii) आरटीएम के भारित औसत एसीपी (iii) 1/3 का कुल (1 डैम का भारित औसत एसीपी), 1/3 (आरटीएएम का भारित औसत एसीपी, 1/3 (सहायक सेवा प्रभार) पैसे/किलोवाट घंटे में जो सहायक सेवा की कुल मात्रा के आधार पर संगणित (एसआरएएस अप और ट्रेसअप) है और सभी क्षेत्रों के लिए सहायक सेवा प्रोवाडर को प्रतिदेय निवल प्रभार है।

7. इसके अलावा यदि एक क्षेत्र के विचलन और सहायक सेवा पूल लेखा में कोई गिरावट है और अन्य क्षेत्रों के डीएसएम लेखे में कोई अधिशेष निधियां भुगतानों को निपटान के लिए प्रयुक्त की जाएगी। तथापि यदि अन्य क्षेत्रों में अधिशेष पर्याप्त नहीं है तो बाकी शेष रकम आईएसटी नामित ग्राहको(डीआईसी) से वसूल की जाएगी। 31.03.2026 तक यह वसूली प्रादेशिक क्षेत्र में उनके आहरण पर आधारित होगी और उनके आहरण और (50:50) बराबर भार सहित उनके जीएनए पर आधारित होगी। 1 अप्रैल 2026 से इन डीआईसी को एनएलडीसी द्वारा आवंटित रिजर्व की कमी के आधार पर होगी जिसके बाद आयोग द्वारा विस्तृत क्रिया विधि अनुमोदित की जाएगी।

8. इन विनियमों को 5.08.2024 को अधिसूचित किया गया और डीएसएस विनियम 2024 के विनियम 8 के खंड 8 को छोड़कर सभी उपबंध के लिए 16.09.2024 से प्रभावी हो गये और डीएसएम के विनियम 2024 के विनियम 8 के खंड 8 दिनांक 23.12.2024 से 22.12.2025 तक प्रभावी हुए, याचिका सं 01/एसएम/2023 में 6.2.2023 के आदेश के पैरा 27 (3) (क) प्रचालन में जारी रहेगा।

केविविआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबंध मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम 2024

1. केविविआ ने 17.12.2024 में केविविआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबंध मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम 2024 अधिसूचित किया जो 23.12.2024 से प्रभावी हुआ।

2. संशोधित विनियमो में पवन और सौर विक्रताओं के लिए उपलब्ध क्षमता की परिभाषा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की गयी संयोजकता की मात्रा तक सीमित करने तक स्पष्ट किया गया है कि विद्युत निकासी प्रदान की गयी संयोजकता से अधिक नहीं है। इसके अलावा कान्ट्रेक्ट दर और संदर्भ प्रभार दर की परिभाषाएं अद्यतन की गयी हैं ताकि उन्हे थर्ड पार्टी के लिए निर्बाध पहुंच के माध्यम से विद्युत की बिक्री शामिल की जाए जिसे पहले बाहर किया गया था.

3. संशोधित विनियम में भी यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि इन्फर्म के अंतःक्षेपण के लिए प्रभार शून्य होगा जब तक की ट्रायल रन के बाद अनुसूचित नहीं किया गया। अतिरिक्त उपबंध तब जोड़ा गया है जिसमें अधिक अंतःक्षेपण के माध्यम से अनुसूचित इंफर्म पावर के लिए प्रभार शून्य होगा जब प्रणाली फ्रीक्वेसी 50.05 हटर्ज से अधिक हो जाती है।

आरई टैरिफ आदेश

केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ के अवधारण के निबंधन एवं शर्ते) विनियम 2024 के विनियम 8 के अधीन नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के लिए स्तरीकृत जैनेरिक टैरिफ का अवधारण के लिए याचिका सं 5/एसएम/2024 में स्वप्रेरणा आदेश

1. याचिका सं 5/एसएम/2024 में अपने आदेश 02.08.2024 के माध्यम से आयोग ने केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ के अवधारण के निबंधन एवं शर्ते) विनियम 2024 निम्नलिखित आरई तकनीक के लिए स्तरीकृत जेनेरिक टैरिफ को अवधारित किया है।
   - क) लघु हाईड्रो परियोजना
   - ख) रेंकिन साईकिल परियोजना के साथ बायोमास पावर प्रोजेक्ट
   - ग) गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजना
   - घ) बॉयोमास गैसीफायर आधारित विद्युत परियोजना
   - ङ) बॉयोगैस आधारित विद्युत परियोजना
   - च) आरडीएफ आधारित एमएसडब्ल्यू विद्युत परियोजनाएं

2. **निम्नलिखित पैरामीटरों पर विचार किया गया है:**

(i) परियोजनाओं का उपयोगी जीवन

तकनीकें	नियंत्रण अवधि का प्रथम वर्ष
लघु हाईड्रो परियोजना	40 वर्ष
रेंकिन साईकिल परियोजना के साथ बायोमास पावर प्रोजेक्ट	25 वर्ष
सह–उत्पादन परियोजना आधारित गैर–जीवाश्म ईंधन	25 वर्ष
बॉयोमास गैसीफायर आधारित विद्युत परियोजना	25 वर्ष
बॉयोगैस आधारित विद्युत परियोजना	25 वर्ष
एमएसडब्ल्यू आधारित आरडीएफ	25 वर्ष

(ii) वित्तीय सिद्धांत

विवरण	नियंत्रण अवधि का प्रथम वर्ष
ऋण ईक्विटी अनुपात	70:30
लोन अवधि	15 वर्ष
ब्याज दर	▪ एसबीआई एमसीएलआर (एक वर्ष की अवधि) प्लस 200 बेसिस प्वाइंट। ▪ 10.65%
मूल्यह्रास	प्रथम 15 वर्षों के लिए 4.67% और परियोजना के शेष उपयोगी काल में मूल्यह्रास रहेगा।
ईक्विटी पर रिटर्न	14% (एसएचपी को छोड़कर) और 15% (एसएचपी के लिए) नवीनतम उपलब्ध तक सकल टैरिफ अवधि के पहले 20 वर्ष की अवधि के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर दर अधिसूचित हुई औऱ उपलब्ध नवीनतम तक शेष टैरिफ अवधि के लिए निगमित कर दर अधिसूचित हुई।
कार्यपूंजी पर ब्याज	▪ एसबीआई एमसीएलआर(एक वर्ष की अवधि) प्लस 325 बेसिस प्वाइंट। ▪ 11.90%
डब्ल्यूसी आवश्यकता ▪ ईंधन लागत ▪ ओएंडएम खर्चे ▪ प्राप्य ▪ रखरखाव भाग	 ▪ 4 माह ▪ 1 माह ▪ 45 दिन ▪ ओएंडएम खर्चों का 15%
ओएंडएम वृद्धि दर	टैरिफ अवधि पर 5.25% प्रति वर्ष
निगमित कर दर	34.94%
एमएटी दर	17.47%

(iii) तकनीक विनिर्दिष्ट पैरामीटर

I. लघु हाईड्रो परियोजनाएं

विवरण	नियंत्रण अवधि का प्रथम वर्ष
पूंजी लागत(रु लाख/मेगावट) एचपी, यूके, डब्ल्यूबी, यूटी जेकेएल एंड एनई राज्य • 5 मेगावट से नीचे • 5 मेगावट से 25 मेगावाट • अन्य राज्य • 5 मेगावाट से नीचे • 5 मेगावट से 25 मेगावाट	▪ रु. 1200 लाख/मेगावट ▪ रु. 1200 लाख/मेगावट ▪ रु. 890 लाख/मेगावट ▪ रु. 1027 लाख/मेगावट
• सीयूएफ • एचपी, यूके, डब्ल्यूबी, यूटी जेकेएल, एनई और ओडिशा • पंजाब • अन्य राज्य	▪ 45% ▪ 40% ▪ 30%
• ओएंडएम(रु.लाख/मेगावाट) • एचपी, यूके, डब्ल्यूबी, यूटी जेकेएल एंड एनई राज्य • 5 मेगावाट से नीचे • 5 मेगावट से 25 मेगावाट • अन्य राज्य • 5 मेगावाट से नीचे • 5 मेगावट से 25 मेगावाट	▪ रु. 49.24 लाख/मेगावट ▪ रु. 36.93 लाख/मेगावट ▪ ▪ रु. 39.66 लाख/मेगावट ▪ रु. 28.72 लाख/मेगावट
अनुषंगी उपभोग	1%

II. बॉयोमास आधारित रेंकिंन साईकिल परियोजना

विवरण	नियंत्रण अवधि का प्रथम वर्ष
पूंजी लागत –	
डब्ल्यूसीसी के साथ परियोजना (राइस स्ट्रो एवं जूलीफ्लोरा(वृक्षा. रोपण) आधारित परियोजना	रु. 638 लाख/मेगावाट
एसीसी के साथ (राइस स्ट्रो एवं जूलीफ्लोरा(वृक्षारोपण) आधारित परियोजना	
डब्ल्यूसीसी के साथ राइसस्ट्रो एवं जूलीफ्लोरा(वृक्षारोपण) आधा. रित परियोजना	

विवरण	नियंत्रण अवधि का प्रथम वर्ष
एसीसी के साथ (राइस स्ट्रो एवं जूलीफ्लोरा(वृक्षारोपण) आधारित परियोजना	रु. 685 लाख/मेगावाट रु.. 697 लाख/मेगावाट रु. 744 लाख/मेगावाट
सहायक उपभोग दृ	
डब्ल्यूसीसी के लिए	▪ 10%
एसीसी के लिए	▪ 12%
पीएलएफ	
स्टेशन हीट दर (केकल/किलोवाट घंटा)	
▪ यात्रा ग्रेट बॉयलर	
▪ एएफबीसी बॉयलर	4200 (केकल/किलोवाट घंटा)
	4125 (केकल/किलोवाट घंटा)
सकल क्लोरोफिक मूल्य	3100 केकल / केजी
ओएंडएम	रु 54.70 लाख प्रति मेगावाट
ईंधन लागत वृद्धि	3.45%

III. गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाएं

विवरण	नियंत्रण अवधि का प्रथम वर्ष
पूंजी लागत	रु. 562 लाख/मेगावाट
सहायक उपभोग	8.5%
▪ पीएलएफ ▪ अन्य राज्य ▪ टीएन एवं महाराष्ट्र ▪ यूपी एवं एपी	▪ 53% ▪ 60% ▪ 45%
स्टेशन हीट दर(केकल/केडब्ल्यू एच)	3600 केकल/किलोवाट घंटा
सकल क्लोरोफिक मूल्य	2250 केकल/केजी
ओएंडएम	रु. 28.90 लाख प्रति मेगावाट

IV. बॉयोमास गेसीफायर पावर प्लांट

विवरण	नियंत्रण अवधि का प्रथम वर्ष
पूंजी लागत	रु. 677 लाख/मेगावाट
सहायक उपभोग	10%
पीएलएफ	85%
विनिर्दिष्ट ईंधन उपभोग	प्रति किलोवाट घंटे 1р25 केजी का सब्स्ट्रेट मिश्रण
ओएंडएम	रु. 72.25 लाख प्रति एमडब्ल्यू

V. बॉयोगेस पावर प्लांट

विवरण	नियंत्रण अवधि का प्रथम वर्ष
पूंजी लागत	रु. 1354 लाख/मेगावाट
सहायक उपभोग	12%
पीएलएफ	90%
विनिर्दिष्ट ईंधन उपभोग	प्रति किलोवाट घंटे 3 के जी का सब्स्ट्रेट मिश्रण
ओएंड एम	रु 72.25 लाख प्रति मेगावाट
ईंधन लागत	रु. 1702/एमटी
ईंधन कीमत वृद्धि दर	3.45%

VI. अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन आधारित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट विद्युत परियोजनाएँ

विवरण	नियंत्रण अवधि का प्रथम वर्ष
पूंजी लागत	रु. 2200 लाख/मेगावाट
सहायक उपभोग	15%
▪ पीएलएफ ▪ स्थिरीकरण अवधि के दौरान ▪ पहले वर्ष की बची हुई अवधि के दौरान(स्थिरी. करण की अवधि के बाद) ▪ दूसरे साल के बाद से	▪ 65% ▪ 65% ▪ 80%
ओएंडएम	रु. 187 लाख प्रति मेगावाट

3. आरई टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम 8 के अधीन नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के लिए जेनरिक टैरिफ का विवरण, जैसा की आयोग द्वारा अवधारित किया गया है अंत में अनुबंध में दिया गया है।

7. 2024–25 के दौरान अन्य गतिविधियां

राजभाषा का कार्यान्वयन एवं प्रोत्साहन

वर्ष 2024–25 के दौरान, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने राजभाषा के कार्यान्वयन, प्रचार–प्रसार और प्रोत्साहन के लिए कई गतिविधियां कीं। केविविआ में प्रभागीय स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन के अतिरिक्त जो प्रत्येक तिमाही में कार्यालय में राजभाषा के प्रगतिशील प्रयोग की समीक्षा और चर्चा करती है। माननीय विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में गठित हिंदी सलाहकार समिति में माननीय अध्यक्ष, केविविआ को सरकारी सदस्य बनाया गया है। इस समिति के कार्य कार्यालय के काम में हिंदी भाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित होंगे और इसमें भारत सरकार द्वारा बनाई गई राजभाषा नीति के ढांचे के अधीन कवर किए गए मुद्दों पर विद्युत मंत्रालय को सलाह देना भी शामिल होगा। राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के प्रति सभी अधिका. रियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान 14 सितम्बर से 27 सितम्बर 2024 तक'' हिन्दी पखवाड़ा'' का आयोजन किया गया जिसमें हिन्दी निबंध प्रतियोगिता, गीत–गायन, टिप्पण प्रारूपण और आशुभाषण संबंधी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

हिंदी गृह पत्रिका सौदामिनी

आयोग प्रत्येक तिमाही में हिंदी में ''सौदामिनी'' नामक गृह पत्रिका प्रकाशित करता है। यह पत्रिका इस अवधि के दौरान आयोग में आयोजित संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं/ बैठकों/प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में रिपोर्ट करती है। इसके अतिरिक्त, आयोग में 'हिंदी पखवाड़ा' के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं की पुरस्कार विजेता प्रविष्टियां (अर्थात् निबंध, लेख, कविता आदि) भी विजेताओं के फोटो सहित प्रकाशित की जाती हैं। आयोग ने राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार की दिशा में सौदामिनी के त्रैमासिक अंक के स्थान पर वार्षिक अंक प्रकाशित करने का निर्णय लिया और वर्ष 2023–24 के लिए इसका तृतीय अंक वर्ष के दौरान वार्षिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया गया।

स्वच्छ भारत अभियान

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान ''स्वच्छ भारत अभियान''के संबंध में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। आयोग के सभी कर्मचारियों को कार्य परिसर को साफ सुथरा रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अधिकारियों/कर्मचारियों ने परिसर को साफ–सुथरा रखने में अत्यधिक रुचि दिखाई है। केविविआ परिसर में एक स्वच्छता अभियान भी चलाया गया जिसका उद्देश्य अभिलेखों को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करना एवं कार्यस्थल का वातावरण बनाए रखना आदि था। सभी स्टाफ सदस्यों के लिए हिंदी निबंध/स्लोगन प्रतियोगिता और सभी स्टाफ सदस्यों के बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गयी।

लेखा परीक्षा पैरा

रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान भारत के सीएजी की रिपोर्ट में केविविआ से संबंधित कोई पैरा शामिल नहीं किया गया था।

सतर्कता मामले

केविविआ में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी सतर्कता मामला विचाराधीन या लंबित नहीं था।

वार्षिक दिवस

केविविआ ने 24 जुलाई, 2024 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर नई दिल्ली में अपना अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर केविविआ के सभी अधिकारी और कर्मचारी समारोह में उपस्थित हुए जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय ने आयोग तथा केविविआ के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया। विभिन्न पदों के स्टाफ सदस्यों द्वारा 2030 विजन प्लान भी संबोधित किया गया। केविविआ का स्टाफ विनियम की फील्ड में अपनाई गई उत्तम पद्धतियों से संबंधित मूल्यवान विचारों और अनुभवों से लाभान्वित हुआ।

ई–कोर्ट

सूचना पाने के लिए दक्ष, मितव्ययी और प्रभावी साधन के साथ प्रणाली को सशक्त करने की दिशा में एक सक्रिय उपाय के रूप में आयोग ने अपनी ई–कोर्ट परियोजना अर्थात् सौदामिनी (डिजिटल पहुंच का उपयोग करते हुए न्यायनिर्णयन और नेटवर्क एकीकरण के माध्यम से सूचना का प्रबंधन) का प्रमोचन किया जिसे पूर्व में सीसीएमएएस (कोर्ट केस मैनेजमेंट ऑटोमेशन सिस्टम) के

नाम से जाना जाता था। वेब आधारित ई–फाइलिंग और ई–प्लीडिंग मॉड्यूल अप्रैल 2016 से सफलतापूर्वक चल रहा है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता अपनी याचिकाएं/उत्तर/प्रत्युत्तर अन्य दस्तावेज ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं और अपनी याचिकाओं की स्थिति को ट्रैक कर देख सकते हैं। यह केविविआ की कानूनी प्रणाली के लिए त्वरित और आसान पहुँच प्रदान करता है।

डैशबोर्ड, कॉज लिस्ट जेनरेशन, रिपोर्ट जेनरेशन, एडवांस सर्च, ई–लाइब्रेरी आदि जैसी विशेषताएं रखने वाले सौदामिनी केस प्रबंधन सूचना प्रणाली (सीएमआईएस) मॉड्यूल भी कार्यशील हैं और इसका उपयोग केविविआ के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। सौदामिनी परियोजना का ई–हियरिंग मॉड्यूल भी जो आयोग को याचिकाओं की सॉफ्टकॉपी के माध्यम से मामलों की सुनवाई करने में सक्षम बनाता है, जून 2017 से कार्यशील है।

संगठन की प्रक्रियाओं के स्वचालन के लिए और पणधारकों की सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में एक और पहल के रूप में और सौदामिनी परियोजना के ई–विनियमन मॉड्यूल को जो केविविआ ड्राफ्ट विनियमों/स्टॉफ पेपर आदि पर आपत्तियों/टिप्पणियों/सुझावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए पणधारकों को समर्थ बनाता है, भी 24 जुलाई 2019 से कार्यशील है।

सौदामिनी ई–मॉनिटरिंग (व्यापार अनुज्ञप्तिधारी) मॉड्यूल जो एनएलडीसीए व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों और पावर एक्सचेंजों को उनकी विनियामक अनुपालन सूचना प्रस्तुत करने के लिए सक्षम बनाता है उसे 24.07.2020 को आरंभ किया गया और उसके बाद वर्ष 2021 में सौदामिनी ई–आस्ति मॉडयूल तैयार किया गया।

केविविआ की ई–कोर्ट प्रणाली से आयोग को एकीकृत लचीला परंतु गतिशील डेटाबेस विकसित करने में सक्षम होना अपेक्षित है, जिससे आयोग को विभिन्न डेटा विश्लेषणात्मक उपकरण का उपयोग करके निर्णय लेने की सुविधा मिलना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, अपने डिजिटल आधार को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए केविविआ ने एआई आधारित खोज, स्वचालित डेटा निष्कर्षण, दस्तावेज निर्माण और डेटा विजुअलाइजेशन टूल से युक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विनियामक विशेषज्ञ प्रणाली उपकरण (आरईएसटी) विकसित किया है।

डिजीटल पहल

हार्डवेयर और संरचनाः केविविआ इस सुविधा के माध्यम से व्यापक वाईफाई कवरेज सहित अनावश्यक उच्च गति फाईबर आप्टिक इंटरनेट कनैक्टीवीटी और एंटरप्राईज ग्रेड लोकल एरिया नेटवर्क (लेन) सहित उन्नत तकनीक अवसंरचना को बनाए रखता है। इसने डाटा सेंटर विशेषताओं के वर्चुअल ब्लेड अवसंरचना में वृद्धि की, स्टोरेज एरिया नेटवर्क (सेन) क्षमता को विस्तारित किया। अगली जनरेशन फायरवेल संरक्षण, और साफ्टवेयर परिभाषित नेटवर्क संघटकों में वृद्धि की। साफ्टवेयर/अनुप्रयोगः केविविआ ने अपनी वेबसाईट, इनहाऊस और एफओआईआर, साफिर वेबसाईट का रखरखाव करता है और आईटी आधारित सहयोग और संस्था कार्यान्वित विभिन्न साफ्टवेयर और अनुप्रयोगों की सुविधा है। केविविआ में इस्तेमाल किये जा रहे कुछ अनुप्रयोग में ई–रजिस्ट्रेशन, ई–फाईलिंग, ई–रेगुलेशन, ई–प्लीडिंग, ई–मानिटरिंग, ई–असेट, और मामला प्रबंधन सूचना प्रणाली मोडूयल सहित सौदामिनी पोर्टल में शामिल किया गया है। सौदामिनी पोर्टल के अलावा अन्य अनुप्रयोगों में ई–ट्रेकिंग, ई–आफिस, स्पैरों, केविविआ आनलाईन भर्ती साफ्टवेयर सरल पे पेकैज, ई–ग्रंथालय और बायोमीट्रिट हाजिरी प्रणाली शामिल हैं। डिजीटल ट्रांसफोरमेशन पहल में केविविआ सौदामिटी पोर्टल और ई–ट्रेकिंग अनुप्रयोग से केविविआ के ईकोर्ट प्रणाली की आधार के रूप में काम करना जारी रहा जिससे समेकित डाटाबेस आर्किटेक्चर उपलब्ध करवाया गया जिससे डाटा ड्रिवन विनिमक निर्णय करने की क्षमता अर्जित हो सकी। केविविआ की कृत्रिममेधा आधारित विनियामक विशेषज्ञ प्रणाली टूल(आरईएसटी) ने विस्तारित सर्चिंग क्षमताओं सहित महत्वपूर्ण रूप से प्रकट हो गयी है।

एफओआर, एफओआईआर और साफिर

एफओआर,

विनियामक फोरम (एफओआर) विद्युत अधिनियम 2003 के उपबंध के अनुसार 16 फरवरी 2005 की विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किया गया। फोरम ने केविविआ के अध्यक्ष और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष तथा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष भी शामिल हैं। केविविआ के अध्यक्ष फोरम के अध्यक्ष हैं और केविविआ फोरम को सचिवीय सेवाएं प्रदान करता है। अन्य उद्देश्यों में एफओआर का मुख्य उद्देश्य केविविआ, एसईआरसी और जेईआरसी द्वारा तैयार किये गये विद्युत क्षेत्र में विनियमों का समन्वय करना है। एफओआर द्वारा एफओआर की विभिन्न बैठकों के दौरान विस्तृत परीक्षण का अनुपालन करते हुए विभिन्न विषयों पर सरकार को सिफारिशे प्रदान की जाती है। केविविआ एफओआर को सचिवीय सेवाएं प्रदान करता है।

एफओआईआर

केविविआ भारतीय विनियामक फोरम को सचिवीय सेवाए प्रदान करता है। एफओआईआर की परिकल्पना भारत में विभिन्न क्षेत्रों के विनियामक अधिकरणों द्वारा अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में की गयी है। एफओआईआर में न केवल अध्यक्ष बल्कि विद्युत विनियामक आयोगों और के सदस्य और अन्य विनियामक प्राधिकरण जैसे पंजाब की रियल एस्टेट रेगुलेटरी आर्थॅरिटी (आरईआरए), भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए), भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), इनसॉलवेंसी एण्ड बैंक क्रप्सी बोर्ड (आईबीबीआई), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी), महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (टीएएमपी), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) इत्यादि जैसे अन्य विनियामक अधिकरण के सदस्य भी शामिल हैं। वर्ष के दौरान, एफओआईआर विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों के लिए रिटेनरशिप आधार पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को संलग्न किया। एमओयू को इस प्रयोजन के लिए प्रविष्ट किया गया। इस साझेदारी के अधीन अधिकारियों, केन्द्रीय क्षेत्र के विनियामकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम और सभी सदस्यों के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्तमान में, इनसॉलवेंसी एण्ड बैंक क्रप्सी बोर्ड ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष एफओआईआर के अध्यक्ष हैं।

साफिर

केविविआ अवसंरचना विनियमन के लिए दक्षिण एशिया फोरम(साफिर) को सचिवीय सेवाएं भी प्रदान करता है। साफिर 1999 में प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विनियामको (बंगलादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका) सहित के एक नेटवर्क के रूप में विस्तापित एक अंतरराष्ट्रिक फोरम है और इस क्षेत्र में संबद्ध अंतरराष्ट्रयिक संस्थानों और व्यक्तियों से जुड़ा है। इसमें सदस्यों की चार श्रेणियां है अर्थात शैक्षणिक संस्थान, एनजीओ, निगमित/यूटिलिटी और विनियामक निकाय हैं। इसका उद्देश्य अनुसंधान को प्रोत्साहित करने विनियामक फोरम सुधार प्रक्रियाओं और अनुभवों से संबंधित एक डाटा बैंक प्रदान करना, ज्ञान और विशेषज्ञता का लाभकारी आदान प्रदान करना और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का तेजी से कार्यान्वयन की प्रवृति निर्धारित करना है। केविविआ के अध्यक्ष साफिर के अध्यक्ष हैं।

8. उपभोक्ताओं को लाभ और क्षेत्र के विकास के संदर्भ में विनियामक प्रक्रियाओं का परिणाम

उपभोक्ताओं को लाभ और क्षेत्र के विकास के संदर्भ में विनियामक प्रक्रियाओं का परिणाम

उपभोक्ताओं को लाभ

सभी स्टेकहोल्डर के लिए निष्पक्ष पारदर्शी और तटस्थ रहते हुए, उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ता सहित नागरिक समाज के हितों की रक्षा करना केविविआ के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए केविविआ द्वारा की गई पहलें नीचे सूचीबद्ध हैः

I. ग्रिड अनुशासन की दिशा में सुरक्षित ग्रिड प्रचालनः सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप बेहतर ग्रिड फ्रीक्वेंसी और परिणामी ग्रिड प्रचालन हुआ इससे उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार की संभावना है।

II. बाजार मानिटरिंग अल्पकालिक बाजार कीमतें स्थिर रहीं। अल्पकालिक संव्यवहारों ने 194.35 बीयू के निशान को छुआ है जिससे पिछले वर्ष से 7.6 बीयू की वृद्धि हुई है। पावर एक्सचेंजों पर औसत डे अहेड कीमत प्रति यूनिट 6.25 रूपए पर स्थिर हुई है।

क्षेत्र का विकास

क्षेत्र के विकास के लिए आयोग द्वारा की गयी पहल नीचे दी गयी है।

ग्रिड अनुशासन

दिनांक 6.12.2022 से केविविआ (विचलन व्यवस्थापन और संबद्ध मामले) विनियम 2022 के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना के माध्यम से ग्रिड प्रचालन में अनुशासन सुनिश्चित करने पर सतत् प्रयास किये गये। यह सुनिश्चित करने पर बल दिया गया कि प्रादेशिक इकाइयां अनुसूची से विचलन के लिए अपनी अनुसूची का प्रतिकूल रूप से अनुपालन करती है। आयोग ने ग्रिड को स्थिरता प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए डीएसएम पहलू पर स्व–प्रेरणा आदेश दिनांक 26.12.2022 और 26.2.2023 को जारी किये।

बाजार विकास

क. केविविआ (सहायक सेवा) विनियम 2022 के अधीन एसआरएस और टीआरएस की शुरूआत के माध्यम से आयोग ग्रिड सुरक्षा, आरई उत्पादन में भिन्नता और भार के संचालन के लिए अनुपूरक बाजार तंत्र को सरल बनाने पर ध्यान केन्द्रित करता है।

ख. राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री के माध्यम से अतंरराज्यिक पारेषण प्रणाली ने अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के लिए क्रिया विधिः ये क्रियाविधि केविवि. आ (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (पांचवा संशोधन) विनियम 2018 के विनियम 4 के अधीन एनएलडीसी द्वारा विकसित की गयी थी और अनुमा. `दन के लिए आयोग को प्रस्तुत की गयी। आयोग ने उपयुक्त संशोधनों के बाद क्रियाविधि को अनुमोदित किया। इस क्रियाविधि से पात्र इकाइयों को पारेषण नेटवर्क को निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए क्रिया. विधि को सरल और कारगर बनाने में मदद मिलेगी।

ग. ओवर द काउंटर प्लेटफार्म 2022 पर स्थापना और प्रचालन के लिए आवेदनों का रजिस्ट्रेशन और दाखिल करने के लिए मार्गनिर्देशः आयोग द्वारा विक. सित मार्गनिर्देश से देश में विद्युत की बिक्री और खरीद को सरल बनाने के लिए ओटीसी प्लेटफार्म की स्थापना और प्रचालन के लिए आवश्यक फ्रेमवर्क की व्यवस्था होगी।

9. वर्ष 2024–25 के दौरान जारी की गई अधिसूचनाएँ

वर्ष 2024.25 के दौरान जारी की गयी अधिसूचनाएं

अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए विद्युत मंत्रालय को भेजे गये प्रकाशित राजपत्र

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या एवं राजपत्र दिनांक	अधिसूचना तिथि	विनियमों का शीर्षक
1	आरए–14026/11/4/2020 – केविविआ, राजपत्र संख्या 251, दिनांक 12.04.2024	28 मार्च 2024	आईई टैरिफ विनियम 2020 की प्रयोज्यता का विस्तार
2	एल– 1/270/2023/केविविआ, राजपत्र संख्या 413, दिनांक 14.06.2024	23 मई 2024	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, निबंधन एवं शर्तें एवं संबद्ध अन्य मामले) विनियम, 2024
3	एल–1/268/2022/केविविआ, राजपत्र संख्या 468. दिनांक 01.07.2024	15 मार्च 2024	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें एवं नियम), अवधि 1.4.2024 से 31.3.2029
4	एल–1/261/2021/केविविआ, राजपत्र संख्या 469, दिनांक 01.07.2024	19 जून 2024	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली हेतु संयोजकता एवं सामान्य नेटवर्क पहुंच) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2024
5	एल–1/261/2021/केविविआ, राजपत्र संख्या 518, दिनांक 12.07.2024	4 जुलाई 2024	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (संयोजकता एवं सामान्य नेटवर्क पहुंच) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2024
6	आरए–14026(11)/1/2022–23–केविविआ, राजपत्र संख्या 530, दिनांक 16.07.2024	12 जून 2024	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण) विनियम, 2024
7	एल–1/271/2024/केविविआ, राजपत्र संख्या 588, दिनांक 01.08.2024	12 जुलाई 2024	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र के शुल्क एवं संबंधित मामले) विनियम, 2024
8	एल–1/260/2021/केविविआ, राजपत्र संख्या 642, दिनांक 21.08.2024	5 अगस्त 2024	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं संबंधित मामलें) विनियम, 2024
9	एल–1/260/2021/केविविआ, राजपत्र संख्या 712, दिनांक 10.09.2024	27 अगस्त 2024	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं संबंधित मामलों) विनियम, 2024

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या एवं राजपत्र दिनांक	अधिसूचना तिथि	विनियमों का शीर्षक
10	एल–1/260/2021/केविविआ, राजपत्र संख्या 766ए दिनांक 30.09.2024	15 सितंबर 2024	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं संबंधित मामलों) विनियम, 2024
11	एल–1/265/2022/केविविआ, राजपत्र संख्या 880ए दिनांक 29.10.2024	23 अक्टूबर 2024	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024
12	एल–1/260/2021/ केविविआ, राजपत्र संख्या 899ए दिनांक 05.11.2024	22 अक्टूबर 2024	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं संबंधित मामलें) विनियम, 2024

10. वर्ष 2025–26 के लिए कार्यसूची

वर्ष 2025–26 के लिए कार्यसूची

केविविआ– भूमिका मूल्यांकन/पुनर्उन्मुखता तथा स्टाफिंग, कारोबार प्रक्रिया पुनःइंजीयरिंग और आईटी का अधिकतम उपयोग

क. विनियामक उपाय

- आरई समेकन के लिए सरल फ्रेमवर्क नये उत्पाद
- मांग अनुक्रिया इत्यादि जैसे ईएसएस, लोचशील संसाधनों को सरल बनाना
- कार्बन बाजार – विनियामक फ्रेमवर्क
- पुनरीक्षण संयोजकता, पारेषण पहुंच और कीमत(अधित्याग सहित)
- पारेषण आस्तियों का अधिकतम उपयोग
- संकुलता प्रबंधन
- थोक बाजार कीमत सहित

ख. बाजार डिजाइन की समीक्षा

क. विद्युत प्रणाली लागत इष्टतमीकरण

ख. बाजार कप्लिंग

ग. बाजार मानिटरिंग एवं निगरानी

घ. वित्तीय व्युत्पन्न (जेडब्ल्यू जी) सेबी द्वारा वि. नियमित

ङ. असंतुलन का प्रबंधन/

च. विचलन व्यवस्थापन तंत्र

छ. टैरिफ अवधारण के लिए नवन्वोमेशी दृष्टिकोण

ज. नये अध्ययन–विनियामक प्रभार निर्धारण, मांग ला. `चशीलता, संसाधन और रिजर्व पर्याप्तता फ्रेमवर्क

11. लेखाओं का वार्षिक विवरण

लेखाओं की वार्षिक विवरण

वर्ष 2024–25 के दौरान केविविआ ने 85.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 170.00 करोड़ रुपये) विद्युत मंत्रालय द्वारा (भारत के लोक लेखा के अंतर्गत रखी गयी) केविविआ निधि से रिलीज किया गया। इसमें से 63.03 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 120.25 करोड़ रुपये) का वर्ष के दौरान उपयोग किया गया जिससे वर्ष के अंत में 21.97 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 49.75 करोड़ रुपये) का अव्ययित रहा।

वर्ष 2023–24 का अव्ययित बकाया अर्थात 49.75 करोड़ रुपये जिसे वर्ष 2024–25 में आगे ले जाया गया और वर्ष वर्ष 2024–25 के दौरान अर्जित ब्याज सहित फीस/अन्य प्राप्तियों के कारण केविविआ द्वारा प्राप्त 199.07 करोड़ की रकम (पिछले वर्ष 183.56 करोड़ रुपये) को केविविआ निधि – भारत के लोक लेखा में उसे रखने के लिए विद्युत मंत्रालय को प्रेषित किया गया। ब्यौरा अनुबंध XII में दिया गया है।

12. आयोग का मानव संसाधन

आयोग का मानव संसाधन

आयोग का अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न कार्यनिष्पादन के लिए अत्यंत व्यापक अधिदेश है। अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में आयोग की कुशलता इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, वित्तीय प्रबंधन, लेखा, विधि, पर्यावरण, प्रबंध सूचना प्रणाली और अन्य संबद्ध कुशलताओं में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव सहित इसके स्टाफ की गुणवत्ता और कार्यात्मक विशेषज्ञता पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त, आयोग सरकार, उद्योग और अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले मानव संसाधन का उपयोग करता है। इन–हाउस कुशलताओं और उपलब्ध अनुभव को पूरा करने के लिए आयोग परामर्शदाताओं की सेवाएं लेता है और इस प्रयोजन के लिए इसने विनियम बनाए हैं।

क्र.स.	पदनाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त पद
1	सचिव	1	1	0
2	प्रमुख	4	4	0
3	संयुक्त प्रमुख	9	7	2
4	उप प्रमुख	21	19	2
5	एकीकृत वित्तीय सलाहकार	1	0	1
6	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	1	1	0
7	सहायक सचिव	2	0	2
8	सहायक प्रमुख	28	19	9
9	न्यायपीठ अधिकारी	2	0	2
10	प्रधान निजी सचिव	4	2	2
11	वेतन एवं लेखा अधिकारी	1	1	0
12	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	2	0	2
13	निजी सचिव	5	5	0
14	सहायक	16	10	6
15	वैयक्तिक सहायक	2	0	2
16	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	1	1	0
17	आशुलिपिक	1	0	1
18	आरसीटीओ	1	0	1
19	ड्राईवर	4	3	1
20	वरिष्ठ चपरासी	2	2	0
21	एमटीएस	2	2	0
	कुल	**110**	**77**	**33**

केविविआ में वर्ष 2024.25 के दौरान प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण करने वाले अधिकारी		
क्रम सं.	**पद (पदों) का नाम**	**भरे गए पदों की संख्या**
1	सहायक प्रमुख	9
2	सहायक	1

दिव्यांग व्यक्ति

केविविआ दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता और सुविधाओं की व्यवस्था के सबंध में भारत सरकार द्वारा किए सभी अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व (31 मार्च 2025 की अवधि)

श्रेणी	कुल कर्मचारियों की संख्या	दिव्यांग व्यक्ति				दिव्यांग व्यक्ति
		वीडी	एचडी	ओडी	कुल	
क	53	-	-	02	02	3.77
ख	17	-	-	-	-	-
ग	07	-	-	-	-	-

संक्षिप्त

- वीडी – दृष्टिबाधित
- एचडी– श्रवण बाधित
- ओडी – विकलांग

2. पहुंच की व्यवस्था के उपाय

केविविआ टावर बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली–110029 के छठवी, सातवीं और आठवी मंजिल पर प्रचालन करता है। कार्यालय परिसर दिव्यांग व्यक्यितों की पहुंच को ध्यान में रखते हुए डिजायन किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैः

- व्हील चेयर पहुंच के लिए बिल्डिंग के प्रवेश पर रैंप
- सभी प्रचालनगत फ्लोर के लिए लिफ्ट पहुंच
- प्रत्येक तीनों फ्लोर पर शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किये गए शौचालय

3. कल्याण उपाय

वित्तीय वर्ष 2024.25 के दौरान केविविआ ने एक अशक्तता वाले अपने एक कर्मचारी को व्हील चेयर की लागत की प्रतिपूर्ति दी। यह कार्रवाई कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 36035/3/2013–स्थापना(आरईएस) दिनांक 31.03.2014 के उपबंधों के अनुसार की गयी।

केविविआ अशक्त कर्मियों सहित अपने सभी कर्मचारियों के लिए समावेशी और प्रोत्साहनकारी कार्यस्थल की व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है।

13. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ), सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन एक लोक प्राधिकरण है। अधिनियम के अधिदेश के अनुसार, केविविआ में एक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी और एक अपीलीय प्राधिकारी है। इसमें आरटीआई पोर्टल के माध्यम से ऑनला. इन आरटीआई आवेदनों के साथ–साथ आवेदकों से सीधे भौतिक आवेदन भी प्राप्त होते हैं। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकरणों से अंतरण होने पर भी आरटीआई आवेदन प्राप्त होते हैं। केविविआ में आरटीआई आवेदनों की जांच संबंधित प्रभागों के परामर्श से की जाती है और आवेदकों को आवश्यक सूचना प्रस्तुत की जाती है। केविविआ से संबंधित न होने वाले आरटीआई आवेदनों को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अधीन संबंधित जन प्राधिकरणों को अंतरित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 (1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025) के दौरान, 280 आवेदन प्राप्त हुए और सभी 280 आवेदनों को वर्ष 2024–25 के दौरान निपटान किया गया। इसके अतिरिक्त, आरटीआई अधिनियम, 2005 के अधीन 43 प्रथम अपीलों को प्राप्त किया गया जिसमें से उक्त अवधि के दौरान 43 प्रथम अपीलों का निपटान किया गया।

14. अनुबंध

अनुबंध

अनुबंध I

2024–25 के लिए आयोग द्वारा निपटान की गई याचिकाओं का विस्तृत विवरण

निपटान की गई याचिकाओं का डाटा–

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निपटान की गई याचिकाओं (आईए को छोड़कर) की सूची			
क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
1	152 / एमपी / 2024	एमपी	31/03/2025
2	294 / टीटी / 2025	टीटी	31/03/2025
3	3 / टीटी / 2025	टीटी	30/03/2025
4	286 / टीटी / 2025	टीटी	30/03/2025
5	357 / एमपी / 2023	एमपी	30/03/2025
6	66 / जीटी / 2024	जीटी	30/03/2025
7	306 / एमपी / 2024	एमपी	30/03/2025
8	305 / एमपी / 2024	एमपी	30/03/2025
9	333 / एमपी / 2024	एमपी	30/03/2025
10	497 / एमपी / 2024	एमपी	30/03/2025
11	291 / टीटी / 2025	टीटी	29/03/2025
12	274 / टीटी / 2025	टीटी	29/03/2025
13	181 / टीटी / 2025	टीटी	29/03/2025
14	306 / आरसी / 2025	आरसी	30/03/2025
15	361 / आरसी / 2025	आरसी	30/03/2025
16	83 / एमपी / 2024	एमपी	29/03/2025
17	009 / आरपी / 2015	आरसी	29/03/2025
18	2 / एसएम / 2025	एसएम	29/03/2025
19	150 / टीडी / 2025	टीडी	10/03/2025
20	249 / एमपी / 2025	एमपी	17/03/2025
21	जीटी / 294 / 2014	जीटी	28/03/2025
22	जीटी / 339 / 2014	जीटी	28/03/2025
23	468 / टीटी / 2024	टीटी	28/03/2025
24	372 / एमपी / 2023	एमपी	28/03/2025
25	455 / टीटी / 2024	टीटी	28/03/2025

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निपटान की गई याचिकाओं (आईए को छोड़कर) की सूची			
क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
26	282/एमपी /2024	एमपी	28/03/2025
27	361/जीटी/2020	जीटी	27/03/2025
28	290/टीटी /2025	टीटी	27/03/2025
29	293/टीटी /2025	टीटी	27/03/2025
30	103/टीटी /2025	टीटी	27/03/2025
31	222/टीटी /2025	टीटी	27/03/2025
32	287/टीटी/2025	टीटी	27/03/2025
33	288/टीटी /2025	टीटी	27/03/2025
34	465/टीटी /2024	टीटी	27/03/2025
35	470/टीटी /2024	टीटी	27/03/2025
36	471/टीटी /2024	टीटी	27/03/2025
37	487/टीएल/2024	टीएल	27/03/2025
38	69/टीएल/2025	टीएल	26/03/2025
39	71/टीएल/2025	टीएल	26/03/2025
40	507/टीएल/2024	टीएल	26/03/2025
41	509/टीएल/2024	टीएल	26/03/2025
42	89/एमपी /2025	एमपी	25/03/2025
43	122/टीटी /2025	टीटी	25/03/2025
44	441/जीटी/2020 में 29/आरपी/2023	आरपी	24/03/2025
45	392/जीटी/2020 में 16/आरपी/2023	आरपी	24/03/2025
46	491/टीएल/2024	टीएल	25/03/2025
47	196/एमपी /2024	एमपी	24/03/2025
48	275/एमपी /2024	एमपी	24/03/2025
49	129/एमपी /2024	एमपी	24/03/2025
50	377/एमपी /2023	एमपी	24/03/2025
51	452/ टीटी /2024	टीटी	24/03/2025
52	472/ टीटी /2024	टीटी	24/03/2025
53	346/जीटी/2023	जीटी	24/03/2025
54	429/एमपी /2024	एमपी	24/03/2025
55	205/एमपी /2022	एमपी	24/03/2025

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निपटान की गई याचिकाओं (आईए को छोड़कर) की सूची			
क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
56	213/ टीटी /2025	टीटी	24/03/2025
57	134/ टीटी /2025	टीटी	24/03/2025
58	402/एटी/2024	एटी	24/03/2025
59	175/जीटी/2024	जीटी	24/03/2025
60	338/एमपी /2022	एमपी	24/03/2025
61	224/ टीटी /2025	टीटी	24/03/2025
62	473/ टीटी /2024	टीटी	23/03/2025
63	158/ टीटी /2025	टीटी	23/03/2025
64	2/ टीटी /2025	टीटी	23/03/2025
65	326/एमपी /2025	एमपी	23/03/2025
66	179/एमपी /2016	एमपी	22/03/2025
67	64/एटी/2025	एटी	22/03/2025
68	223/जीटी/2021 में 6/आरपी/2024	आरपी	22/03/2025
69	118/ टीटी /2025	टीटी	20/03/2025
70	489/टीएल/2024	टीएल	21/03/2025
71	506/एमपी /2024	एमपी	22/03/2025
72	451/ टीटी /2024	टीटी	22/03/2025
73	93/ टीटी /2020	टीटी	21/03/2025
74	361/टीटी /2018	टीटी	21/03/2025
75	38/एमपी /2023	एमपी	20/03/2025
76	227/टीटी /2025	टीटी	21/03/2025
77	125/टीटी /2025	टीटी	21/03/2025
78	138/टीटी /2025	टीटी	21/03/2025
79	148/टीटी /2025	टीटी	21/03/2025
80	264/एमपी /2024	एमपी	20/03/2025
81	174/एमपी /2025	एमपी	21/03/2025
82	404/एटी/2024	एटी	20/03/2025
83	223/टीटी /2025	टीटी	20/03/2025
84	111/टीटी /2025	टीटी	20/03/2025

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निपटान की गई याचिकाओं (आईए को छोड़कर) की सूची			
क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
85	366/एटी/2024	एटी	20/03/2025
86	486/टीएल/2024	टीएल	20/03/2025
87	237/एमपी /2023	एमपी	20/03/2025
88	508/एटी/2024	एटी	20/03/2025
89	125/एमपी /2024	एमपी	20/03/2025
90	181/जीटी/2019	जीटी	20/03/2025
91	110/टीटी /2025	टीटी	20/03/2025
92	160/एमपी /2015	एमपी	17/03/2025
93	450/टीटी /2024	टीटी	20/03/2025
94	230/टीटी /2025	टीटी	20/03/2025
95	277/एमपी /2025	एमपी	20/03/2025
96	228/टीटी /2025	टीटी	19/03/2025
97	32/टीटी /2025	टीटी	19/03/2025
98	209/टीटी /2025	टीटी	19/03/2025
99	229/टीटी /2025	टीटी	19/03/2025
100	220/टीटी /2025	टीटी	19/03/2025
101	218/टीटी /2025	टीटी	19/03/2025
102	510/एटी/2024	एटी	19/03/2025
103	278/एमपी /2025	एमपी	19/03/2025
104	20/टीटी /2025	टीटी	18/03/2025
105	76/टीटी /2025	टीटी	18/03/2025
106	120/टीटी /2025	टीटी	18/03/2025
107	24/टीटी /2025	टीटी	18/03/2025
108	226/टीटी /2025	टीटी	18/03/2025
109	109/टीटी /2025	टीटी	18/03/2025
110	420/एटी/2024	एटी	18/03/2025
111	267/एमपी /2019	एमपी	18/03/2025
112	220/एमपी /2019	एमपी	18/03/2025
113	182/टीटी /2025	टीटी	18/03/2025
114	223/एटी/2024	एटी	18/03/2025

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निपटान की गई याचिकाओं (आईए को छोड़कर) की सूची			
क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
115	388 / जीटी / 2023	जीटी	18/03/2025
116	108 / टीटी / 2025	टीटी	17/03/2025
117	119 / जीटी / 2023	जीटी	18/03/2025
118	387 / जीटी / 2020 में 25 / आरपी / 2024	आरपी	17/03/2025
119	46 / एमपी / 2024	एमपी	17/03/2025
120	132 / एमपी / 2024	एमपी	17/03/2025
121	262 / टीएल / 2023	टीएल	17/03/2025
122	479 / टीटी / 2024	टीटी	17/03/2025
123	11 / टीटी / 2025	टीटी	17/03/2025
124	212 / टीटी / 2025	टीटी	17/03/2025
125	156 / टीटी / 2025	टीटी	17/03/2025
126	72 / एटी / 2025	एटी	17/03/2025
127	77 / एमपी / 2025	एमपी	17/03/2025
128	172 / एमपी / 2025	एमपी	17/03/2025
129	167 / एमपी / 2025	एमपी	17/03/2025
130	136 / जीटी / 2024	जीटी	16/03/2025
131	84 / टीडी / 2025	टीडी	16/03/2025
132	211 / टीटी / 2025	टीटी	16/03/2025
133	81 / टीटी / 2025	टीटी	16/03/2025
134	13 / टीटी / 2025	टीटी	16/03/2025
135	130 / टीटी / 2025	टीटी	16/03/2025
136	361 / एमपी / 2024	एमपी	17/03/2025
137	35 / एमपी / 2024	एमपी	15/03/2025
138	241 / एमपी / 2024	एमपी	16/03/2025
139	137 / टीटी / 2025	टीटी	15/03/2025
140	155 / टीटी / 2025	टीटी	15/03/2025
141	135 / टीटी / 2025	टीटी	15/03/2025
142	495 / टीटी / 2024	टीटी	15/03/2025
143	183 / टीटी / 2025	टीटी	15/03/2025
144	147 / एमपी / 2025	एमपी	15/03/2025

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निपटान की गई याचिकाओं (आईए को छोड़कर) की सूची			
क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
145	394/एमपी /2019	एमपी	15/03/2025
146	61/टीएल/2025	टीएल	14/03/2025
147	232/ टीटी /2025	टीटी	13/03/2025
148	133/ टीटी /2025	टीटी	13/03/2025
149	222/एटी/2024	एटी	13/03/2025
150	225/टीएल/2024	टीएल	12/03/2025
151	231/ टीटी /2025	टीटी	12/03/2025
152	124/ टीटी /2025	टीटी	12/03/2025
153	121/ टीटी /2025	टीटी	12/03/2025
154	25/ टीटी /2025	टीटी	12/03/2025
155	206/ टीटी /2025	टीटी	12/03/2025
156	56/ टीटी /2025	टीटी	12/03/2025
157	27/ टीटी /2025	टीटी	11/03/2025
158	141/एमपी /2016	एमपी	12/03/2025
159	149/टीटी /2025	टीटी	11/03/2025
160	225/टीटी /2025	टीटी	11/03/2025
161	128/टीटी /2025	टीटी	11/03/2025
162	123/टीटी /2025	टीटी	11/03/2025
163	36/टीटी /2025	टीटी	11/03/2025
164	208/टीटी /2025	टीटी	11/03/2025
165	490/एटी/2024	एटी	11/03/2025
166	291/आरसीब/2024	आरसी	10/03/2025
167	95/ टीटी/2025	टीटी	11/03/2025
168	283/एटी/2024	एटी	10/03/2025
169	104/टीटी /2025	टीटी	10/03/2025
170	114/टीटी /2025	टीटी	10/03/2025
171	119/टीटी /2025	टीटी	10/03/2025
172	373/एमपी /2022	एमपी	10/03/2025
173	238/जीटी/2020 में 8/आरपी/2024	आरपी	10/03/2025
174	97/टीटी /2025	टीटी	10/03/2025

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निपटान की गई याचिकाओं (आईए को छोड़कर) की सूची			
क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
175	106/टीटी /2025	टीटी	10/03/2025
176	96/टीटी /2025	टीटी	10/03/2025
177	94/टीटी /2025	टीटी	10/03/2025
178	23/ टीटी /2025	टीटी	10/03/2025
179	37/आरसी/2024	आरसी	01/03/2025
180	11/एमपी /2024	एमपी	01/03/2025
181	312/एटी/2024	एटी	03/03/2025
182	142/टीटी /2025	टीटी	05/03/2025
183	140/टीटी /2025	टीटी	05/03/2025
184	105/टीटी /2025	टीटी	05/03/2025
185	90/टीटी /2025	टीटी	05/03/2025
186	14/टीटी /2025	टीटी	05/03/2025
187	161/एमपी /2024	एमपी	06/03/2025
188	131/टीटी /2025	टीटी	05/03/2025
189	70/एटी/2025	एटी	05/03/2025
190	478/टीएल/2024	टीएल	05/03/2025
191	492/ ।ज/2024	एटी	05/03/2025
192	98/टीटी /2025	टीटी	04/03/2025
193	139/टीटी /2025	टीटी	03/03/2025
194	110/एमपी /2019 में 32/आरपी/2024	आरपी	04/03/2025
195	92/टीटी /2025	टीटी	03/03/2025
196	91/टीटी /2025	टीटी	03/03/2025
197	326/एमपी /2024 में 3/आरपी/2025	टारपी	03/03/2025
198	31/एमपी /2024	एमपी	03/03/2025
199	96/जीटी/2020 में 22/आरपी/2024	आरपी	24/02/2025
200	311/एटी/2024	एटी	25/02/2025
201	226/एटी/2024	एटी	24/02/2025
202	63/एमपी /2020	एमपी	24/02/2025
203	157/टीटी /2025	टीटी	25/02/2025
204	7/टीटी /2025	टीटी	11/02/2025

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निपटान की गई याचिकाओं (आईए को छोड़कर) की सूची			
क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
205	10 / टीटी / 2025	टीटी	11/02/2025
206	9 / टीटी / 2025	टीटी	17/02/2025
207	436 / टीएल / 2024	टीटी	21/02/2025
208	38 / टीटी / 2025	टीटी	24/02/2025
209	82 / एमपी / 2025	एमपी	24/02/2025
210	481 / टीटी / 2024	टीटी	26/02/2025
211	288 / टीटी / 2023	टीटी	26/02/2025
212	354 / टीटी / 2024	टीटी	27/02/2025
213	414 / एमपी / 2024	एमपी	26/02/2025
214	30 / एमपी / 2023	एमपी	20/02/2025
215	480 / टीटी / 2024	टीटी	20/02/2025
216	268 / एटी / 2024	एटी	18/02/2025
217	154 / टीटी / 2025	टीटी	17/02/2025
218	329 / टीटी / 2023	टीटी	17/02/2025
219	85 / टीटी / 2024	टीटी	12/02/2025
220	436 / जीटी / 2020	जीटी	17/02/2025
221	316 / टीएल / 2024	टीएल	14/02/2025
222	313 / टीएल / 2024	टीएल	14/02/2025
223	477 / टीएल / 2024	टीएल	14/02/2025
224	5 / टीटी / 2025	टीटी	11/02/2025
225	4 / टीटी / 2025	टीटी	09/02/2025
226	37 / टीटी / 2025	टीटी	11/02/2025
227	8 / टीटी / 2025	टीटी	11/02/2025
228	308 / एमपी / 2023	एमपी	12/02/2025
229	102 / एमपी / 2021	एमपी	12/02/2025
230	100 / एमपी / 2021	एमपी	12/02/2025
231	317 / टीएल / 2024	टीएल	08/02/2025

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निपटान की गई याचिकाओं (आईए को छोड़कर) की सूची			
क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
232	189/जीटी/2020	जीटी	10/02/2025
233	433/एमपी /2024	एमपी	06/02/2025
234	112/एमपी /2025	एमपी	07/02/2025
235	89/जीटी/2023	जीटी	07/02/2025
236	563/जीटी/2020 में 24/आरपी/2024	आरपी	06/02/2025
237	453/टीटी /2024	टीटी	06/02/2025
238	376/टीटी /2024	टीटी	06/02/2025
239	350/टीटी /2023	टीटी	04/02/2025
240	437/टीएल/2024	टीएल	31/01/2025
241	423/एटी/2024	एटी	31/01/2025
242	387/एटी/2024	एटी	31/01/2025
243	365/एटी/2024	एटी	31/01/2025
244	346/एटी/2024	एटी	31/01/2025
245	324/टीएल/2024	टीएल	30/01/2025
246	394/टीटी /2024	टीटी	20/01/2025
247	189/एमपी /2024	एमपी	29/01/2025
248	381/टीटी /2024	टीटी	27/01/2025
249	90/टीटी /2024	टीटी	27/01/2025
250	17/एमपी /2023	एमपी	22/01/2025
251	119/एटी/2024	एटी	22/01/2025
252	393/टीटी /2024	टीटी	20/01/2025
253	377/टीटी /2024	टीटी	20/01/2025
254	356/टीटी /2024	टीटी	20/01/2025
255	399/टीटी /2024	टीटी	20/01/2025
256	400/टीटी /2024	टीटी	21/01/2025
257	397/टीटी /2024	टीटी	19/01/2025

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निपटान की गई याचिकाओं (आईए को छोड़कर) की सूची			
क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
258	401/टीटी /2024	टीटी	21/01/2025
259	370/टीटी /2024	टीटी	13/01/2025
260	434/एमपी /2024	एमपी	11/01/2025
261	374/टीटी /2024	टीटी	08/01/2025
262	93/टीटी /2023	टीटी	20/01/2025
263	375/टीटी /2024	टीटी	20/01/2025
264	114/एमपी /2019 में 7/आरपी/2024	आरपी	20/01/2025
265	264/जीटी/2021	जीटी	22/01/2025
266	503/एमपी /2024	एमपी	16/01/2025
267	349/टीटी /2023	टीटी	20/01/2025
268	427/एटी/2024	एटी	18/01/2025
269	369/टीटी /2024	टीटी	11/01/2025
270	370/टीटी /2023	टीटी	11/01/2025
271	390/ टीटी /2023	टीटी	11/01/2025
272	15/ टीटी /2023	टीटी	11/01/2025
273	237/जीटी/2020 में 34/आरपी/2023	आरपी	12/01/2025
274	343/टीएल/2024	टीएल	14/01/2025
275	342/एटी/2024	एटी	14/01/2025
276	432/एमपी /2024	एमपी	17/01/2025
277	340/टीएल/2024	टीएल	14/01/2025
278	281/टीडी/2024	टीडी	14/01/2025
279	जीटी/340/2014	जीटी	06/01/2025
280	1/एसएम/2025	एसएम	08/01/2025
281	113/एमपी /2020 में 29/आरपी/2024	आरपी	06/01/2025
282	10/एसएम/2024	एसएम	02/01/2025
283	382/टीटी /2024	टीटी	03/01/2025
284	358/टीटी /2024	टीटी	03/01/2025
285	54/एमपी /2024 में 21/आरपी/2024	आरपी	03/01/2025
286	92/एमपी/2024	एमपी	03/01/2025
287	204/एमपी/2023	एमपी	03/01/2025

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निपटान की गई याचिकाओं (आईए को छोड़कर) की सूची			
क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
288	जीटी/337/2014	जीटी	05/01/2025
289	347/टीएल/2024	टीएल	02/01/2025
290	383/टीटी /2024	टीटी	02/01/2025
291	जीटी/280/2014	जीटी	02/01/2025
292	138/एटी/2024	एटी	02/01/2025
293	450/जीटी/2020 में 23/आरपी/2024	आरपी	31/12/2024
294	504/एमपी /2024	एमपी	30/12/2024
295	339/एटी/2024	एटी	30/12/2024
296	405/टीडी/2024	टीडी	30/12/2024
297	27/एमपी /2024	एमपी	30/12/2024
298	345/एटी/2024	एटी	27/12/2024
299	353/एटी/2024	एटी	27/12/2024
300	338/टीएल/2024	टीएल	27/12/2024
301	369/टीटी /2023	टीटी	03/12/2024
302	359/एमपी /2024	एमपी	19/12/2024
303	11/एसएम/2024	एसएम	22/12/2024
304	355/टीटी /2024	टीटी	19/12/2024
305	368/टीटी /2024	टीटी	19/12/2024
306	52/एमपी /2022	एमपी	19/12/2024
307	197/एमपी /2024	एमपी	19/12/2024
308	323/एटी/2024	एटी	19/12/2024
309	341/एटी/2024	एटी	19/12/2024
310	407/टीडी/2024	टीडी	16/12/2024
311	323/टीटी /2023	टीटी	18/12/2024
312	384/टीटी /2024	टीटी	16/12/2024
313	385/टीटी /2024	टीटी	16/12/2024
314	392/टीटी /2024	टीटी	16/12/2024
315	359/टीटी /2023	टीटी	16/12/2024
316	357/टीटी /2024	टीटी	16/12/2024
317	221/एमपी /2024	एमपी	17/12/2024

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निपटान की गई याचिकाओं (आईए को छोड़कर) की सूची			
क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
318	412/एमपी /2024	एमपी	16/12/2024
319	134/ टीटी /2023	टीटी	16/12/2024
320	318/एटी/2024	एटी	16/12/2024
321	315/एटी/2024	एटी	16/12/2024
322	144/एमपी /2024	एमपी	15/12/2024
323	277/एमपी /2022	एमपी	15/12/2024
324	314/एटी/2024	एटी	15/12/2024
325	352/टीएल/2024	टीएल	15/12/2024
326	402/जीटी/2019 में 33/आरपी/2023	आरपी	14/12/2024
327	293/एमपी /2024	एमपी	11/12/2024
328	286/एमपी /2024	एमपी	11/12/2024
329	163/एमपी /2023	एमपी	02/12/2024
330	406/टीडी/2024	टीडी	03/12/2024
331	348/जीटी/2022	जीटी	02/12/2024
332	256/जीटी/2020	जीटी	02/12/2024
333	444/आरसी/2024	आरसी	29/11/2024
334	4/एसएम/2024	एसएम	29/11/2024
335	421/एमपी /2024	एमपी	25/11/2024
336	476/एमपी /2024	एमपी	25/11/2024
337	326/एमपी /2024	एमपी	25/11/2024
338	170/टीडी/2024	टीडी	08/11/2024
339	446/जीटी/2020	जीटी	28/11/2024
340	20/एमपी /2024	एमपी	28/11/2024
341	443/एमपी /2024	एमपी	28/11/2024
342	320/टीएल/2024	टीएल	25/11/2024
343	75/एमपी /2022	एमपी	25/11/2024
344	416/आरसी/2024	आरसी	25/11/2024
345	366/जीटी/2020 में 39/आरपी/2023	आरपी	25/11/2024
346	102/एमपी /2023	एमपी	18/11/2024
347	249/एमपी /2023 में 26/आरपी/2024	आरपी	18/11/2024

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निपटान की गई याचिकाओं (आईए को छोड़कर) की सूची			
क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
348	233 / टीएल / 2024	टीएल	18/11/2024
349	234 / एटी / 2024	एटी	18/11/2024
350	60 / जीटी / 2024	जीटी	08/11/2024
351	440 / जीटी / 2020	जीटी	08/11/2024
352	82 / टीटी / 2022	टीटी	11/11/2024
353	235 / एटी / 2024	एटी	11/11/2024
354	348 / एमपी / 2024	एमपी	08/11/2024
355	351 / टीटी / 2023	टीटी	01/11/2024
356	237 / एटी / 2024	एटी	01/11/2024
357	389 / टीटी / 2023	टीटी	04/11/2024
358	224 / एटी / 2024	एटी	03/10/2024
359	374 / एमपी / 2022	एमपी	16/10/2024
360	366 / एमपी / 2023	एमपी	28/10/2024
361	298 / टीडी / 2024	टीडी	28/10/2024
362	388 / एमपी / 2024	एमपी	28/10/2024
363	351 / टीडी / 2024	टीडी	26/10/2024
364	321 / एटी / 2024	एटी	25/10/2024
365	255 / एटी / 2024	एटी	25/10/2024
366	274 / एटी / 2024	एटी	25/10/2024
367	94 / टीटी / 2024	टीटी	25/10/2024
368	363 / एमपी / 2023	एमपी	24/10/2024
369	386 / एमपी / 2024	एमपी	23/10/2024
370	8 / एमपी / 2024	एमपी	17/10/2024
371	199 / एमपी / 2024	एमपी	17/10/2024
372	13 / एमपी / 2021	एमपी	17/10/2024
373	73 / टीटी / 2023	टीटी	15/10/2024
374	256 / एटी / 2024	एटी	15/10/2024
375	87 / टीटी / 2023	टीटी	15/10/2024
376	116 / टीएल / 2024	टीएल	15/10/2024
377	216 / एमपी / 2023	एमपी	03/10/2024

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निपटान की गई याचिकाओं (आईए को छोड़कर) की सूची			
क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
378	173 / एमपी / 2024	एमपी	03/10/2024
379	270 / एमपी / 2024	एमपी	03/10/2024
380	78 / एमपी / 2018	एमपी	03/10/2024
381	236 / एमपी / 2017	एमपी	03/10/2024
382	230 / एमपी / 2024	एमपी	07/09/2024
383	172 / टीएल / 2024	टीएल	30/09/2024
384	114 / एमपी / 2023 में 20 / आरपी / 2024	आरपी	30/09/2024
385	158 / एमपी / 2023	एमपी	30/09/2024
386	168 / टीएल / 2024	टीएल	17/09/2024
387	88 / एटी / 2024	एटी	23/09/2024
388	328 / टीटी / 2023	टीटी	23/09/2024
389	200 / टीएल / 2024	टीएल	19/09/2024
390	85 / टीटी / 2023	टीटी	19/09/2024
391	168 / एमपी / 2017 में 18 / आरपी / 2018	आरपी	17/09/2024
392	229 / टीएल / 2024	टीएल	10/09/2024
393	84 / टीटी / 2023	टीटी	10/09/2024
394	154 / एटी / 2024	एटी	04/09/2024
395	1 / टीडी / 2024	टीडी	01/09/2024
396	6 / एसएम / 2024	एसएम	13/08/2024
397	197 / जीटी / 2017ए364 / जीटी / 2020ए3 / जीटी / 2021 में 14 / आरपी / 2024	आरपी	12/08/2024
398	228 / एटी / 2024	एटी	21/08/2024
399	178 / टीएल / 2024	टीएल	26/08/2024
400	236 / टीडी / 2024	टीडी	26/08/2024
401	257 / जीटी / 2020 में 28 / आरपीत्ऱ / 2023	आरपी	01/08/2024
402	118 / एटी / 2024	एटी	01/08/2024
403	215 / टीएल / 2024	टीएल	13/08/2024
404	100 / टीएल / 2024	टीएल	09/08/2024
405	201 / एटी / 2024	एटी	09/08/2024
406	330 / टीटी / 2022	टीटी	01/08/2024

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निपटान की गई याचिकाओं (आईए को छोड़कर) की सूची			
क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
407	86 / टीटी / 2023	टीटी	02/08/2024
408	145 / जीटी / 2019	जीटी	02/08/2024
409	219 / जीटी / 2019	जीटी	02/08/2024
410	246 / जीटी / 2021	जीटी	02/08/2024
411	67 / टीटी / 2023	टीटी	02/08/2024
412	127 / टीटी / 2022	टीटी	02/08/2024
413	35 / टीटी / 2023	टीटी	02/08/2024
414	649 / टीटी / 2020	टीटी	02/08/2024
415	276 / टीटी / 2023	टीटी	02/08/2024
416	34 / टीटी / 2023	टीटी	02/08/2024
417	193 / ।ज / 2024	एटी	01/08/2024
418	215 / टीटी / 2017	टीटी	02/08/2024
419	112 / टीटी / 2017	टीटी	02/08/2024
420	219 / एमपी / 2024	एमपी	02/08/2024
421	218 / एमपी / 2024	एमपी	02/08/2024
422	229 / जीटी / 2020 में 11 / आरपी / 2023	आरपी	02/08/2024
423	79 / एटी / 2024	एटी	01/08/2024
424	130 / टीडी / 2024	टीडी	01/08/2024
425	254 / जीटी / 2020	जीटी	01/08/2024
426	231 / एमपी / 2024	एमपी	22/07/2024
427	255 / जीटी / 2020 में 31 / आरपी / 2023	टारपी	31/07/2024
428	44 / टीएल / 2024	टीएल	10/07/2024
429	71 / टीएल / 2024	एटी	24/07/2024
430	52 / टीएल / 2024	टीएल	26/07/2024
431	97 / एमपी / 2024	एमपी	26/07/2024
432	63 / टीटी / 2023	टीटी	18/07/2024
433	641 / जीटी / 2020	जीटी	15/07/2024
434	176 / टीएल / 2024	टीएल	15/07/2024
435	347 / एमपी / 2022	एमपी	15/07/2024
436	188 / एमपी / 2024	एमपी	15/07/2024

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निपटान की गई याचिकाओं (आईए को छोड़कर) की सूची			
क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
437	135/एटी/2024	एटी	10/07/2024
438	101/एटी/2024	एटी	10/07/2024
439	642/जीटी/2020 में 26/आरपी/2023	आरपी	12/07/2024
440	192/एमपी /2024	एमपी	12/07/2024
441	64/एटी/2024	एटी	09/07/2024
442	179/टीडी/2024	टीडी	04/07/2024
443	17/आरपी/2023 में 6/टीटी/2020	आरपी	04/07/2024
444	134/टीएल/2024	टीएल	04/07/2024
445	20/एमपी /2021 में 41/आरपी/2023	आरपी	04/07/2024
446	378/टीटी/2020 में 6/आरपी/2023	आरपी	04/07/2024
447	206/एमपी /2024	एमपी	04/07/2024
448	198/एमपी /2024	एमपी	04/07/2024
449	471/टीटी/2020 में 29/आरपी/2022ए 471/टीटी/2020 में 81/ए/2021	आरपी	01/07/2024
450	102/टीएल/2024	टीएल	25/06/2024
451	166/एमपी /2024	एमपी	25/06/2024
452	156/टीएल/2024	टीएल	24/06/2024
453	157/एमपी /2024	एमपी	24/06/2024
454	163/एमपी /2024	एमपी	24/06/2024
455	146/टीएल/2024	टीएल	23/06/2024
456	528/जीटी/2020	जीटी	21/06/2024
457	7/टीटी /2018	टीटी	19/06/2024
458	133/टीटी /2023	टीटी	17/06/2024
459	133/टीएल/2024	टीएल	16/06/2024
460	289/टीटी/2023	टीटी	06/06/2024
461	120/एमपी /2024	एमपी	12/06/2024
462	215/एमपी /2022	एमपी	12/06/2024
463	30/टीएल/2024	टी	13/06/2024
464	32/टीएल/2024	टी	13/06/2024
465	108/टीएल/2024	टी	15/06/2024

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निपटान की गई याचिकाओं (आईए को छोड़कर) की सूची			
क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
466	113/एमपी /2024	एमपी	13/06/2024
467	209/एमपी /2024	एमपी	15/06/2024
468	310/टीएल/2023	टीएल	06/06/2024
469	68/एटी/2024	एटी	01/06/2024
470	103/एटी/2024	एटी	04/06/2024
471	147/एटी/2024	एटी	31/05/2024
472	194/टीटी/2023	टीटी	30/05/2024
473	3/एसएम/2024	एसएस	23/05/2024
474	193/टीटी /2023	टीटी	30/05/2024
475	291/टीटी /2022	टीटी	30/05/2024
476	122/टीएल/2024	टीएल	28/05/2024
477	114/टीएल/2024	टीएल	28/05/2024
478	76/टीएल/2024	टीएल	28/05/2024
479	109/एटी/2024	एटी	28/05/2024
480	62/एटी/2024	एटी	28/05/2024
481	115/एटी/2024	एटी	28/05/2024
482	61/टीएल/2024	टीएल	24/05/2024
483	117/एटी/2024	एटी	27/05/2024
484	41/टीटी /2022	टीटी	19/05/2024
485	167/टीटी /2022	टीटी	19/05/2024
486	134/एमपी /2021	एमपी	19/05/2024
487	377/एमपी /2022	एमपी	19/05/2024
488	265/एमपी /2018	एमपी	19/05/2024
489	144/जीटी/2020 में 15/आरपी/2023	आरपी	19/05/2024
490	145/जीटी/2020 में 3/आरपी/2023	आरपी	19/05/2024
491	183/जीटी/2022	जीटी	19/05/2024
492	365/जीटी/2020 में 49/आरपी/2022	आरपी	19/05/2024
493	90/एमपी/2020	एमपी	19/05/2024
494	354/एमपी /2023	एमपी	19/05/2024
495	407/जीटी/2020	जीटी	17/05/2024

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निपटान की गई याचिकाओं (आईए को छोड़कर) की सूची			
क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
496	257/एमपी /2022	एमपी	18/05/2024
497	576/जीटी/2020 में 21/आरपी/2023	आरपी	19/05/2024
498	180/टीटी/2021	टीटी	16/05/2024
499	147/एमपी /2021	एमपी	16/05/2024
500	68/एमपी /2023	एमपी	16/05/2024
501	249/एमपी /2023	एमपी	16/05/2024
502	262/एमपी /2022	एमपी	19/05/2024
503	12/टीटी /2023	टीटी	19/05/2024
504	582/जीटी/2020	जीटी	19/05/2024
505	145/एमपी /2024	एमपी	18/05/2024
506	363/जीटी/2020 में 1/आरपी/2024	आरपी	19/05/2024
507	294/जीटी/2020	जीटी	19/05/2024
508	167/एमपी /2021	एमपी	19/05/2024
509	387/जीटी/2020	जीटी	19/05/2024
510	139/एमपी /2022	एमपी	17/05/2024
511	116/एमपी /2019	एमपी	18/05/2024
512	411/जीटी/2020 में 27/आरपी/2023	आरपी	17/05/2024
513	5/एमपी /2022	एमपी	18/05/2024
514	25/एमपी /2020	एमपी	17/05/2024
515	25/एमपी /2022	एमपी	17/05/2024
516	36/टीटी/2023	टीटी	16/05/2024
517	138/एमपी /2023	एमपी	19/05/2024
518	452/एमपी /2019 में 17/आरपी/2022	आरपी	19/05/2024
519	40/एमपी/2023	एमपी	19/05/2024
520	31/एमपी/2023	एमपी	19/05/2024
521	162/एमपी/2023	एमपी	19/05/2024
522	160/एमपी/2024	एमपी	19/05/2024
523	29/जीटी/2021	जीटी	19/05/2024
524	136/एमपी/2023	एमपी	19/05/2024
525	99/एटी/2024	एटी	13/05/2024

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निपटान की गई याचिकाओं (आईए को छोड़कर) की सूची			
क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
526	87/एमपी/2022	एमपी	13/05/2024
527	151/एमपी /2021	एमपी	15/05/2024
528	270/एमपी /2023	एमपी	15/05/2024
529	182/एमपी /2022	एमपी	15/05/2024
530	281/एमपी /2023	एमपी	12/05/2024
531	9/एमपी/2024	एमपी	12/05/2024
532	43/एमपी/2021	एमपी	12/05/2024
533	369/एमपी/2022	एमपी	11/05/2024
534	157/एमपी/2021	एमपी	10/05/2024
535	226/एमपी/2023	एमपी	10/05/2024
536	381/एमपी/2023	एमपी	11/05/2024
537	632/जीटी/2020 में 40/आरपी/2023	आरपी	11/05/2024
538	88/टीटी/2017	टीटी	10/05/2024
539	160/एमपी /2023	एमपी	09/05/2024
540	295/ टीटी /2022	टीटी	08/05/2024
541	116/टीटी/2023	टीटी	08/05/2024
542	18/जीटी/2021 में 5/आरपी/2024	टारपी	07/05/2024
543	360/एमपी /2022	एमपी	07/05/2024
544	16/एमपी/2023	एमपी	03/05/2024
545	47/एमपी/2021	एमपी	03/05/2024
546	373/एमपी/2018	एमपी	04/05/2024
547	206/एमपी/2023	एमपी	03/05/2024
548	197/एमपी/2023	एमपी	03/05/2024
549	58/टीएल/2024	टीएल	03/05/2024
550	221/एमपी /2023	एमपी	02/05/2024
551	140/एमपी/2022	एमपी	01/05/2024
552	109/एमपी/2023	एमपी	01/05/2024
553	393/जीटी/2020 में 10/आरपी/2023	आरपी	01/05/2024
554	370/एमपी/2022	एमपी	30/04/2024
555	3/टीएल/2024	टीएल	25/04/2024

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निपटान की गई याचिकाओं (आईए को छोड़कर) की सूची			
क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
556	114/एमपी/2023	एमपी	30/04/2024
557	14/एमपी/2019	एमपी	30/04/2024
558	329/टीटी/2022	टीटी	30/04/2024
559	75/एटी/2024	एटी	30/04/2024
560	113/एमपी/2023	एमपी	29/04/2024
561	275/टीटी /2023	टीटी	29/04/2024
562	367/जीटी/2020 में 33/आरपी/2022	आरपी	29/04/2024
563	48/एमपी/2023	एमपी	25/04/2024
564	70/एमपी/2024	एमपी	26/04/2024
565	53/एटी/2024	एटी	25/04/2024
566	211/एमपी/2022	एमपी	25/04/2024
567	563/जीटी/2020	जीटी	24/04/2024
568	283/एमपी/2023	एमपी	21/04/2024
569	292/एमपी/2023	एमपी	21/04/2024
570	291/एमपी/2023	एमपी	21/04/2024
571	34/टीएल/2024	टीएल	22/04/2024
572	55/टीएल/2024	टीएल	22/04/2024
573	322/टीएल/2023	टीएल	22/04/2024
574	318/एमपी /2022	एमपी	19/04/2024
575	296/टीटी/2022 में 25/आरपी/2023	आरपी	19/04/2024
576	321/टीटी/2023	टीटी	18/04/2024
577	369/जीटी/2020 में 35/आरपी/2023	आरपी	18/04/2024
578	420/जीटी/2020 में 9/आरपी/2023	आरपी	18/04/2024
579	142/जीटी/2022 में 2/आरपी/2024	आरपी	18/04/2024
580	445/जीटी/2020	जीटी	17/04/2024
581	118/एमपी /2023	एमपी	17/04/2024
582	131/एमपी /2022	एमपी	16/04/2024
583	450/जीटी/2020	जीटी	16/04/2024
584	201/एमपी /2023	एमपी	15/04/2024
585	293/टीएल/2023	टीएल	15/04/2024

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निपटान की गई याचिकाओं (आईए को छोड़कर) की सूची			
क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
586	22 / टीएल / 2024	टीएल	15/04/2024
587	171 / एमपी / 2023	एमपी	14/04/2024
588	439 / जीटी / 2020	जीटी	14/04/2024
589	221 / जीटी / 2020	जीटी	14/04/2024
590	364 / टीएल / 2023	टीएल	13/04/2024
591	50 / टीएल / 2024	टीएल	13/04/2024
592	374 / टीएल / 2023	टीएल	15/04/2024
593	47 / टीएल / 2024	टीएल	13/04/2024
594	45 / टीटी / 2022 में 36 / आरपी / 2023	आरपी	10/04/2024
595	299 / एमपी / 2023	एमपी	11/04/2024
596	109 / एमपी / 2022	एमपी	12/04/2024
597	2 / टीटी / 2023	टीटी	11/04/2024
598	54 / एमपी / 2024	एमपी	05/04/2024
599	172 / एमपी / 2023	एमपी	08/04/2024
600	159 / टीटी / 2023	टीटी	08/04/2024
601	72 / एमपी / 2020 में 37 / आरपी / 2023	आरपी	06/04/2024
602	123 / टीएल / 2023	टीएल	06/04/2024
603	92 / एमपी / 2024 में 17 / ए / 2024 में 13 / आरपी / 2024	आरपी	05/04/2024
604	33 / एटी / 2024	एटी	03/04/2024
605	10 / एसएम / 2021	एसएम	03/04/2024
606	352 / टीएल / 2023	टीएल	03/04/2024

अनुबंध-II

थर्मल उत्पादन स्टेशनों/कंपनियों के यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2024 को संस्थापित क्षमता

एनटीपीसी कोयला स्टेशनः

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	31.03.2025 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन स्टेशन/यूनिट की सीओडी
1	सिंगरौली एसटीपीएस	2000	01-05-1988
2	रिहंद एसटीपीएस-I	1000	01-01-1991
3	रिहंद एसटीपीएस-II	1000	01-04-2006
4	रिहंद एसटीपीएस-III	1000	27-03-2014
5	एफजीयूटीपीएस उंचाहार-I	420	13-02-1992
6	एफजीयूटीपीएस उंचाहार-II	420	01-01-2001
7	एफजीयूटीपीएस उंचाहार-III	210	1-01-2007
8	एफजीयूटीपीएस उंचाहार-IV	500	30-09-2017
9	टांडा-I	440	14-01-2000
10	टांडा-II	1320	01-07-2021
11	एनसीटीपीएस दादरी-I	840	01-12-1995
12	एनसीटीपीएस दादरी-II	980	31-07-2010
13	कोरबा एसटीपीएस-I एवं II	2100	01-06-1990
14	कोरबा एसटीपीएस –III	500	21-03-2011
15	सीपत एसटीपीएस-I	1980	01-08-2012
16	सीपत एसटीपीएस-II	1000	01-01-2009
17	विंध्याचल एसटीपीएस-I	1260	01-02-1992
18	विंध्याचल एसटीपीएस -II	1000	01-10-2020
19	विंध्याचल एसटीपीएस-III	1000	15-07-2007
20	विंध्याचल एसटीपीएस-IV	1000	27-03-2014
21	विंध्याचल एसटीपीएस -V	500	30-10-2015
22	लारा	1600	07-11-2020
23	सोलापुर	1320	30-03-2019
24	मौदा एसटीपीएस-I	1000	30-03-2014
25	मौदा एसटीपीएस-II	1320	18-09-2017
26	गाडरवारा	1600	01-03-2021
27	खरगोन	1320	4-04-2020
28	तालचेर एसटीपीएस-I	1000	1-07-1997

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	31.03.2025 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन स्टेशन/यूनिट की सीओडी
29	तालचेर एसटीपीएस –II	2000	01-08-2005
30	दर्लीपाली I	1600	01-09-2021
31	कहलगांव एसटीपीएस-I	840	01-08-1996
32	कहलगांव एसटीपीएस -II	1500	20-03-2010
33	फरक्का एसटीपीएस-I एवं II	1600	01-07-1996
34	फरक्का एसटीपीएस –III	500	04-04-2012
35	बढ़ एसटीपीएस-I	1320	01-08-2023
36	बढ़ एसटीपीएस –II	1320	08-03-2016
37	बरौनी-II	500	01-11-2021
38	बोंगाईगांव टीपीएस	750	26-03-2019
39	रामगुंडम एसटीपीएस-I एवं II	2100	01-04-1991
40	रामगुंडम एसटीपीएस-III	500	25-03-2005
41	सिम्हाद्री एसटीपीएस –I	1000	01-03-2003
42	सिम्हाद्री एसटीपीएस -II	1000	30-09-2012
43	कुडगी	2400	15-09-2018
44	तेलंगाना I	1600	01-03-2024
45	नबीनगर एसटीपीएस -I	1980	01-06-2022
46	मुजफ्फरपुर टीपीएस-II	390	01-07-2017
47	उत्तर करनपुरा-I	1320	20-03-2024
	कुल	**53850**	

एनटीपीसी गैस स्टेशन :

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	31.03.2025 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन स्टेशन/यूनिट की सीओडी
48	फरीदाबाद	431.59	01-01-2001
49	औरैया	663.36	01-12-1990
50	दादरी	829.78	01-04-1997
51	अन्ता	419.33	01-08-1990
52	झानोर गंधार	657.39	01-11-1995
53	कवास	656.20	01-09-1993
54	कायमकुलम	359.58	01-03-2000
	कुल	4017.23	

एनटीपीसी–जेवी स्टेशनः

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	31.03.2025 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन स्टेशन/यूनिट की सीओडी
55	एपीसीपीएल, झज्जर	1500	26-04-2013
56	एनटीईसीएल, वेल्लूर	1500	26-02-2015
57	बीआरबीसीएल, नबीनगर	1000	01-12-2021
58	एमयूएनपीएल, मेजा	1320	31-01-2021
	कुल	**5320**	

ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी (ओटीपीसी)

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	31.03.2025 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन स्टेशन/यूनिट की सीओडी
1.	ओटीपीसी पलटाना परियोजना	726	24.03.2015
	कुल	**726**	

टिहरी हाइड्रो विकास कार्पोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसी)

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	31.03.2025 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन स्टेशन/यूनिट की सीओडी
1.	खुर्जा सुपर थर्मल पावर संयंत्र	660	26.01.2025 (CoD of Unit-I)
	कुल	660	

उडुपी पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल)

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	31.03.2025 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन स्टेशन/यूनिट की सीओडी
1.	उडुपी टीपीपी	1200	19.08.2012
	कुल	1200	

प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल)

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	31.03.2025 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन स्टेशन/यूनिट की सीओडी
1.	पीपीसीएल - III-बवाना	1371.20	27.03.2014
	कुल	1371.20	

अनुबंध-III

दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी) के उत्पादन स्टेशनों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2025 को संस्थापित क्षमता

दामोदर वैली कार्पोरेशन

क्र. सं.	उत्पादन स्टेशन का नाम	31.03.2025 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन स्टेशन/यूनिट की सीओडी
1	बोकारो टीपीएस–क	(1 X500)=500	23.2.2017
2	चंद्रपुरा टीपीएस	(2 X 250) = 500	यू-VII: 2.11.2011 यू-VIII: 15.7.2011
3	मेजिया टीपीएस	(4X210)+(2X 250)+(2 X500)=2340	यू-I 1.12.1997 यू-II 15.3.1999 यू-III 28.9.1999 यू-IV 13.2.2005 यू-V 29.2.2008 यू-VI 24.9.2008 यू-VII 2.8.2011 यू-VIII 16.8.2012
4	दुर्गापुर स्टील टीपीएस	(2 X 500) = 1000	यू-I 15.5.2012 यू-II 5.3.2013
5	कोडरमा टीपीएस	(2 X 500) =1000	यू-I 18.7.2013 यू-II 14.6.2014
6	रघुनाथपुर टीपीएस	(2 X 600) = 1200	31.3.2016
	कुल थर्मल	**6540**	

अनुबंध-IV

नीपको के उत्पादन स्टे□ानों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2025 को संस्थापित क्षमता

नीपको

क्र.सं.	उत्पादन स्टेशन	31.03.2025 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन स्टेशन/यूनिट की सीओडी
1.	अगरतला जीपीएस	84 (21 X 4) गैस टरबाइन	01.08.1998
		51 (25.5 X 2) स्टीम टरबाइन	01.09.2015
2.	असम जीपीएस	291 (6x33.5+3X30)	01.04.1999
3.	समन्वित साइकल पावर परियोजना आधारित त्रिपुरा गैस	101 मेगावाट (65.42 MW) गैस और (35.58 MW) स्टीम टरबाइन	*गैस टरबाइन* 24.12.2015
			स्टीम टरबाइन 31.03.2017
	कुल	**527**	

अनुबंध-V

नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन (एनएलसी) के उत्पादन स्टेशनों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2025 को संस्थापित क्षमता

क्र.सं.	उत्पादन स्टेशन	31.03.2025 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	स्टेशन की सीओडी
1.	टीपीएस.2 स्टेज.1	630	23.04.1988
2.	टीपीएस .2 स्टेज .2	840	09.04.1994
3.	टीपीएस .1 विस्तार	420	05.09.2003
4.	टीपीएस .2 विस्तार	500	05.07.2015
5.	बरसिंगसर टीपीएस	250	20.01.2012
6.	एनटीपीएल ;सहायकद्ध	1000	29.8.2015
7.	एनएनटीपीएस	1000	10.2.2021
8.	एनयूपीपीएल	660	12.12.2024
	कुल	**5300**	

अनुबंध-VI

31.3.2024 को नवीनतम अनुमोदित एएफसी पर आधारित उत्पादन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई वर्ष 2024–25 के लिए थर्मल पावर स्टेशन (नियत प्रभार और ऊर्जा प्रभार) के टैरिफ का विवरण निम्नानुसार है:

एनटीपीसी उत्पादन स्टेशन					
क्र. सं.	उत्पादन स्टेशन	31.03.2025 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सामान्य नियत प्रभार (रूपये / किलोवाट घण्टा) / 85ः एसजी	ईसीआर (रूपये / किलोवाट घण्टा)	कुल टैरिफ (रूपये / किलोवाट घण्टा)
1	सिंगरौली एसटीपीएस	2000	0.78	1.72	2.50
2	रिहंद एसटीपीएस-I	1000	0.85	1.70	2.55
3	रिहंद एसटीपीएस –II	1000	0.78	1.69	2.47
4	रिहंद एसटीपीएस –III	1000	1.47	1.68	3.14
5	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार-I	420	1.07	3.82	4.89
6	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार-II	420	1.12	3.75	4.87
7	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार-III	210	1.21	3.74	4.95
8	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार-IV	500	1.66	3.55	5.21
9	टांडा-I	440	1.25	4.74	5.99
10	टांडा-II	1320	1.46	3.20	4.66
11	एनसीटीपीएस दादरी-I	840	1.04	4.47	5.50
12	एनसीटीपीएस दादरी-II	980	1.22	4.27	5.49
13	कोरबा एसटीपीएस-I एवं II	2100	0.77	1.42	2.20
14	कोरबा एसटीपीएस –III	500	1.13	1.40	2.52
15	सीपत एसटीपीएस-I	1980	1.26	1.64	2.89
16	सीपत एसटीपीएस-II	1000	0.98	1.69	2.67
17	विंध्याचल एसटीपीएस-I	1260	0.94	1.89	2.83
18	विंध्याचल एसटीपीएस .प्प	1000	0.78	1.81	2.59
19	विंध्याचल एसटीपीएस-III	1000	0.91	1.80	2.71
20	विंध्याचल एसटीपीएस-IV	1000	1.67	1.78	3.45
21	विंध्याचल एसटीपीएस –V	500	1.72	1.84	3.56
22	लारा	1600	2.28	1.26	3.54
23	सोलापुर	1320	2.00	4.41	6.41
24	मौदा एसटीपीएस-I	1000	1.69	3.53	5.22
25	मौदा एसटीपीएस-II	1320	1.58	3.48	5.06
26	गाडरवारा	1600	2.06	3.27	5.33
27	खरगोन	1320	2.07	4.00	6.07
28	तालचेर एसटीपीएस-I	1000	0.90	1.75	2.65

एनटीपीसी उत्पादन स्टेशन					
क्र. सं.	उत्पादन स्टेशन	31.03.2025 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सामान्य नियत प्रभार (रूपये/किलोवाट घण्टा)/85: एसजी	ईसीआर (रूपये/किलोवाट घण्टा)	कुल टैरिफ (रूपये/किलोवाट घण्टा)
29	तालचेर एसटीपीएस –II	2000	0.82	1.73	2.55
30	दर्लीपाली I	1600	1.85	1.22	3.07
31	कहलगांव एसटीपीएस-I	840	1.05	2.86	3.91
32	कहलगांव एसटीपीएस –II	1500	0.92	2.67	3.59
33	फरक्का एसटीपीएस-I एवं II	1600	0.90	3.29	4.20
34	फरक्का एसटीपीएस –III	500	1.47	3.22	4.69
35	बाढ़ एसटीपीएस-I	1320	2.58	2.95	5.52
36	बाढ़ एसटीपीएस –II	1320	1.83	2.88	4.71
37	बरौनी-II	500	1.96	2.65	4.61
38	बोंगाईगांव टीपीएस	750	2.41	3.64	6.05
39	रामागुंडम एसटीपीएस-I एवं II	2100	0.80	3.95	4.76
40	रामगुंडम एसटीपीएस-III	500	0.85	3.89	4.75
41	सिम्हाद्री एसटीपीएस –I	1000	1.01	3.65	4.65
42	सिम्हाद्री एसटीपीएस -II	1000	1.43	3.63	5.06
43	कुडगी	2400	1.66	4.69	6.35
44	तेलंगाना I	1600	1.61	3.55	5.16
45	नबीनगर एसटीपीएस -I	1980	2.09	2.82	4.91
46	मुजफ्फरपुर टीपीएस-II	390	2.64	2.68	5.31
47	उत्तर करनपुरा-I	1320	2.01	1.76	3.77
48	फरीदाबाद	431.59	0.80	11.56	12.37
49	औरैया	663.36	0.80	12.41	13.21
50	दादरी	829.78	0.52	12.00	12.52
51	अन्ता	419.33	0.64	12.20	12.85
52	गंधार	657.39	1.05	12.29	13.33
53	कवास	656.20	0.90	12.76	13.65
54	कायमकुलम	359.58	0.38	0.00	0.38
एनटीपीसी–जेवी स्टेशन					
55	एपीसीपीएल, झज्जर	1500	1.56	4.14	5.70
56	एनटीईसीएल, वेल्लूर	1500	1.70	3.70	5.40
57	बीआरबीसीएल, नबीनगर	1000	2.33	3.01	5.34
	एमयूएनपीएल, मेजा	1320	2.16	3.05	5.21

मैथॉन पावर लिमिटेड				
58	मैथॉन पावर लिमिटेड	1050	1.389	4.13
एनएलसीआईएल स्टेशन				
59	टीएस-II स्टे.1	630	3.234	4.131
60	टीएस-II स्टे.2	840	3.234	4.157
61	टीपीएस-I विस्तार	420	2.885	3.879
62	बीटीपीएस	250	1.094	3.285
63	टीपीएस.2 विस्तार	500	3.218	5.700
64	एनटीपीएल	1000	1.72	5.87
65	एनएनटीपीपी	1000	2.742	4.775
66	एनयूपीपीएल	660	2.896	6.29
डीवीसी थर्मल स्टेशन				
67	एमटीपीएस (1-3)	630	1.28	5.06
68	एमटीपीएस (4)	210	1.04	4.82
69	एमटीपीएस (5.6)	500	1.26	4.91
70	एमटीपीएस (7.8)	1000	1.63	4.96
71	सीटीपीएस (7.8)	500	1.75	5.20
72	डीएसटीपीएस (1-2)	1000	1.58	5.01
72	केटीपीएस (1-2)	1000	1.63	4.65
73	आरटीपीएस (1-2)	1200	2.18	5.55
74	बीटीपीएस क	500	2.45	5.40
पीपीसीएल-III बवाना गैस संयंत्र				
75	पीपीसीएल बवाना टीपीएस	1371.2	1.10	7.604
ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड, पलटाना परियोजना				
76	पलटाना	726.6	1.28	3.46

नीपको गैस संयंत्र					
77	एजीबीपी	291.00	1.936	4.786	6.722
78	एजीटीसीसीपी	135.00	1.935	4.425	6.36
79	टीजीबीपी	101.00	2.533	2.422	4.955
उडुपी पावर कार्पोरेशन लिमिटेड–उडुपी टीपीपी					
80	उडुपी टीपीपी	1200	1.276	5.086	6.355

अनुबंध-VII

विभिन्न प्रकार के हाइड्रो उत्पादन स्टेशन के प्रत्येक के वाणिज्यिक प्रचालन की वर्ष और 31.03.2025 को संस्थापित क्षमता

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	प्रकार	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन स्टेशन/यूनिट का सीओडी
क	एनएचपीसी				
1.	बैरासिउल	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	3 X 60 = 180	30.08.2021 (पोस्ट आरएण्डएम)
2	लोकटक	मणिपुर	स्टोरेज	3 x 35 = 105	01.06.1983
3	टनकपुर	उत्तराखंड	आरओआर	3 x 31.40 =94.20	01.04.1993
4	चमेरा–I	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	3 x 180 = 540	01.05.1994
5	सलाल	जम्मू एवं कश्मीर	आरओआर	6 x 115 = 690	01.04.1995
6	उरी–I	जम्मू एवं कश्मीर	आरओआर	4 x120 = 480	01.06.1997
7	रंगित एच.ई. परियोजना	सिक्किम	पोंडेज	3 x 20 = 60	15.02.2000
8	चमेराद्व II	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	3 x 100 = 300	31.03.2004
9	धौलीगंगा	उत्तराखंड	पोंडेज	4 x 70 = 280	01.11.2005
10	दुलहस्ती	जम्मू एवं कश्मीर	पोंडेज	3 x130 = 390	07.04.2007
11	तीस्ता–V	सिक्किम	पोंडेज	3 x 170 = 510	10.04.2008
12	सेवा-II	जम्मू एवं कश्मीर	पोंडेज	4 x 30 = 120	24.07.2010
13	चमेरा – III	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	3 x 77 =231	04.07.2012
14	चटक	जम्मू एवं कश्मीर	आरओआर	4x11=44	01.02.2013
15	तीस्ता लॉ डैम–III	सिक्किम	पोंडेज	4 x 33 =132	19.05.2013
16	निमूबाजगो	जम्मू एवं कश्मीर	पोंडेज	3x15= 45	10.10.2013
17	उरी–II	जम्मू एवं कश्मीर	आरओआर	4 x 60 =240	01.03.2014
18	पार्बती स्टेज-III	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	4x130=520	06.06.2014
19	तीस्ता लॉ डैम IV	सिक्किम	पोंडेज के साथ आरओआर	4 x40=160	19.08.2016
20	किशनगंगा	जम्मू एवं कश्मीर	पोंडेज के साथ आरओआर	3x110=330	24.05.2018
	कुल आई.सी.			**5451.20**	
ख	**एनएचडीसी**				
21	इंदिरा सागर	मध्य प्रदेश	स्टोरेज	8x125=1000	25.08.2005

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	प्रकार	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन स्टेशन/यूनिट का सीओडी
22	ओंकारेश्वर	मध्य प्रदेश	पोंडेज	8x65 = 520	15.11.2007
	कुल आई.सी.			**1520**	
ग	**टीएचडीसी**				
23	टिहरी	उत्तराखंड	स्टोरेज	4x250=1000	09.07.2007
24	कोटेश्वर	उत्तराखंड	स्टोरेज	4x100=400	01.04.2012
	कुल आई.सी.			**1400**	
घ	एसजेवीएनएल				
25	नाथपाझाकरी	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	6X250=1500	18.05.2004
26	रामपुर		पोंडेज	6x68.66=412	16.12.2014
27.	नैतवार मोरी	उत्तराखण्ड	आरओआर	2x30=60	04-12-2023
	कुल आई.सी.			**1972**	
E	डीवीसी				
28	मैथन	झारखंड/पश्चिम बंगाल	स्टोरेज	2x20, 1x23.20=63.20	12.12.1958
29	पंचेत	झारखंड/पश्चिम बंगाल	स्टोरेज	2x40=80	March,1991
30	तलिया	झारखंड	स्टोरेज	2x2=4	July,1953
	कुल आई.सी.			**147.20**	
F	नीपको				
31	पनयोर लोवर हाइड्रो पावर स्टेशन (पूर्व में रंगानदी हाइड्रो पावर स्टेशन)	अरुणाचल प्रदेश	पोंडेज	3x135=405	12.04.2002
32	कोपिली स्टेज I	असम	स्टोरेज	4x50=200	12.07.1997
33	कोपिली स्टेज-II	असम	स्टोरेज	1x25=25	26.07.2004
34	खांडोंग	असम	स्टोरेज	2x25=50	04.05.1984
35	दोयांग	नगालैंड	स्टोरेज	3x25=75	08.07.2000
36	तुइरिअल	मिजोरम	स्टोरेज	2x30=60	31.01.2018
37	पारे	अरुणाचल प्रदेश	पोंडेज	2x55=110	28.05.2018
38	कामेंग	अरुणाचल प्रदेश	आरओआर	4x150=600	12.02.2021
	कुल आई.सी.			**1525**	
G	एनटीपीसी				
39	कोल्डम	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	4x200=800	18.07.2015

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	प्रकार	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन स्टेशन/यूनिट का सीओडी
	कुल आई.सी.			**800**	
H	बीबीएमबी				
40	बीबीएमबीका उत्पादन स्टेशन	पंजाब	आरओआर/ स्टोरेज	**2936.73**	1955-1983
	कुल आई.सी.			**2936.73**	
I	तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड				
441	तीस्ता-III एचईपी	सिक्किम	पोंडेज	6x200=1200	28.02.2017
	कुल आई.सी.			**1200**	
J	आईपीपी				
42	करचम वांगटू	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	4x250=1000	13.09.2011
	कुल आई.सी.			**1000**	
कुल योग आई.सी.				**17952.13**	

अनुबंध VIII

31.3.2024 को नवीनतम अनुमोदित एएफसी पर आधारित उत्पादन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई वर्ष 2024–25 के लिए थर्मल पावर स्टेशन (नियत प्रभार और ऊर्जा प्रभार) के टैरिफ का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	पावर स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	यूनिटों की सं./ क्षमता (मेगावाट)	वार्षिक डीई (एमयू)	समन्वित टैरिफ (जम्मू–कश्मीर के लिए जल कर सहित) (रूपये/ किलोवाट घण्टा)
	एनएचपीसी				
1	बैरासियूल	180	(3 x 60)	661.09	2.84
2	सलाल	690	(6 x 115)	3082	2.64
3	टनकपुर	94.2	(3 x 31.4)	452.19	5.35
4	चमेरा-I	540	(3 x 180)	1664.55	2.28
5	उरी-I	480	(4 x 120)	2587.38	2.36
6	चमेरा-II	300	(3 x 100)	1499.89	2.41
7	धौलीगंगा	280	(4 x 70)	1134.69	2.70
8	दुलहस्ती	390	(3 x 130)	1906.8	5.11
9	लोकटक	105	(3 x 35)	448	3.89
10	रंगीत	60	(3 x 20)	338.61	4.03
11	तीस्ता-V	510	(3 x 170)	2572.7	1.97
12	उरी-II	240	(4 x 60)	1123.77	5.27
13	निमू बाजगो	45	(3 x 15)	239.33	10.61
14	चटक	44	(4 x 11)	212.93	9.91
15	सेवा-II	120	(3 x 40)	533.53	4.60
16	चमेरा-III	231	(3 x 77)	1108.17	4.18
17	पारबती-III	520	(4 x 130)	1963.29	2.72
18	टीएलडीपी-III	132	(3 x 44)	594.07	5.59
19	टीएलडीपी-IV	160	(4x40)	720	4.35
20	किशनगंगा	330	(3x110)	1712.96	4.94
	एसजेवीएनएल				
21	नाथपा झाकरी	1500	(250x6)	6612	2.406
22	रामपुर	412	(68.67x6)	1878.08	4.162
	नीपको				
23	रंगानदी	405	(3x135)	1509.69	2.806
24	कोपीली स्टेज-I	200	(4x50)	1186.14	2.35

क्र. सं.	पावर स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	यूनिटों की सं./ क्षमता (मेगावाट)	वार्षिक डीई (एमयू)	समन्वित टैरिफ (जम्मू–कश्मीर के लिए जल कर सहित) (रूपये/ किलोवाट घण्टा)
25	कोपीली स्टेज-II	25	(1x25)	86.30	3.03
26	खंदोंग	50	(2x25)	227.61	1.775
27	दोयांग	75	(3x25)	227.24	6.972
28	तुइरियल	60	(2x30)	250.63	5.098
29	पारे'	110	(2x55)	506.42	5.342
30	कामेंग'	600	(4x150)	3353	4.0
			टीएचडीसी		
31	टिहरी	1000	(4x250)	2797	3.82
32	कोटेश्वर	400	(4x100)	1154.82	5.55
			एनएचडीसी		
33	इन्दिरा सागर	1000	(8x125)	1442.7	3.71
34	ओंकारेश्वर	520	(8x65)	677.47	4.65
			डीवीसी		
35	मैथन	63.20	(2x20,1x23.20)	137	2.75
36	पंचेट	80	(2x40)	237	3.41
37	तेलैया	4	(2x2)	9.97	20.73
			आईपीपी		
38	करचम वांगटू	1000	(4x250)	4559.77	2.726
			एनटीपीसी		
39	कोलडम	800	(4x200)	3054.79	4.35

- नीपको और इसके लाभर्थियों द्वारा पारस्परिक सहमति।

अनुबंध IX

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आरई प्रौद्योगिकी के लिए जेनरिक टैरिफ

केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2024 के विनियम 8 के अधीन नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्श के लिए आरई टेक्नोलॉजी के लिए जेनेरिक टैरिफ

नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के लिए आरई टेक्नोलॉजी के लिए जेनेरिक टैरिफ सारणी में दर्शाया गया है:

विवरण	स्तरीकृत कुल टैरिफ (रूपये / किलोवाट घण्टा)
लघु हाइड्रो पावर परियोजना	
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और लद्दाख। (5 मेगावाट से नीचे)	6.42
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और लद्दाख। (5 मेगावाट से 25 मेगावाट)	5.82
उड़ीसा (5 मेगावाट से नीचे)	4.92
उड़ीसा (5 मेगावाट से 25 मेगावाट)	4.84
पंजाब (5 मेगावाट से नीचे)	5.53
पंजाब (5 मेगावाट से 25 मेगावाट)	5.44
अन्य राज्य (5 मेगावाट से नीचे)	7.38
अन्य राज्य (5 मेगावाट से 25 मेगावाट)	7.26

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2023–24)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि. वा.घं)	(रू / कि.वा. घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)
वाटर कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आंध्र प्रदेश	3.22	6.00	9.21	0.14	9.07
हरियाणा	3.28	6.83	10.10	0.14	9.96
महाराष्ट्र	3.29	6.98	10.27	0.14	10.13
पंजाब	3.30	7.14	10.44	0.14	10.30
राजस्थान	3.21	5.96	9.17	0.14	9.03
तमिलनाडु	3.21	5.90	9.11	0.14	8.97
तेलंगाना	3.22	6.00	9.21	0.14	9.07
यूपी	3.22	6.10	9.33	0.14	9.19
अन्य	3.25	6.41	9.66	0.14	9.52

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2023–24)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा. घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)
एयर कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आंध्र प्रदेश	3.39	6.13	9.52	0.15	9.37
हरियाणा	3.45	6.98	10.43	0.15	10.28
महाराष्ट्र	3.46	7.14	10.60	0.15	10.45
पंजाब	3.48	7.30	10.78	0.15	10.62
राजस्थान	3.39	6.09	9.48	0.15	9.33
तमिलनाडु	3.38	6.03	9.42	0.15	9.26
तेलंगाना	3.39	6.13	9.52	0.15	9.37
यूपी	3.40	6.24	9.64	0.15	9.48
अन्य	3.42	6.56	9.98	0.15	9.83

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2023–24)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा. घं)	(रू/कि.वा. घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)
वाटर कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आंध्र प्रदेश	3.34	6.00	9.34	0.15	9.18
हरियाणा	3.40	6.83	10.23	0.15	10.08
महाराष्ट्र	3.41	6.98	10.39	0.15	10.24
पंजाब	3.43	7.14	10.56	0.15	10.41
राजस्थान	3.34	5.96	9.30	0.15	9.14
तमिलनाडु	3.33	5.90	9.23	0.15	9.08
तेलंगाना	3.34	6.00	9.34	0.15	9.18
यूपी	3.35	6.10	9.45	0.15	9.30
अन्य	3.37	6.41	9.78	0.15	9.63

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2023–24)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू/कि.वा. घं)	(रू/कि.वा. घं)	(रू/कि.वा. घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)
एयर कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आंध्र प्रदेश	3.52	6.13	9.65	0.17	9.48
हरियाणा	3.58	6.98	10.56	0.17	10.39
महाराष्ट्र	3.59	7.14	10.73	0.17	10.56
पंजाब	3.60	7.30	10.91	0.17	10.74
राजस्थान	3.51	6.09	9.61	0.17	9.44
तमिलनाडु	3.51	6.03	9.54	0.17	9.38
तेलंगाना	3.52	6.13	9.65	0.17	9.48
यूपी	3.53	6.24	9.77	0.17	9.60
अन्य	3.55	6.56	10.11	0.17	9.94

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2023–24)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा. घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)
वाटर कूल कन्डेन्सर और एफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आंध्र प्रदेश	3.21	5.89	9.10	0.14	8.96
हरियाणा	3.27	6.70	9.97	0.14	9.83
महाराष्ट्र	3.28	6.86	10.14	0.14	10.00
पंजाब	3.29	7.01	10.30	0.14	10.16
राजस्थान	3.21	5.85	9.06	0.14	8.92
तमिलनाडु	3.20	5.79	8.99	0.14	8.85
तेलंगाना	3.21	5.89	9.10	0.14	8.96
यूपी	3.22	5.99	9.21	0.14	9.07
अन्य	3.24	6.30	9.54	0.14	9.40

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2023–24)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा. घं)	(रू/कि.वा. घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)
एयर कूल कन्डेन्सर और एफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आंध्र प्रदेश	3.38	6.02	9.40	0.15	9.25
हरियाणा	3.44	6.86	10.30	0.15	10.15
महाराष्ट्र	3.46	7.01	10.47	0.15	10.31
पंजाब	3.47	7.17	10.64	0.15	10.48
राजस्थान	3.38	5.98	9.36	0.15	9.21
तमिलनाडु	3.37	5.92	9.30	0.15	9.15
तेलंगाना	3.38	6.02	9.40	0.15	9.25
यूपी	3.39	6.13	9.52	0.15	9.37
अन्य	3.41	6.44	9.85	0.15	9.70

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2023–24)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू/कि.वा. घं)	(रू/कि.वा. घं)	(रू/कि.वा. घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)
वाटर कूल कन्डेन्सर और एफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आंध्र प्रदेश	3.33	5.89	9.22	0.15	9.07
हरियाणा	3.39	6.70	10.10	0.15	9.94
महाराष्ट्र	3.40	6.86	10.26	0.15	10.11
पंजाब	3.42	7.01	10.43	0.15	10.28
राजस्थान	3.33	5.85	9.18	0.15	9.03
तमिलनाडु	3.33	5.79	9.12	0.15	8.97
तेलंगाना	3.33	5.89	9.22	0.15	9.07
यूपी	3.34	5.99	9.33	0.15	9.18
अन्य	3.36	6.30	9.66	0.15	9.51

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2023–24)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा. घं)	(रू/कि.वा. घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)
एयर कूल कन्डेन्सर और एफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आंध्र प्रदेश	3.51	6.02	9.53	0.17	9.37
हरियाणा	3.57	6.86	10.43	0.17	10.26
महाराष्ट्र	3.58	7.01	10.59	0.17	10.43
पंजाब	3.59	7.17	10.77	0.17	10.60
राजस्थान	3.51	5.98	9.49	0.17	9.33
तमिलनाडु	3.50	5.92	9.43	0.17	9.26
तेलंगाना	3.51	6.02	9.53	0.17	9.37
यूपी	3.52	6.13	9.65	0.17	9.48
अन्य	3.54	6.44	9.98	0.17	9.82

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2023–24)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि. वा.घं)	(रू/कि.वा. घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)
बायोगैस आधारित सह–उत्पादन परियोजना					
आंध्र प्रदेश	3.68	3.93	7.61	0.21	7.40
हरियाणा	3.29	5.59	8.88	0.18	8.70
महाराष्ट्र	2.95	5.51	8.46	0.16	8.30
पंजाब	3.24	4.92	8.16	0.18	7.98
तमिलनाडु	2.85	4.24	7.09	0.16	6.93
त्लंगाना	3.17	3.93	7.10	0.18	6.92
यूपी	3.71	4.39	8.10	0.21	7.88
अन्य	3.23	4.76	7.99	0.18	7.81

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2023–24)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)
बायोमास गैसीफायर पावर परियोजना					
आंध्र प्रदेश	3.53	5.53	9.06	0.14	8.92
हरियाणा	3.58	6.30	9.88	0.14	9.74
महाराष्ट्र	3.59	6.44	10.03	0.14	9.90
पंजाब	3.61	6.59	10.19	0.14	10.05
राजस्थान	3.53	5.50	9.02	0.14	8.88
तमिलनाडु	3.52	5.44	8.96	0.14	8.82
तेलंगाना	3.53	5.53	9.06	0.14	8.92
यूपी	3.53	5.63	9.16	0.14	9.02
अन्य	3.56	5.92	9.47	0.14	9.33
बायोगैस आधारित उत्पादन					
बायोगैस	4.74	5.80	10.54	0.27	10.27
आरडीएफ तकनीकी					
आरडीएफ	10.15	-	10.15	0.55	9.60

अनुबंध X

2024.25 के दौरान केविविआ के अध्यक्ष/सदस्य एवं अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा का ब्योरा

क्र. सं.	अवधि (यात्रा समय छोड़कर)	नाम व पदनाम	यात्रा का उद्देश्य	यात्रा का स्थान
1	21.10.2024-25.10.2024	श्रीमति योगिता एस मेहरा, (अर्थशास्त्र)	पावर सेक्टर में विनियामक फ्रेमवर्क पर सांस्थानिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम – यूरोप में अनुभवों से प्राप्त जानकारी	यूके एवं बेल्जियम
2.	21.10.2024-25.10.2024	श्री हरीश डुडानी, सदस्य	सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह (एसआईईडब्ल्यू) 2024 में सहभागिता	सिंगापुर
3.	28.11.2024-29.11.2024	श्री अवधेश कुमार यादव, प्रमुख (इंजीनियरिंग)	जोहानिसबर्ग में मटला ऊर्जा एनर्जी कॉन्फ्रेन्स में सहभागिता	साउथ अफ्रिका
4.	02.12.2024-06.12.2024	श्री जिश्नु बरुआ, अध्यक्ष	विनियामक संस्थानों के साथ पारस्परिकता के लिए एक्सचेंज विजिट	ऑस्ट्रेलिया
5	02.12.2024-06.12.2024	श्री हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव	विनियामक संस्थानों के साथ पारस्परिकता के लिए एक्सचेंज विजिट	ऑस्ट्रेलिया
6	02.12.2024-06.12.2024	डॉ. एस.के. चटर्जी, प्रमुख (आरए)	विनियामक संस्थानों के साथ पारस्परिकता के लिए एक्सचेंज विजिट	ऑस्ट्रेलिया

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान केविविआ में अधिकारियों द्वारा किए गए देशीय दौरों का विवरण

क्र.सं.	नाम	पदनाम	स्थान	अवधि
1	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	गुवाहाटी	20.04.2024 to 24.04.2024
2	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	रांची	25.04.2024 to 27.04.2024
3	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	गुवाहाटी	20.04.2024 to 24.04.2024
4	श्री प्रवास कुमार सिंह	सदस्य	रांची	25.04.2024 to 27.04.2024
5	श्री अरुण गोयल	सदस्य	रांची	25.04.2024 to 27.04.2024
6	श्री हरप्रीत सिंह प्रुथी	सचिव	रांची	25.04.2024 to 27.04.2024
7	डॉ. एस.के. चटर्जी	प्रमुख (आर.ए.)	रांची	26.04.2024 to 27.04.2024
8	श्रीमति योगिता एस. मेहरा	प्रमुख (अर्थशास्त्र)	मुंबई	26.04.2024 to 27.04.2024
9	श्री जिश्नु बरुआ	सचिव	देहरादून	03.05.2024 to 06.05.2024
10	श्री जिश्नु बरुआ	सचिव	गुवाहाटी	22.05.2024 to 27.05.2024
11	श्री राजीव पुष्करणा	प्रमुख (वित्त)	देहरादून	05.05.2024 to 06.05.2024
12	श्री राजीव पुष्करणा	प्रमुख (वित्त)	रांची	25.04.2024 to 27.04.2024
13	श्री रमेश बाबू वी	सदस्य	शिरडी – पुणे	06.06.2024 to 09.06.2024
14	श्री हरप्रीत सिंह प्रुथी	सचिव	पुणे – नासिक	26.04.2024 to 27.04.2024
15	डॉ. एस.के. चटर्जी	प्रमुख (आर.ए.)	शिरडी – पुणे	06.06.2024 to 09.06.2024
16	श्रीमति योगिता एस. मेहरा	प्रमुख (अर्थशास्त्र)	मुंबई	26.04.2024 to 27.04.2024
17	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	पुणे	07.06.2024 to 11.06.2024
18	श्री अरुण गोयल	सदस्य	पुणे – शिरडी	07.06.2024 to 10.06.2024
20	श्री हरप्रीत सिंह प्रुथी	सचिव	चंडीगढ़	28.06.2024 to 30.06.2024
21	डॉ. एस.के. चटर्जी	प्रमुख (आर.ए.)	चंडीगढ़	28.06.2024 to 30.06.2024
22	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	गुवाहाटी	27.06.2024 to 01.07.2024
23	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	श्रीनगर	06.07.2024 to 09.07.2024
24	श्री हरप्रीत सिंह प्रुथी	सचिव	मुंबई	10.07.2024 to 10.07.2024
25	डॉ. एस.के. चटर्जी	प्रमुख (आर.ए.)	वडोदरा	10.07.2024 to 12.07.2024
26	श्री अवधेश कुमार यादव	प्रमुख (इंजीनियरिंग)	लखनऊ	02.07.2024 to 03.07.2024
27	श्रीमति योगिता एस. मेहरा	प्रमुख (अर्थशास्त्र)	मुंबई	10.07.2024 to 10.07.2024
28	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	हैदराबाद	29.07.2024 to 30.07.2024
29	श्री अरुण गोयल	सदस्य	बेलगाम	18.07.2024 to 19.07.2024
30	श्री अरुण गोयल	सदस्य	चेन्नई	15.07.2024 to 16.07.2024

क्र.सं.	नाम	पदनाम	स्थान	अवधि
31	डॉ. एस.के. चटर्जी	प्रमुख (आर.ए.)	हैदराबाद	28.07.2024 to 30.07.2024
32	श्री अरुण गोयल	सदस्य	हैदराबाद	28.07.2024 to 30.07.2024
33	श्री हरप्रीत सिंह प्रुथी	सचिव	हैदराबाद	28.07.2024 to 30.07.2024
34	श्री रमेश बाबू वी	सदस्य	हैदराबाद	28.07.2024 to 30.07.2024
35	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	देहरादून	23.08.2024 to 24.08.2024
36	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	गुवाहाटी	15.08.2024 to 18.08.2024
37	श्रीमति योगिता एस. मेहरा	प्रमुख (अर्थशास्त्र)	मुंबई	07.08.2024 to 07.08.2024
38	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	गुवाहाटी	05.09.2024 to 08.09.2024
39	श्री रमेश बाबू वी	सदस्य	हैदराबाद	24.08.2024 to 27.08.2024
40	श्री हरीश दुदानी	सदस्य	आगरा	05.09.2024 to 06.09.2024
41	श्री हरीश दुदानी	सदस्य	इंदौर	12.09.2024 to 14.09.2024
42	श्री अवधेश कुमार यादव	प्रमुख (इंजीनियरिंग)	आगरा	05.09.2024 to 06.09.2024
43	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	इंदौर	12.09.2024 to 14.09.2024
44	श्री रमेश बाबू वी	सदस्य	इंदौर	12.09.2024 to 14.09.2024
45	श्री हरप्रीत सिंह प्रुथी	सचिव	इंदौर	12.09.2024 to 13.09.2024
46	डॉ. एस.के. चटर्जी	प्रमुख (आर.ए.)	रांची	22.09.2024 to 24.09.2024
47	श्री अवधेश कुमार यादव	प्रमुख (इंजीनियरिंग)	रांची – पुरुलिया	22.09.2024 to 24.09.2024
48	श्रीमति योगिता एस. मेहरा	प्रमुख (अर्थशास्त्र)	मुंबई	19.09.2024 to 19.09.2024
49	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	कोलकाता	21.09.2024 to 25.09.2024
50	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	लखनऊ	27.09.2024 to 28.09.2024
51	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	पोर्ट ब्लेयर	11.10.2024 to 14.10.2024
52	श्री हरीश दुदानी	सदस्य	पोर्ट ब्लेयर	11.10.2024 to 14.10.2024
53	श्रीमति योगिता एस मेहरा	प्रमुख (अर्थशास्त्र)	मुंबई	19.09.2024 to 19.09.2024
54	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	इंफाल – गुवाहाटी	31.10.2024 to 03.11.2024
55	श्री अवधेश कुमार यादव	प्रमुख (इंजीनियरिंग)	बेंगलुरु – चेन्नई	12.11.2024 to 15.11.2024
56	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	ऋषिकेश	23.11.2024 to 24.11.2024
57	श्री अवधेश कुमार यादव	प्रमुख (इंजीनियरिंग)	गुवाहाटी – असम	21.11.2024 to 22.11.2024
58	डॉ. एस.के. चटर्जी	प्रमुख (आर.ए.)	इंदौर – भोपाल	24.11.2024 to 26.11.2024
59	श्री हरीश दुदानी	सदस्य	हुबली	29.11.2024 to 02.12.2024
60	श्री हरप्रीत सिंह प्रुथी	सचिव	भोपाल	24.11.2024 to 25.11.2024

क्र.सं.	नाम	पदनाम	स्थान	अवधि
61	श्री हरीश दुदानी	सदस्य	जोधपुर	11.12.2024 to 12.12.2024
62	श्री रमेश बाबू वी	सदस्य	जोधपुर	11.12.2024 to 12.12.2024
63	डॉ. एस.के. चटर्जी	प्रमुख (आर.ए.)	मुंबई	19.12.2024 to 19.12.2024
64	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	गुवाहाटी – जोरहाट – कोलकाता	19.12.2024 to 24.12.2024
65	श्री हरीश दुदानी	सदस्य	विजयवाड़ा	22.12.2024 to 23.12.2024
66	श्री हरप्रीत सिंह प्रुथी	सचिव	पोर्ट ब्लेयर	11.10.2024 to 14.10.2024
67	श्री अवधेश कुमार यादव	प्रमुख (इंजीनियरिंग)	जोधपुर	11.12.2024 to 12.12.2024
68	श्री अवधेश कुमार यादव	प्रमुख (इंजीनियरिंग)	रामनगर	19.12.2024 to 20.12.2024
69	श्रीमति योगिता एस मेहरा	प्रमुख (अर्थशास्त्र)	जोरहाट	19.12.2024 to 19.12.2024
70	श्रीमति योगिता एस मेहरा	प्रमुख (अर्थशास्त्र)	जोरहाट	23.12.2024 to 24.12.2024
71	श्री हरीश दुदानी	सदस्य	गुवाहाटी	09.01.2025 to 11.01.2025
72	श्री रमेश बाबू वी	सदस्य	गुवाहाटी – हैदराबाद	09.01.2025 to 12.01.2025
73	श्री हरप्रीत सिंह प्रुथी	सचिव	गुवाहाटी	09.01.2025 to 11.01.2025
74	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	बेंगलुरु	23.01.2025 to 26.01.2025
75	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	गुवाहाटी	08.01.2025 to 12.01.2025
76	श्री हरीश दुदानी	सदस्य	बेंगलुरु	23.01.2025 to 26.01.2025
77	श्री रमेश बाबू वी	सदस्य	बेंगलुरु	23.01.2024 to 27.01.2025
78	श्रीमति योगिता एस मेहरा	प्रमुख (अर्थशास्त्र)	लखनऊ	09.01.2025 to 10.01.2025
79	डॉ. एस.के. चटर्जी	प्रमुख (आर.ए.)	मुंबई – गुवाहाटी	08.01.2025 to 10.01.2025
80	श्री राजीव पुष्करणा	प्रमुख (वित्त)	बेंगलुरु	23.01.2025 to 26.01.2025
81	श्री अवधेश कुमार यादव	प्रमुख (इंजीनियरिंग)	वडोदरा – बैंगलोर	22.01.2025 to 27.01.2025
82	श्री हरीश दुदानी	सदस्य	जैसलमेर	30.01.2025 to 02.02.2025
83	श्री हरप्रीत सिंह प्रुथी	सचिव	जैसलमेर	30.01.2025 to 02.02.2025
84	श्री हरप्रीत सिंह प्रुथी	सचिव	बेंगलुरु	23.01.2025 to 26.01.2025
85	डॉ. एस.के. चटर्जी	प्रमुख (आर.ए.)	कोलकाता	19.01.2025 to 31.01.2025
86	श्रीमति योगिता एस मेहरा	प्रमुख (अर्थशास्त्र)	बेंगलुरु	23.01.2025 to 26.01.2025
87	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	जैसलमेर	30.01.2025 to 02.02.2025
88	श्री रमेश बाबू वी	सदस्य	जैसलमेर	30.01.2025 to 02.02.2025

क्र.सं.	नाम	पदनाम	स्थान	अवधि
89	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	कोलकाता – जोरहाट – गुवाहाटी	12.02.2025 to 17.02.2025
90	श्री हरीश दुदानी	सदस्य	लखनऊ	16.02.2025 to 18.02.2025
91	डॉ. एस.के. चटर्जी	प्रमुख (आर.ए.)	भुज	12.02.2025 to 13.02.2025
92	श्री हरीश दुदानी	सदस्य	गोवा	21.02.2023 to 23.02.2025
93	श्री रमेश बाबू वी	सदस्य	लखनऊ	16.02.2025 to 18.02.2025
94	श्री रमेश बाबू वी	सदस्य	कोलकाता – गुवाहाटी	21.02.2025 to 24.02.2025
95	श्री अवधेश कुमार यादव	प्रमुख (इंजीनियरिंग)	कोलकाता – गुवाहाटी	21.02.2024 to 24.02.2025
96	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	गोवा	21.02.2025 to 23.02.2025
97	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	गुवाहाटी	26.02.2025 to 26.02.2025
98	श्री रमेश बाबू वी	सदस्य	पोर्ट – ब्लेयर	11.10.2024 to 14.10.2024
99	श्री हरप्रीत सिंह प्रुथी	सचिव	गोवा	21.02.2025 to 23.02.2025
100	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	वाराणसी	06.03.2025 to 09.03.2025
101	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	श्रीगंगानगर – फिरोजपुर – तरनतारन – अमृतसर	27.02.2025 to 02.03.2025
102	श्री हरीश दुदानी	सदस्य	वाराणसी	06.03.2025 to 09.03.2025
103	श्री हरप्रीत सिंह प्रुथी	सचिव	श्रीगंगानगर – अमृतसर	27.02.2025 to 02.03.2025
104	डॉ. एस.के. चटर्जी	प्रमुख (आर.ए.)	वाराणसी	06.03.2025 to 09.03.2025
105	डॉ. एस.के. चटर्जी	प्रमुख (आर.ए.)	गोवा	20.02.2025 to 23.02.2025
106	श्री रमेश बाबू वी	सदस्य	वाराणसी	06.03.2025 to 09.03.2025
107	श्री हरप्रीत सिंह प्रुथी	सचिव	वाराणसी	06.03.2025 to 09.03.2025
108	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	भुवनेश्वर	17.03.2025 to 17.03.2025

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

Dated: 04-11-25

To,

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Power,
Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi -110001

Subject: Separate Audit Report on the Annual Accounts of Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi for the year 2024-25.

Sir,

I am to forward herewith the Separate Audit Report on the Annual Accounts of Central Electricity Regulatory Commission (CERC), New Delhi for the year 2024-25 along with the Annual Accounts for the year 2024-25.

The Separate Audit Report and Annual Accounts may kindly be laid on the table of both Houses of the Parliament after these are adopted by the Commission.

Two copies of the document as presented to both Houses of the Parliament may kindly be forwarded to this office with an intimation regarding the date(s) on which these are laid on table of both the Houses of the Parliament.

Yours faithfully,

Encl: As above.

Sd/-

(Tanuja Mittal)
Director General of Audit

पाँचवा, छठा, सातवाँ एवं दसवाँ तल, सी.ए.जी बिल्डिंग, एनैक्सी, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002
5th, 6th, 7th & 10th Floor, C.A.G. Building Annexe, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Tel.: 011-23239213, 011-23239211, Email : pdaenergydl.cag@nic.in / dgaenergydl@cag.gov.in

No.: DGA(Energy) /Rep/01-144/Acs-CERC/2025-26/510 **Dated: 04-11-25**

Copy forwarded to:

The Chairperson, Central Electricity Regulatory Commission, 3^{rd} & 4^{th} floor, Chanderlok Building, New Delhi-110001 alongwith Management Letter for necessary action.

Encl: As above.

Tanuja Mittal

(Tanuja Mittal)
Director General of Audit

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का मत

मत

हमने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2025 को वित्तीय स्थिति का विवरण और उस वर्ष को समाप्त आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा, और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100(2) के साथ पठित भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के नोट शामिल हैं।

इन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, बेहतर पद्धतियों के अनुरूप लेखांकन मानक तथा प्रकटन मानकों आदि के बारे में केवल लेखांकन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका–टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों तथा विनियमों (प्रोप्राइटी तथा नियमितता) के अनुपालन के संबंध में वित्तीय संव्यवहारों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों तथा दक्षता एवं कार्यनिष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हो, को पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट किया जाता है।

हमारे मत में, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) के संलग्न वित्तीय विवरण, उन पर लेखा नीतियों और टिप्पणियाँ तथा निम्नलिखित पृथक लेखापरीक्षक रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों के साथ पढ़े जाने पर, 31 मार्च, 2025 तक स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति और उसके वित्तीय निष्पादन तथा उस वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत एबी/लेखांकन मानकों के लेखा के एकसमान प्रारूप के अनुसार है।

मत के लिए आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा सीएजी के लेखापरीक्षा विनियमों/मानकों/मैनुअल/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शक–नोट /आदेशों/ परिपत्रों आदि के अनुसार तैयार की है। हमारे उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्वों में वर्णित हैं। हम नैतिक आवश्यकताओं जो कि वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से सुसंगत हैं, के अनुसार स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदा. यित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है हमने जो लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं, वे हमारे मत के लिए पर्याप्त हैं और आधार प्रदान करने के लिए समुचित हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन के उत्तरदायित्वः

केविविआ का प्रबंधन भारत में सामान्यतः स्वीकृत केन्द्रीय स्वायत्त निकायोंध्लेखांकन मानकों के लिए निर्धारित लेखा के एकसमान प्रारूप के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और उनके निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए उत्तरदायी है, और आंतरिक नियंत्रण के लिए चूंकि प्रबंधन यह निर्धारित करता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी को सक्षम करना आवश्यक है, जो भौतिक अशुद्ध कथन से मुक्त हों, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस विषय के संबंध में युक्तिसंगत आश्वसान प्राप्त करना है कि समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक अशुद्ध कथनों से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें सीएजी के लेखापरीक्षा विनियमों/मानकों/मैनुअल/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शक–नोट /आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार हमारा मत शामिल है।

कृते और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता/–

(तनुजा मित्तल)

लेखा परीक्षा के महानिदेशक (ऊर्जा)

स्थानः नई दिल्ली

तारीखः 04–11–25

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

क. 31 मार्च, 2025 को तुलन पत्र

क.1 केविविआ निधि (अनुसूची 2) ₹84,385.33 लाख

चालू देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची 3): ₹72,674.98 लाख

31 मार्च, 2025 को अनुदान की अव्ययित राशि के रूप में रु. ₹2.197.39 लाख की राशि 'चालू देयताओं' में शामिल नहीं है जिसे यथाशीघ्र केविविआ निधि में वापस किया जाना था। इस प्रकार, उसे 31 मार्च, 2025 को केविविआ निधि के अधीन दिखाए जाने के बजाए देयता के रूप में दिखाया जाना चाहिए था।

इसका परिणाम ₹2,197.39 की राशि से 'चालू देयताओं' में न्यूनोक्ति प्रदर्शन और 'केविविआ निधि' में अतिश्योक्ति प्रदर्शन के रूप में हुआ है।

ख. सामान्य

ख.2 अनूसूची सं.23– नोट सं.2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं और आकस्मिक देयताएं

उपर्युक्त नोट बताता है कि 31 मार्च, 2025 को केविविआ में मौजूदा देयताओं के संबंध में ₹179.57 लाख की पूंजीगत प्रतिबद्धताएं हैं। तथापि, लेखापरीखा में यह पाया गया कि वे अनुबंध जिनके लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गई है, अप्रैल, 2025 अर्थात् वित्तीय वर्ष 2025–26 में दिए गए थे।

इसके परिणामस्वरूप ₹179.57 लाख की राशि से पूंजीगत प्रतिबद्धताओं में अतिश्योक्ति हुई है।

ग. आंतरिक नियंत्रणों का आकलन

(i) **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:** आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एबी के आकार के अनुरूप है।

(ii) **आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:** आंतरिक लेखापरीक्षा सीए फर्म और पीएओ, एमओपी द्वारा वर्ष 2024–25 तक की अवधि के लिए किया गया है। तथापि, पीएओ, एमओपी से लेखापरीक्षा रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी बाकी है।

(iii) **नियत आस्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:** नियत आस्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए, केविविआ द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। तथापि, वर्ष 2024–25 के लिए भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

(iv) इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन की प्रणाली: 31 मार्च, 2025 को इन्वेंटरी का मूल्य शून्य दर्शाया गया है (अनूसूची–11 और अनूसूची–23 के नोट–8 का संदर्भ लें)। वर्ष 2024–25 के लिए उपभोग्य का भौतिक सत्यापन पूरा कर लिया गया है।

(v) सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता: केविविआ, उस पर लागू सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमित है।

(vi) इकाई के कार्य से संबंधित अन्य मामले: कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं माना गया।

घ. सहायता अनुदान

केविविआ निधि से रिलीज किए गए ₹8,500 लाख (पूंजी पर ₹700 लाख और राजस्व पर ₹7,800 लाख) के अनुदान में से, केविविआ ने वर्ष 2024–25 के दौरान, ₹6,303 लाख (पूंजीगत अनुदान का ₹325 लाख और राजस्व अनुदान का ₹5,978 लाख) का उपयोग किया जिससे ₹2,197 लाख (पूंजीगत अनुदान का ₹375 लाख और राजस्व अनुदान का ₹1,822 लाख) का शेष बचा।

ङ. प्रतिक्रिया की कमी

शून्य

अनुबंध XII

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च, 2025 को तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 2024-25	पूर्ववर्ती वर्ष 2023-24
पूंजी निधि और दायित्व			
पूंजी निधि	1	**33,405.24**	32,630.61
केविविआ निधि	2	**84,385.33**	73,233.77
अन्य निधियां			
1 भविष्य निधियाँ		-	-
2 अन्य		-	-
निर्धारित/बंदोबस्ती निधियां		-	-
सुरक्षित ऋण और उधार			
1 सरकार से		-	-
2 अन्यों से		-	-
असुरक्षित ऋण और उधार		-	-
आस्थगित ऋण देयताएं		-	-
चालू देयताएं एवं प्रावधान	3	**72,674.98**	65,513.19
कुल		**1,90,465.55**	**1,71,377.57**
आस्तियां			
नियत आस्तियां	4 , 4A	**33,114.19**	234.70
निवेश- केविविआ की निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से			
पूंजीगत कार्य-प्रगति	5	**291.05**	-
अग्रिम	6	**9.88**	0.19
जमा – प्रतिभूति जमा	7	**509.23**	507.50
ऋण तथा अग्रिम	8	**98.92**	32,446.82
विविध देनदार	9	**33.70**	6.71
कार्यों के लिए सीपीडब्ल्यूडी को किया गया भुगतान		-	-
नकद तथा बैंक शेष	10	**70,218.07**	68,613.06
अन्य चालू आस्तियां	11	**86,190.51**	69,568.59
कुल		**1,90,465.55**	**1,71,377.57**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	22		
आकस्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पण	23		

दिनांक : 27.06.2025
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता. /–
(राकेश आर्य)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता. /–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(₹ लाख में)

विवरण	अनुसूची	चालू वष 2024-25	पूववती वष 2023-24
आय			
विद्युत मंत्रालय से अनुदान	12	**5,707.53**	7,197.10
बिक्री/सेवाएं		-	-
संगोष्ठियाँ एवं सम्मेलन		-	-
परामर्श		-	-
फीस से आय	13	-	-
निवेश (निर्धारित/बंदोबस्त निधियों से निवेश पर आय का निधियों को अंतरण)		-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन, इत्यादि			
1. रॉयल्टी		-	-
2 प्रकाशन		-	-
ब्याज आय	14	-	-
अन्य आय	15	-	-
पूर्व अवधि मदें (निवल)	16	-	-
आस्थागित आय (सहायता अनुदान से अर्जित आस्तियों पर अवक्षयण)			
1. रिज़र्व अनुदान	4	**140.53**	102.44
2 पूंजीगत अनुदान	4A	**1,913.61**	-
तैयार माल और अर्धनिर्मित उत्पादन के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)		-	-
कुल (क)		**7,761.67**	**7,299.54**
व्यय			
स्थापना खर्चे	17	**2,019.85**	1,795.88
व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं का भुगतान		**661.93**	551.82
यात्रा खर्चे	18	**112.31**	107.02
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	19	**2,351.44**	4,138.99
स्टेशनरी तथा मुद्रण		**51.84**	34.70
प्रकाशन		**32.26**	18.97
विविध और अन्य व्यय		**1.69**	1.07
मरम्मत तथा रखरखाव	20	**41.10**	113.81
पेट्रोल तथा स्नेहक		**29.13**	33.01
आतिथ्य खर्चे		**34.27**	62.73
लेखा-परीक्षा फीस		**6.63**	6.14
विधिक प्रभार		-	-
भविष्य निधि एवं अन्य अंशदान	21	**338.26**	330.77
जीपीएफ/सीपीएफ पर ब्याज		-	-
समूह बीमा योजना		-	-
मूल्यह्रास	4,4A	**2,041.67**	102.44
पूर्व अवधि मद (निवल)	16	**39.29**	2.19
नियत आस्तियों की बिक्री से हानि			
अशोध्य ऋण की वापसी			
कुल (ख)		**7,761.67**	**7,299.54**
व्यय पर आय की अधिकता का सीईआरसी निधि खाते में अंतरण		**-**	**-**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	22		
आकस्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पण	23		

दिनांक : 27.06.2025
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./–	हस्ता./–
(राकेश आर्य)	(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार	सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च 2025 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची 1 - पूंजी निधि:			चालू वर्ष 2024-25	पूर्ववती वर्ष 2023-24
क पुंजी रिजर्व – अनुदान सहायता से सृजित आस्तियां	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	**234.70**	266.82
घटाएं : अचल आस्तियों पर वर्ष के लिए अवक्षयण के कारण आस्थागित आय (सहायता अनुदान से अर्जित)	(140.53)	(102.44)		
जोड़ें: सहायता अनुदान से निधिक आस्तियों का संवर्धन	157.13	72.30		
घटाएं : सहायता अनुदान से फंड की गई आस्तियों के निपटान का अवशिष्ट मूल्य	(79.62)	(1.98)	**(63.02)**	(32.12)
कुल (क)			**171.68**	**234.70**
ख पूंजी निर्माण - सहायता अनुदान में से निर्मित आस्तियाँ				
वर्ष के आरंभ में शेष	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	**32,395.91**	27,615.89
जोड़ें: वर्ष के दौरान उपयोग किए गए सहायता अनुदान				
पूर्ववर्ती वर्ष से आगे लाए गए अव्यित अनुदान	2,511.08	4,721.52		
पूर्ववर्ती वर्ष से आगे लाया गया अव्ययित अनुदान जिसे वापस केविविआ निधि में अंतरित किया गया	(2,511.08)	-		
वर्ष के दौरान प्राप्त पूंजीगत अनुदान	700.00	2,578.48		
वर्ष के दौरान मंजूर किए गए पूंजीगत अनुदान की कुल राशि	**700.00**	**7,300.00**		
उपचित आधार पर समायोज्य पूंजीगत व्यय	2,426.39	(8.90)		
घटाएं : अगले वित्तीय वर्ष में ले जाया गया अव्ययित पूंजीगत अनुदान-नगद आधार	(375.13)	(2,511.08)		
घटाएं : नियत आस्तियों पर वर्ष के लिए मूल्यह्रास के कारण आस्थगित आय (सहायता अनुदान से प्राप्त)	(1,913.61)	-	**837.65**	4,780.02
कुल (ख)			**33,233.56**	**32,395.91**
कुल योग (क + ख)			**33,405.24**	**32,630.61**

दिनांक : **27.06.2025**
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता. /–
(राकेश आर्य)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता. /–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च 2025 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची 2-केविविआ निधि:			चालू वर्ष 2024-25	पूर्ववर्ती वर्ष 2023-24
वर्ष के प्रारंभ में शेष			**73,233.77**	66,813.22
	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष		
घटाएं: पूर्ववर्ती वर्ष में रिलीज़ राशि का राजस्व अव्ययित शेष	(2,463.83)	(1,431.28)		
पूर्ववर्ती वर्ष में रिलीज़ राशि का पूंजीगत अव्ययित शेष	(2,511.08)	(4,721.52)		
पूर्ववर्ती वर्ष का अव्ययित राजस्व शेष जिसे केविविआ निधि में वापस अंतरित किया गया	2,463.83	-		
पूर्ववर्ती वर्ष का अव्ययित पूंजीगत शेष जिसे वापस केविविआ निधि में वापस अंतरित किया गया	2,511.08	-		
वर्तमान अवधि के दौरान केविविआ निधि से रिलीज़ राजस्व अनुदान	(7,800.00)	(8,268.72)		
वर्तमान अवधि के दौरान केविविआ निधि से रिलीज़ पूंजीगत अनुदान	(700.00)	(2,578.48)	**(8,500.00)**	(17,000.00)
			64,733.77	49,813.22
जोड़ें: प्रत्यक्ष आय :				
फाइलिंग फीस/टैरिफ फीस	12,311.16	11,183.42		
अनुज्ञप्ति फीस	6,724.17	6,688.08		
वार्षिक पंजीकरण फीस	206.95	80.00		
विविध फीस	9.10	37.76	**19,251.38**	17,989.26
अप्रत्यक्ष आय :				
अर्जित ब्याज	424.71	471.08		
अन्य आय	6.67	1.80	**431.38**	472.88
घटाएं: अनुदान सहायता से निधिक आस्तियों का मूल्य			**(157.13)**	(72.30)
जोड़ें: अपीलेंट द्वारा लगाई गई लागत			**0.10**	4.85
जोड़ें: अविवादित ज़ुर्माना			**5.00**	1.00
जोड़ें: अव्ययित राजस्व अनुदान - अगले वित्त वर्ष में ले जाया गया नगद आधार			**1,822.26**	2,463.83
जोड़ें: अव्ययित पूंजीगत अनुदान - अगले वित्त वर्ष में ले जाया गया नगद आधार			**375.13**	2,511.08
जोड़ें: केविविआ निधि के प्रति समायोज्य राजस्व व्यय (उपचय आधार)			**270.21**	39.07
जोड़ें: केविविआ निधि के प्रति समायोज्य पूंजीगत व्यय (उपचय आधार)			**(2,426.39)**	8.90
जोड़ें: आय का व्यय से आधिक्य			-	-
जोड़ें: अनुदान सहायता से निधिक आस्तियों के निपटान का अवशिष्ट मूल्य			**79.62**	1.98
कुल			**84,385.33**	**73,233.77**

दिनांक : 27.06.2025
स्थान : नई दिल्ली

Sd/-
(Rakesh Arya)
Integrated Financial Adviser

Sd/-
(Harpreet Singh Pruthi)
Secretary

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च 2025 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची – 3 : चालू देयताएं और प्रावधान	चालू वर्ष 2024-25	पूर्ववर्ती वर्ष 2023-24
क. **चालू देयताएं**		
1. विविध ऋणदाता	289.77	248.82
2. प्रतिदेय वेतन	156.73	133.03
3. स्टाफ को देय अन्य राशि		
3.1 बाल शिक्षा भत्ता देय	17.21	10.45
3.2 चिकित्सा खर्चे देय	8.80	6.25
3.3 प्रतिदेय एलटीसी	0.06	0.15
4. प्राप्त अग्रिम (फाइलिंग/टैरिफ फीस)		
4.1 लौटाने योग्य/समायोज्य फीस	88.72	88.72
4.2 अपेक्षित ब्यौरे/दस्तावेजों के बिना प्राप्त फीस	265.46	279.75
4.3 व्यापार अनुज्ञप्ति फीस	12.00	6.00
4.4 पारेषण टैरिफ फीस	102.68	-
4.5 उत्पादन टैरिफ फीस	11.55	-
4.6 व्यापार अनुज्ञप्ति फीस	5.00	-
5. भविष्य निधि तथा अन्य अंशदान :		
5.1 सीपीएफ समरूप अंशदान	-	-
5.2 जीपीएफ समरूप अंशदान	0.09	0.09
5.3 ईपीएफ समरूप अंशदान	12.31	11.00
5.4 केविविआ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए पेंशन अंशदान	18.90	20.14
5.5 केविविआ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए छुट्टी वेतन अंशदान	36.31	29.92
5.6 केविविआ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी अंशदान भुगतान	6.48	6.60
5.7 ग्रुप बचत संबद्ध बीमा/एलआईसी	0.01	0.01
5.8 एनपीएस समरूप अंशदान	3.62	2.05
5.9 ईपीएफ विप्रेषण (कर्मचारी) प्रतिदेय	0.32	0.32
5.10 ईपीएफ विप्रेषण (समरूप) प्रतिदेय	0.34	0.34
5.11 ईपीएफ कर्मचारी अंशदान प्रतिदेय	0.17	-
6. अन्य चालू देयताएं		
6.1 जुर्माना	772.98	722.56
6.2 प्रतिभूति जमा	74.71	53.02
6.3 अन्य वसूलियां	-	-
6.4 केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना	-	-
6.5 आयकर अधिनियम के अनुसार टीडीएस	-	2.92
6.6 जीएसटी अधिनियम के अनुसार टीडीएस	4.75	12.74
6.7 स्टाम्फ शुल्क प्रतिदेय	2,400.00	-
कुल (क)	4,288.97	1,634.88
7. प्रावधान		
7.1 छुट्टी नकदीकरण	327.23	288.23
7.2 ग्रेच्युटी	312.04	294.53
8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
8.1 देय लेखा परीक्षा शुल्क	32.02	25.39
8.2 अन्य	0.16	2.47
कुल (ख)	671.45	610.62
9. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अधीन आवर्ती जमा (ग)	67,714.56	63,267.69
कुल योग (क+ख+ग)	72,674.98	65,513.19

दिनांक : 27.06.2025
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./–
(राकेश आर्य)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता./–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च 2025 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

अनुसूची 4–स्थायी संपत्तियां (सहायता अनुदान)

(₹ लाख में)

विवरण	सकल खंड				मूल्यह्रास						निवल खंड	
	वर्ष के आरंभ में लागत	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष की समाप्ति में लागत	वर्ष के आरंभ के रूप में	समायोजन	प्रारंभ पर	वर्ष के दौरान जोड़ पर	वर्ष को दौरान कटौती पर	वर्ष की समाप्ति तक कुल	वर्तमान वर्ष के रूप में	पूर्ववर्ती वर्ष के रूप में
क. मूर्त आस्तिया :												
लकड़ी का पार्टीशन एवं नवीकरण	**297.94**	-	297.94	**-**	**280.21**	(1.98)	0.28	-	278.51	**-**	**-**	17.73
फर्नीचर और फिटिंग्स	**435.66**	-	392.71	**42.95**	**398.75**	-	2.89	-	365.37	**36.27**	**6.68**	36.91
मशीनरी और उपकरण	**348.22**	8.10	278.75	**77.57**	**323.55**	-	3.27	1.32	262.86	**65.28**	**12.29**	24.67
विद्युत संस्थापन एवं उपकरण	**83.35**	20.33	83.35	**20.33**	**73.39**	-	0.41	3.10	73.80	**3.10**	**17.23**	9.96
कंप्यूटर / बाह्य उपकरण	**397.69**	128.59	129.77	**396.51**	**321.56**	-	39.78	64.78	122.36	**303.76**	**92.75**	76.13
पुस्तकालय पुस्तकें	**5.68**	-	5.68	**-**	**5.68**	-	-	-	5.68	**-**	**-**	-
ख. अमूर्त आस्तिया :												
सॉफ्टवेयर	**149.68**	0.11	14.01	**135.78**	**80.38**	-	26.68	-	14.01	**93.05**	**42.73**	69.30
कुल	**1,718.22**	**157.13**	**1,202.21**	**673.14**	**1,483.52**	**(1.98)**	**73.31**	**69.20**	**1,122.59**	**501.46**	**171.68**	**234.70**
कुल योग	**1,718.22**	**157.13**	**1,202.21**	**673.14**	**1,483.52**	**(1.98)**	**73.31**	**69.20**	**1,122.59**	**501.46**	**171.68**	**234.70**
पूर्ववर्ती वर्ष	1,657.15	72.30	11.23	1,718.22	1,390.33	-	92.22	10.22	9.25	1,483.52	234.70	266.82

दिनांक : 27.06.2025
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./–
(राकेश आर्य)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता./–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

अनुसूची 4क–स्थायी संपत्तियां (अन्य)

(₹ लाख में)

विवरण	सकल खंड				मूल्यह्रास					निवल खंड	
	वर्ष के आरंभ में लागत	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष की समाप्ति में लागत	वर्ष के आरंभ के रूप में	प्रारंभ पर	वर्ष के दौरान जोड़ पर	वर्ष को दौरान कटौती पर	वर्ष की समाप्ति तक कुल	वर्तमान वर्ष के रूप में	पूर्ववर्ती वर्ष के रूप में
क. मूर्त आस्तियां :											
भूमि एवं भवन	-	32,319.44	-	**32,319.44**	-	-	1,310.91	-	**1,310.91**	**31,008.53**	-
लकड़ी का पार्टीशन एवं नवीकरण	-	894.53	-	**894.53**	-	-	192.89	-	**192.89**	**701.64**	-
फर्नीचर और फिटिंग्स	-	588.17	-	**588.17**	-	-	128.24	-	**128.24**	**459.93**	-
मशीनरी और उपकरण	-	13.31	-	**13.31**	-	-	2.98	-	**2.98**	**10.33**	-
विद्युत संस्थापन एवं उपकरण	-	555.49	-	**555.49**	-	-	119.78	-	**119.78**	**435.71**	-
कंप्यूटर / बाह्य उपकरण	-	485.18	-	**485.18**	-	-	158.81	-	**158.81**	**326.37**	-
ख. अमूर्त आस्तियां :											
सॉफ्टवेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	**34,856.12**	-	**34,856.12**	-	-	**1,913.61**	-	**1,913.61**	**32,942.51**	-
कुल योग	-	**34,856.12**	-	**34,856.12**	-	-	**1,913.61**	-	**1,913.61**	**32,942.51**	-
पूर्ववर्ती वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट्स :

दिनांक : 27.06.2025
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./–
(राकेश आर्य)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता./–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च 2025 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

अनुसूची 5– प्रगति में पूंजी सकर्म (अन्य)

(₹ लाख में)

विवरण	सकल खंड				मूल्यह्रास					निवल खंड	
	वर्ष के आरंभ में लागत	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष की समाप्ति में लागत	वर्ष के आरंभ के रूप में	प्रारंभ पर	वर्ष के दौरान जोड़ पर	वर्ष को दौरान कटौती पर	वर्ष की समाप्ति तक कुल	वर्तमान वर्ष के रूप में	पूर्ववर्ती वर्ष के रूप में
क. मूर्त आस्तियां :											
लकड़ी का पार्टीशन एवं नवीकरण	-	270.44	-	270.44	-	-	-	-	-	270.44	-
कंप्यूटर / बाह्य उपकरण	-	20.61	-	20.61	-	-	-	-	-	20.61	-
ख. अमूर्त आस्तियां :											
निर्माणाधीन सॉफ्टवेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	291.05	-	291.05	-	-	-	-	-	291.05	-
कुल योग	-	291.05	-	291.05	-	-	-	-	-	291.05	-
पूर्ववर्ती वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

दिनांक : 27.06.2025
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता. /–
(राकेश आर्य)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता. /–
(हरप्रीत सिंह पुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च 2025 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची 6 - अग्रिम		चालू वर्ष 2024-25	पूर्ववर्ती वर्ष 2023-24
1	उत्सव के लिए अग्रिम	**-**	-
2	अन्य अग्रिम		
	- छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम	**-**	0.08
	- विदेश यात्रा अग्रिम	**9.88**	0.11
	- चिकित्सा अग्रिम	-	-
	कुल	**9.88**	**0.19**

(₹ लाख में)

अनुसूची 7 - जमा- प्रतिभूति जमा		चालू वर्ष 2024-25	पूर्ववर्ती वर्ष 2023-24
1	प्रतिभूति जमा - ब्रॉडबैंड	**0.02**	0.02
2	प्रतिभूति जमा - एमटीएनएल	**0.90**	0.90
3	प्रतिभूति जमा - एनडीएमसी	**500.88**	500.88
4	प्रतिभूति जमा - पेट्रोल और स्नेहक	**-**	0.40
5	प्रतिभूति जमा - कर्मचारियों के लिए पट्टा	**6.43**	4.30
6	प्रतिभूति जमा - सी-डैक	**1.00**	1.00
	कुल	**509.23**	**507.50**

(₹ लाख में)

अनुसूची 8 - ऋण तथा अग्रिम			
1	स्टाफ	**98.92**	40.89
2	आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	**-**	10.02
3	अन्य		
	एनबीसीसी सर्विसेज़ लिमिटेड (एनएसएल)	**-**	2,476.47
	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एनबीसीसी परियोजना)	**-**	29,919.44
	कुल	**98.92**	**32,446.82**

दिनांक : 27.06.2025
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता. /—
(राकेश आर्य)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता. /—
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च 2025 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची 9 - विविध देनदार		चालू वर्ष 2024-25	पूर्ववर्ती वर्ष 2023-24
	प्राप्य शुल्क	**33.70**	6.71
	घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था	-	-
कुल		**33.70**	**6.71**

(₹ लाख में)

अनुसूची 10 - नकद तथा बैंक शेष		चालू वर्ष 2024-25	पूर्ववर्ती वर्ष 2023-24
	अनुसूचित बैंक के साथ बैंक शेष		
	चालू खाते में		
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटो स्वीप सहित)	**262.69**	471.60
	पंजाब नेशनल बैंक (ऑटो स्वीप सहित)	**1,932.77**	4,560.97
	बचत खाते में		
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटो स्वीप सहित)	-	4.85
	बैंक ऑफ इंडिया (ऑटो स्वीप सहित)	**1.84**	-
	बचत खाते में (आवर्ती जमा)		
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटो स्वीप सहित)	**67,257.30**	62,860.61
	दीर्घकालीक एफडीआर में		
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	-	1.00
	दीर्घकालिक एफडीआर में (मुकद्दमेबाजी के अधीन प्राप्त जुर्माने के लिए)		
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	-	714.03
	बैंक ऑफ इंडिया	**763.47**	-
कुल		**70,218.07**	**68,613.06**

(₹ लाख में)

अनुसूची 11 - अन्य चालू आस्तियां		चालू वर्ष 2024-25	पूर्ववर्ती वर्ष 2023-24
1	चालू आस्तियां		
	केविविआ निधि खाता (भारत का लोक खाता)	**85,451.51**	69,069.25
2	नकद या वस्तु रूप में प्राप्य अग्रिम तथा अन्य राशियां या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए		
	2.1 पूर्वदत्त खर्चे	**241.76**	59.06
	2.2 छुट्टी का वेतन तथा प्राप्य उपदान	**6.78**	4.46
3	आय प्रोद्भूत परंतु देय नहीं		
	3.1 उपचित ब्याज (ऑटोस्वीप पर)	**2.74**	2.25
	3.2 उपचित ब्याज (शास्ति के लिए एफडीआर पर)	**10.41**	9.43
	3.3 उपचित ब्याज (आवर्ती खाते के लिए ऑटोस्वीप पर)	**457.26**	407.08
	3.4 उपचित ब्याज (एफडीआर पर)	-	0.01
	3.5 उपचित ब्याज (स्टाफ अग्रिम पर)	**20.05**	17.05
4	वस्तुसूची	-	-
कुल		**86,190.51**	**69,568.59**

दिनांक : 27.06.2025
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता. /–
(राकेश आर्य)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता. /–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची-12 विद्युत मंत्रालय से अनुदान	चालू वर्ष 2024-25	पूर्ववर्ती वर्ष 2023-24
पूर्ववर्ती वर्ष से लाया गया अव्ययित अनुदान	2,463.83	1,431.28
घटाएं: पूर्ववर्ती वर्ष से आगे लाया गया अव्ययित अनुदान जिसे वापस केविविआ निधि में अंतरित किया गया	(2,463.83)	-
चालू अवधि के दौरान केविविआ निधि से रिलीज़	7,800.00	8,268.72
वर्ष के दौरान मंजूर किए गए अनुदान की कुल राशि (नगद आधार)	**7,800.00**	**9,700.00**
घटाएं: केविविआ निधि के प्रति समायोज्य व्यय (उपचित आधार)	(270.21)	(39.07)
घटाए: केविविआ निधि को वापस अंतरित नगद आधार पर बचत/अव्ययित	(1,822.26)	(2,463.83)
कुल	**5,707.53**	**7,197.10**

(₹ लाख में)

अनुसूची 13 - शुल्क से आय		चालू वर्ष 2024-25	पूर्ववर्ती वर्ष 2023-24
1	फाइलिंग शुल्क/ टैरिफ शुल्क	-	-
2	अनुज्ञप्ति शुल्क	-	-
3	वार्षिक पंजीकरण शुल्क	-	-
4	विविध शुल्क	-	-
	कुल	-	-

(₹ लाख में)

अनुसूची 14 - ब्याज आय		चालू वर्ष 2024-25	पूर्ववर्ती वर्ष 2023-24
1	ऋण तथा अग्रिम पर ब्याज	-	-
2	बैंक में नकद पर ब्याज	-	-
	कुल	-	-

(₹ लाख में)

अनुसूची 15 - अन्य आय		चालू वर्ष 2024-25	पूर्ववर्ती वर्ष 2023-24
1	घर में कंप्यूटर के प्रयोग के लिए वसूली	-	-
2	विनियम के कम्पेंडियम की बिक्री पर लाभ	-	-
3	आरटीआई शुल्क	-	-
4	विविध प्राप्तियां	-	-
5	अखबार/अवशिष्ट की बिक्री	-	-
	कुल	-	-

दिनांक : 27.06.2025
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./–
(राकेश आर्य)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता./–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची 16 - अवधि पूर्व मदें (निवल)		चालू वर्ष 2024-25	पूर्ववर्ती वर्ष 2023-24
1	पिछले वर्षों में लगाए गए अतिरिक्त मूल्यह्रास का वापस लिखा जाना	(1.98)	-
2	पूर्व अवधि व्यय	26.82	2.19
3	पूर्व अवधि मूल्यह्रास	14.45	-
	कुल	39.29	2.19

(₹ लाख में)

अनुसूची 17 - स्थापना व्यय		चालू वर्ष 2024-25	पूर्ववर्ती वर्ष 2023-24
1	वेतन एवं मजदूरी :		
1.1	कर्मचारी/अधिकारी के वेतन	866.50	817.67
1.2	अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन	204.05	188.71
1.3	भत्ते तथा बोनस	710.23	586.71
1.4	मानदेय	-	0.22
2	कर्मचारी कल्याण खर्चे		
2.1	चिकित्सा तथा स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं	141.33	100.33
2.2	अन्य	56.56	73.70
3	अन्य (विनिर्दिष्ट) :		
3.1	ट्यूशन फीस/बाल शिक्षा भत्ता	17.21	10.45
3.2	छुट्टी यात्रा रियायत	16.13	13.23
3.3	छुट्टी नकदीकरण	7.84	4.86
	कुल	2,019.85	1,795.88

(₹ लाख में)

अनुसूची 18- यात्रा व्यय			चालू वर्ष 2024-25	पूर्ववर्ती वर्ष 2023-24
1	घरेलू यात्रा व्यय			
		अध्यक्ष, सदस्य एवं अन्य अधिकारी	81.57	42.95
		स्टाफ	0.12	0.19
2	विदेश यात्रा व्यय			
		अध्यक्ष, सदस्य एवं अन्य अधिकारी	30.62	63.88
		स्टाफ	-	-
	कुल		112.31	107.02

दिनांक : 27.06.2025
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./–
(राकेश आर्य)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता./–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची 19 - अन्य प्रशासनिक खर्चे		चालू वर्ष 2024-25	पूर्ववर्ती वर्ष 2023-24
1	श्रम एवं प्रसंस्करण खर्चे	797.65	728.53
2	विद्युत एवं ऊर्जा	76.75	69.91
3	जल प्रभार	5.84	6.74
4	किराया दरें एवं कर	824.78	2,905.49
5	डाक व्यय एवं टेलिफोन प्रभार	31.86	28.07
6	वाहन	5.87	0.62
7	अभिदान खर्चे	200.29	129.41
8	विज्ञापन तथा प्रकाशन प्रभार	235.21	136.05
9	अन्य (विनिर्दिष्ट):		
9.1	पुस्तकें एवं आवधिक पत्रिकाएं	37.12	33.60
9.2	टैक्सी/पट्टे पर कार को किराए पर लेने संबंधी प्रभार	96.14	76.80
9.3	प्रशिक्षण खर्चे	6.65	0.97
9.4	यूनिफॉर्म व्यय	0.39	0.35
9.5	उपभोग्य वस्तुएं	23.94	20.26
9.6	बैंडविड्थ प्रभार	7.80	2.19
9.7	दलाली	1.15	-
कुल		**2,351.44**	**4,138.99**

(₹ लाख में)

अनुसूची 20 - मरम्मत एवं रखरखाव		चालू वर्ष 2024-25	पूर्ववर्ती वर्ष 2023-24
1	कंप्यूटर	25.47	21.98
2	भवन	0.56	66.29
3	अन्य	8.47	3.05
4	यूपीएस	-	0.76
5	एयरकंडीशनर्स	6.60	21.73
कुल		**41.10**	**113.81**

(₹ लाख में)

अनुसूची 21- भविष्य निधि और अन्य अंशदान		चालू वर्ष 2024-25	पूर्ववर्ती वर्ष 2023-24
1	भविष्य निधि को अंशदान	181.27	154.86
2	अन्य निधियों को अंशदान:		
2.1	ग्रेच्युटी अंशदान	6.64	9.70
2.2	पेंशन अंशदान	18.52	21.44
2.3	छुट्टी वेतन अंशदान	35.03	30.08
2.4	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	17.45	46.88
2.5	छुट्टी नगदीकरण के लिए प्रावधान	79.35	67.81
कुल		**338.26**	**330.77**

दिनांक : 27.06.2025
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./–
(राकेश आर्य)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता./–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए लेखाओं की भागरूप अनुसूचियाँ

अनुसूची 22 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

लेखांकन कन्वेंशन

वित्तीय विवरण जब तक अन्यथा कथित न किया जाए वह ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के आधार पर और लेखांकन की प्रोदभवन नीति पर तैयार किए जाते हैं। लेखों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की 36) की धारा 100 की उपधारा (1) के केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए केविविआ (वार्षिक लेखा विवरिणी के फार्म एवं रिकॉर्ड) नियमावली, 2007 के अंतर्गत तैयार किया गया है और लेखा को प्रति वर्ष सी एंड एजी द्वारा लेखापरीक्षित किया जाता है। लेखों को लेखांकन सिद्धांतों एवं मानक अनुपालन में तैयार किया गया है।

जब तक अन्यथा कथित न हो, आयोग द्वारा नियमित रूप से अपनाई जाने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का उल्लेख नीचे किया गया हैः –

1. लेखांकन कन्वेंशन

जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, वित्तीय विवरणों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लागू लेखांकन मानकों और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, उपार्जन के आधार पर ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के अधीन तैयार किया जाता है।

2. प्राक्कलनों का उपयोग

भारतीय जीएएपी (सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत) के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए केन्द्रीय आयोग को प्राक्कलन और पूर्वधारणा करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों में आस्तियों, देयताओं (आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण सहित), आय और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करते हैं। यद्यपि यह माना जाता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकपूर्ण और उचित हैं, तथापि वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और प्राक्कलनों के बीच के अंतर को उस अवधि में, जिसमें परिणाम ज्ञात/भौतिक होते हैं, प्रासंगिक खाता शीर्ष में आय/व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

3. राजस्व मान्यता

(i) उचित निश्चितता वाले आय और व्यय को उपचय आधार पर मान्यता दी जाती है। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, सभी अनुज्ञप्तिधारियों/याचिकाकर्ताओं से फीस को संबंधित विनियमों में निर्धारित ढंग से आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) समय–समय पर यथासंशोधित संबंधित विनियमों के अधीन विभिन्न अनुज्ञप्तिधारियों से प्राप्त राजस्व की गणना उपचय आधार पर की जाती है। राजस्व की वसूली के बारे में अनिश्चितता के मामले में जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में लंबित मामले शामिल हैं, राजस्व मान्यता को स्थगित कर दिया जाता है और एएस–9 के पैरा 9 के अनुसार प्रकट किया जाता है।

(iii) सभी प्रकार की याचिकाओं को दाखिल करने की फीस को याचिका दायर करने पर आय के रूप में गणना की जाती है। अतिरिक्त फाइलिंग फीस या अतिरिक्त फाइलिंग के संग्रह की वापसी को देय या प्राप्य, यथास्थिति, के रूप में निर्धारित किया जाता है।

4. निवेश

दीर्घकालिक निवेश लागत पर किए जाते हैं। तथापि, दीर्घकालिक निवेश की अग्रणीत राशि में अस्थायी के अलावा किसी भी गिरावट को पहचानने के लिए प्रावधान किया गया है।

5. केविविआ निधि के लिए लेखांकन व्यवहार

केविविआ निधि (निधि के अनुप्रयोग का गठन और ढंग) नियम, 2007 के अनुसार, केविविआ निधि खाता भारत के लोक लेखा (गैर–व्यपगत और गैर–ब्याज वाला खाता) में खोला गया है। केविविआ द्वारा प्राप्त सभी फीस, अविवादित जुर्माना और अन्य रकमों को 'उपचय आधार' पर केविविआ निधि में जमा किया जाता है। विद्युत मंत्रालय द्वारा केविविआ निधि (भारत के लोक लेखा में बनाए रखा गया) से रिलीज गई राशि को अनुदान सहायता के रूप में माना जाता है और आय एवं व्यय लेखा में उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। केविविआ का व्यय को केविविआ निधि में उपयुक्त व्यवहार के बाद विद्युत मंत्रालय से प्राप्त 'अनुदान सहायता' में से खर्च किया गया है।

6. सरकारी अनुदान/सब्सिडी

(i) सरकारी अनुदान/सब्सिडी को उगाही आधार पर परिगणित किया जाता है।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित लेखा मानक 12 के अनुसार अनुदान सहायता में से अर्जित नियत आस्तियों पर प्रभारित मूल्यह्रास आस्थगित आय के रूप में आय एवं व्यय खाते के आय पक्ष में दर्शाया जाता है और तदनुरूपी रकम की पूंजी निधि से कटौती की गई है।

7. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा में निर्धारित संव्यवहार को संव्यवहार की तारीख पर प्रचालित विनिमय दर को परिगणित किया जाता है। विदेशी विनियम लाभ या हानि यदि कोई है, तो उसे लेखा मानक– 11 के अनुसार वर्ष के आय एवं व्यय खाते में मान्यता दी जाती ळें

8. पट्टा

पट्टा किराया पट्टा निबंधनों के प्रति निर्देश से व्ययित किए जाते हैं।

9. सेवा निवृत्ति फायदे

(i) कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर संदेय उपदान और छुट्टी नकदीकरण के प्रति देयता को लेखा मानक–15"कर्मचारी लाभ" के अनुसार बीमांकन मूल्य के आधार पर परिगणित किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी वेतन एवं पेंशन/ग्रेच्युटी के लिए अंशदान को प्रतिनियुक्ति की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार परिगणित किया जाता है।

(ii) सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (आंतरिक और बाह्य चिकित्सा सुविधा) विनियम, 2015 के अनुसार विनियमित किया जाता है और इसका लेखा–जोखा प्रोद्भवन आधार पर रखा जा रहा है।

10. अचल आस्तियाँ और मूल्यह्रास

क. मूर्त आस्ति

अचल आस्तियों का उल्लेख उनकी मूल लागत घटा संचित मूल्यह्रास और हानि के लिए प्रावधान, यदि कोई हो, पर किया गया है। लागत में अधिग्रहण और निर्माणध्संस्थापना में किए गए व्यय और आस्तियों को इसके वांछित उपयोग के लिए कार्यशील अवस्था में लाने में अन्य संबंधित व्यय शामिल हैं। अचल आस्तियों का उल्लेख, आवक भाड़ा, शुल्कों और करों और अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्चों सहित अधिग्रहण की लागत पर किया गया है।

मूल्यह्रास को अवलिखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) पर निम्नानुसार व्यवस्थित किया जाता है:

(i) आस्ति का अवशिष्ट मूल्य आस्ति के मूल लागत के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(ii) पूंजीकृत होने की योग्यता के लिए आस्ति की न्यूनतम लागत रु. 5000ध–(केवल पांच हजार रुपये) होगी।

(iii) पूंजीगत प्रगतिधीन कार्य में अचल आस्तियों को प्राप्त करने के लिए भुगतान किए गए बकाया अग्रिम शामिल हैं जो अभी तक रिपोर्टिंग की तारीख पर उनके वांछित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं।

(iv) पुस्तकालय की पुस्तकों को राजस्व व्यय के रूप में पहचाना जाता है और इन्हें आय और व्यय खाते में प्रभारित किया जाता है।

(v) उनके प्रभावी जीवन की तुलना में आस्तियां निम्नानुसार सारणीबद्ध की गयी है:

आस्ति	5 प्रतिशत अवशिष्ट मूल्य सहित आस्ति का प्रभावी जीवन
भवन, कार्यालय परिसर(फ्री होल्ड)	60 वर्ष
फर्नीचर एवं इलकट्रिकल फिटिंग	10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
कम्प्यूटर/प्रिंटर और संचार साधन	03 वर्ष
सर्वर और नेटवर्क	6 वर्ष
जिम उपकरण	10 वर्ष

ख. अमूर्त आस्तियाँ

सॉफ्टवेयर प्राप्त करने से संबंधित लागत को "अमूर्त आस्ति" के रूप में पूंजीकृत किया गया है। सॉफ्टवेयर की लागत को पांच वर्षों की अवधि या आस्ति के उपयोगी जीवन, जो भी सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) पर कम हो, के भीतर परिशोधित किया जाता है।

(i) यदि सॉफ्टवेयर बाजार से एकमुश्त खरीदा जाता है, तो खरीद की लागत और आस्ति को वांछित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई भी लागत, पूंजीकृत की जाने वाली लागत हो सकती है। खरीद की तारीख वह तारीख होगी जिससे इसे परिशोधित करने की आवश्यकता होगी। या,

(ii) यदि सॉफ्टवेयर चरणबद्ध तरीके से बनाया जाता है, तो इसे ऐसी स्थिति में लाने के लिए प्रत्येक चरण में जो लागत का पता लगाया जा सकता है, वह वो लागत होगी जिसे पूंजीकृत करने की आवश्यकता होगी। जिस विभाग के पास सभी उपयोगकर्ताओं की स्वीकृति के बाद पूर्वोक्त फेस के संबंध में, सॉफ्टवेयर के विकास और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का दायित्व है, उससे "गो–लाईव" के प्रमाणपत्र की तारीख वह तारीख होगी जिससे उसे परिशोधित किया जाएगा।

12. कराधान

क. **आयकर के लिए प्रावधानः** आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23)(खखछ) के अधीन आय और संपत्ति पर कर से छूट को ध्यान में रखते हुए, लेखा में आयकरध्संपत्ति कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ख. **जीएसटी के अधीन टीडीएस तंत्रः** जीएसटी व्यवस्था के अधीन, सीजीएसटी अधिनियम, 2017की धारा 51'स्रोत पर कर कटौती' के लिए प्राधिकार और प्रक्रिया निर्धारित करती है। सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों (कटौतीकर्ता) को स्रोत पर कर काटने का आदेश दे सकती हैः (क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का विभाग या स्थापनाय या (ख) स्थानीय प्राधिकरणय या (ग) सरकारी एजेंसियांय या (घ) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी जिन्हें परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। कर को कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता (डिडक्टी) को किए गए भुगतान के 2ः की दर से काटा जाएगा, जहां ऐसी आपूर्ति का कुल मूल्य, एक संविदा के अधीन, दो लाख और पचास हजार रुपये से अधिक है। तदनुसार, आयोग ने जीएसटी पर टीडीएस के कटौतीकर्ता के रूप में स्वयं को पंजीकृत किया है।

ग. **जीएसटी पर केविविआ की स्थितिः** विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन विविध कार्यों को करने के लिए केविविआ द्वारा लगाई गई फीस पर जीएसटी की प्रयोज्यता के संबंध में मुद्दा सीएंडएजी और डीजीजीआई द्वारा जांच के अधीन है।

इस संदर्भ में केविविआ ने 2 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के उच्च न्यायालय के समक्ष ऋट याचिका दायर की है जिसमें डीजीजीआई से प्राप्त कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गयी है। केविविआ जैसे विनियामक / अर्द्ध–न्यायिक कार्यों के संबद्ध में जीएसटी लगाने के संबंध में 2024 के रिट याजिका (ग) सं.10680 और 2024 की रिट याचिका (ग) सं.14723 में 15 जनवरी 2025 के अधिनिर्णय में दिल्ली के माननीय उच्च आयोग ने जीएसटी के मांग/कारण बताओं नोटिस को रद्द कर दिया और सीजीएसटी की अनुसूची III में शामिल कोई समाविष्ट छूट अधिशासित रहना जारी रहेगी और केविविआ के लिए लागू होगी।

13. प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

(i) प्रावधानः केन्द्रीय आयोग एक प्रावधान को तब मान्यता देता है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता होती है। यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम प्राक्कलनों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

(ii) आकस्मिक देयताएंः किसी आकस्मिक देयता के लिए प्रकटीकरण किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है, परंतु संभवतः जिसे संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता नहीं होगी। संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व के मामले में जहां संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ है, कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है। आकस्मिक आस्तियों को न तो पहचाना जाता है और न ही प्रकट किया जाता है।

14. एमएसएमईडी प्रकटीकरण

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन कवर किए गए आपूर्तिकर्ताओं के लिए कोई मूल राशि देय नहीं है; अतः कोई प्रावधान नहीं किया गया है (पिछले वर्ष शून्य)। उन्हें कोई ब्याज देय नहीं है। एमएसएमई के रूप में आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति, उनसे प्राप्त पुष्टियों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

हस्ता./–	हस्ता./–
(राकेश आर्य)	**(हरप्रीत सिंह प्रुथी)**
एकीकृत वित्तीय सलाहकार	सचिव

31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए लेखाओं की भागरूप अनुसूचियां

अनुसूची 23– आकस्मिक देयातओं और लेखाओं पर टिप्पण

1. केविविआ निधि

(i) केविविआ निधि (निधि का गठन और उपयोजन की निधि) तथा बजट का प्रारूप एवं तैयारी के लिए समय नियम 2007 के अनुसार इन निधियों में अधिनियम की धारा 98 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय आयोग को दिए गए किसी भी अनुदान और ऋणों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय आयोग द्वारा प्राप्त सभी फीस, समय–समय से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय के अनुसार केन्द्रीय आयोग द्वारा या अन्य स्रोतों से प्राप्त अन्य रकम में सम्मिलित हैं। निधि (क) केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य पारिश्रमिक के लिए (ख) अधिनियम की धारा 79 के अधीन अपने कार्यों के निर्वाह में केन्द्रीय आयोग के व्यय तथा (ग) अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए व्यय के लिए प्रयुक्त होंगे। केन्द्रीय आयोग स्थापना से संबंधित और अन्य व्ययों की पूर्ति के लिए अपने वार्षिक बजट के लिए इन निधियों से रकम रिलीज करने की मांग करेगा।

(ii) विद्युत मंत्रालय द्वारा केविविआ निधि (भारत के लोक लेखा में बनाए रखा गया) से रिलीज गई राशि को अनुदान सहायता के रूप में माना जाता है और आय एवं व्यय लेखा में उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। केविविआ का व्यय को केविविआ निधि में उपयुक्त व्यवहार के बाद विद्युत मंत्रालय से प्राप्त 'अनुदान सहायता' में से खर्च किया गया है।

(iii) केविविआ निधि नियमों के अनुसार, भारत के लोक खाता के अधीन केविविआ निधि खोली गई है जो कि गैर–व्यपगत और गैर–ब्याज वहन खाता है। विद्युत मंत्रालय द्वारा केविविआ निधि से रिलीज गई राशि को ''अनुदान सहायता'' के रूप में माना गया है। वर्ष 2024.25 के दौरान, रु. 24882.26 लाख (पिछले वर्ष में रु. 18356ण्11 लाख) की राशि केविविआ निधि में जमा की गई है और इसी अवधि में विद्युत मंत्रालय ने केविविआ के पूंजीगत और अन्य राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए केविविआ निधि से रु. 85100.00 लाख (पिछले वर्ष में रु. 10847.20 लाख) की राशि रिलीज की जिससे 31 मार्च, 2025 को केविविआ निधि में रु. 85451.51 लाख (पिछले वर्ष में रु. 69069.25 लाख) की शेष राशि बची।

(iv) चालू वर्ष के दौरान, रु. 19682.76 लाख (पिछले वर्ष में रु. 18462.14 लाख) की सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय को केविविआ निधि (तुलन पत्र की अनुसूची–2) में अंतरित किया गया और रु. 85100.00 लाख (पिछले वर्ष 10847.20 लाख) को आयोग के व्यय को पूरा करने के लिए केविविआ निधि से रिलीज किए गए। चालू वर्ष के अंत में नगद आधार पर रु. 2197.39 लाख के अव्ययित शेष (पिछले वर्ष में रु. 4974.91 लाख) को केविविआ निधि में वापस अंतरित किया गया।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं और आकस्मिक देयताएं

दिनांक 31.03.2025 को विद्यमान देयताओं के संबंध में रु. 179.57 लाख की पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

3. पट्टा दायित्व

रु. 1.15 लाख (पिछले वर्ष में 0.99 लाख) की राशि के कार पट्टा व्यवस्थाओं के अधीन किराए के लिए भावी दायित्व।

"पट्टा आवास" के प्रति भावी दायित्व – केविविआ ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पट्टा आवास) विनियम, 2007 के अधीन "पट्टा आवास" सुविधा का विस्तार 04 (चार) कर्मचारियों की संख्या तक किया है। ये विनियम नियमित नियुक्ति, विदेश सेवा शर्तों पर प्रतिनियुक्ति, अल्पकालिक संविदा या स्थायी आमेलन पर आयोग के कर्मचारियों पर लागू होंगे। इन पट्टों की रु. 3.62 लाख (पिछले वर्ष में रु. 1.50 लाख) की मासिक प्रतिबद्धता है जिनकी प्रकृति वर्ष के दौरान किसी भी समय रद्द योग्य है।

4. अचल आस्तियां

(1) विद्युत मंत्रालय से प्राप्त अनुदान सहायता से अर्जित आस्तियों का अवक्षयण किया गया है और पूंजी रिजर्व और पूंजी सृजन में तद्नुरूपी कमी से प्रत्येक वर्ष स्थगित आय के रूप में रेखांकित किया गया है।

(2) वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित स्थानीय प्राधिकारी से एनबीसीसी द्वारा प्राप्त परिसरों के श्पूर्णतः प्रणाण पत्रश उक्त परिसरों से अधिग्रहण के लिए आयोग को उपलब्ध करवाया गया जो संपत्ति के अधिकारों के उपयोग और प्रभावी नियंत्रण को स्थापित करता है। परिसरों को आयोग के प्रचालगत प्रयोजनों के लिए सक्रिय उपयोग में लाया गया है। सरकार के साथ हस्तांत्रण विलेख को हस्ताक्षर के लिए प्रक्रिया मौजूदा स्थिति में एनबीसीसी (एमओएचयूए) द्वारा पूरा किये जाने वाली क्रियाविधि अपेक्षाओं के कारण लंबित है। तद्नुसार, श्उपयोग के लिए तैयारश के मानदंड के पूरा होने पर भवन की लागत लागू लेखांकन मानको के अनुसार लेखा बहियों में विधिवत रूप से पूंजी में परिणत की जाएगी। लेखांकन और विधिक दृष्टिकोण से हस्तांतरण विलेख के लंबित होने के बावजूद आयोग आस्ति के अधिग्रहण, नियंत्रण और सक्रिय प्रयोग सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकंन प्रद्यतियों के अधीन यथानिर्धारित रूप को सिद्ध कर सकता है। मूल्यह्रास को मूल्यह्रास नीति के अनुसार आस्ति के उपयोग की तारीख से लागू किया गया है। यह प्रकटन उक्त परिसरों के विधिक शीर्षक के संबंध में पर्याप्त प्रकटन और पारदर्शिता के अनुपालन में किया जा रहा है।

(3) आस्तियों का निपटानः एक समिति डब्ल्यूटीसी, नरौजी नगर नई दिल्ली में अर्जित नये कार्यालय परिसर सहित पुरानी आस्तियों के उपयोगिता/सुविधा के मूल्यांकन के लिए गठित की गयी थी। तद्नुसार, समिति द्वारा यह निर्णय किया गया कि नये परिसर में कुछ आस्तियों को शिफ्ट किया जाए और रजिस्ट्रर्ड मूल्यांकर्ता मैसर्स जीटेक वेल्यूअर प्रा.लि. की मदद से मूल्यांकित रिजर्व कीमत शेष आस्तियों का निपटान किया जाए। इसके अलावा जीएफआर 220 के प्रावधानों के अंतर्गत आयोग ने ई निलामी के माध्यम से आस्तियों के निपटान के लिए मैसर्स एमएसटीसी लि. को नियुक्त किया जिसने दो लाट्स में (1)स्कैप ई वेस्ट और पुराने/प्रयुक्त सामान्य फर्नीचर, इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिकल और अन्य सामान को 76.32 लाख रूपए की कुल लागत पर किया।

5. चालू दायित्व

कोर्ट के आदेश के अनुसरण में पृथक बैंक खाते

माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पावर एक्सचेंजों में गैर–सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों (आरईसी) की व्यापारित कीमत के संबंध में विवाद का समाधान लंबित है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार 500 प्रति गैर–सौर आरईसी की रकम राष्ट्रीकृत बैंक में खोले गये पृथक संमर्पित बैंक खाते में केविविआ के पास जमा की

गयी है। मामले के निपटान के बाद, भारत की माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार राशि का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद, भारत की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 09.05.2022 और 17.05.2022 के अपने आदेश द्वारा आयोग को समतुल्य राशि के लिए बैंक गारंटी प्राप्त करने के बाद पावर एक्सचेंजों द्वारा जमा की गई मूल राशि को रिलीज करने का आदेश दिया। कोर्ट के निर्देशों के अनुसरण में, आयोग ने एक समिति का गठन किया और संबंधित पार्टियों से प्राप्त बैंक गारंटियों के लिए रुपए 244.01 लाख (पिछले वर्ष में रु. 10813.12 लाख) की राशि को रिलीज किया। 31 मार्च, 2025 को, रुपए 67714.56 लाख (पिछले वर्ष में रु. 63267.69 लाख) की शेष राशि है, जिसे पृथक बैंक खाते में रखा गया है। इस शेष राशि में मूल राशि पर रुपए लाख 26769.3 (पिछले वर्ष में रु. 22078.16 लाख) का उपचित ब्याज शामिल है। प्राप्त की गई संपूर्ण राशि को चालू आस्ति के रूप में दर्ज किया गया है, और समान राशि को "चालू देयता" के रूप में दर्ज किया गया है।

इसी प्रकार समय समय से विभिन्न मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/एपटेल के अंतरिम आदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसरण में राष्ट्रीयकृत बैंक में केविविआ द्वारा खोले गये समर्पित बैंक खाते में संबंधित पार्टियों द्वारा धन जमा करवाया गया और संबंधित आदेश के अनुदेशों के अनुसार सावधि जमा राशियों के रूप में धन का निवेश किया गया। 31.3.2025 तक प्राप्त रकम और सावधि जमा राशियों में निवेश की गयी रकम के ब्यौरे नीचे दिये गये हैः

क्र.सं.	**पार्टी से प्राप्त रकम**	**एफडीआर रकम(रुपये में**	**संदर्भ/मामला सं**
1.	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड जयपुर	18,67,06,588.00	सिविल अपील सं 2022 का 8507
2.	बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी	41,38,52,243.00	2023 का अपील सं 499
3.	बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी	35,25,40,798.00	
4.	तमिलनाडु ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	25,66,147.00	2023 का अपील सं 392
5.	ट्रांसमिशन कार्पोरेशन ऑफ आन्ध्र प्रदेश लि.	5,71,61,760.00	2024 का अपील सं 331

31 मार्च, 2025 तक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अधीन केविविआ द्वारा रुपए 1783 लाख (पिछले वर्ष रुपए 1782 लाख) का निवल जुर्माना लगाया गया जिसमें से रुपए 1639 लाख (पिछले वर्ष रुपए 1643 लाख) की राशि का विधि की विभिन्न कोर्टों में पार्टियों द्वारा प्रतिवाद किया गया है और रोक लगाए जाने के कारण केविविआ में उनके द्वारा जमा नहीं किया गया है। रुपए 144 लाख (पिछले वर्ष रुपए 139 लाख) की बची हुई राशि केविविआ में प्राप्त हुई है। विवादित जुर्मानों में से, रुपए 357 लाख (पिछले वर्ष रुपए 357 लाख) की राशि विधि की विभिन्न कोर्टों में प्रतिवाद के अधीन प्राप्त हुई है और इसे चालू देयता में दर्शाया गया है। प्राप्त परंतु प्रतिवादित राशि बैंक में अल्पकालिक सावधि जमा के अंतर्गत रखी गई है और कोर्ट मामलों के परिणाम के आधार पर यथास्थिति, केविविआ निधि (भारत के लोक लेखा में बनाए रखा गया) में जमा की जाएगी या पार्टी को वापस की जाएगी। यह विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय से निर्देशों के अनुसार, विवादित राशि के जुर्माने से बने सावधि जमा पर 'प्राप्त' और 'उपचित परंतु प्राप्त नहीं' ब्याज को अन्य चालू देयताओं के अधीन लेखाबद्ध किया गया है। इस कारण आय और व्यय लेखा पर कोई प्रभाव नहीं है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 की उप–धारा (1) शक्तियों और विद्युत के लिए अपील अधिकरण (प्रक्रिया, प्ररूप, फीस और कार्यवाहियों का अभिलेख) नियम, 2007 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त वर्ष 2024. 25 के दौरान दिनांक 19ण्5ण्2024 की 2024 के याचिका(डायरी सं) में 10,000 रुपये की लागत लगाई और लागत रकम विद्युत मंत्रालय को प्रेषित की गयी।

ख. अन्य चालू देयताएं

(i) केविविआ के स्थायी कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी के नकदीकरण और ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर क्रमशः रुपए 327 लाख और रुपए 312 लाख (पिछले वर्ष रुपए 288 लाख और रुपए 295 लाख) पर किया गया है।

(ii) रुपए 8.84 लाख की राशि केविविआ में एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के संस्थापन के संबंध में वेंडर को उनके द्वारा किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति के लिए एनटीपीसी के साथ चर्चा के अधीन है।

(iii) मैसर्स एनबीसीसी ने डब्ल्यूटीसी, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में कार्यालयीन स्थान प्राप्त करने के संबंध में भुगतान की जाने वाली किस्त के भुगतान में विलंब के कारण रु. 62.88 लाख का जुर्माना लगाया है और इस मामले को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

6. चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

(i) प्रबंधन की राय में चालू आस्तियां ऋणों और अग्रिमों का कारोबार के सामान्य उपकरण में उनकी वसूली पर तुलन पत्र में दर्शाई गई न्यूनतम सकल रकम के बराबर होता है।

(ii) वर्ष 2010–11 के दौरान, ₹16,91,875/– के डिमांड ड्राफ्ट आयोग की रजिस्ट्री में खो गए और केविविआ के कर्मचारी द्वारा धोखे से इसका नकदीकरण करा दिया गया। पुलिस अधिकारी के पास इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और उनके स्तर पर जांच की जा रही है। संबंधित कर्मी के विरुद्ध विभागीय जांच मार्च, 2013 में पूरी हो गई थी और दोषी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया था। मामला न्यायालय में लंबित है। अंतिम सुनवाई दिनांक 28.04.2025 को हुई थी और सुनवाई की अगली तारीख दिनांक 05.07.2025 को नियत है। मामले के निष्कर्ष को देखते हुए, इस रकम को न तो आय के रूप में बुक किया गया और न ही हानि के लिए चुराए गए डिमांड ड्राफ्ट प्रावधान को लेखा बहियों में किया गया।

(iii) केविविआ द्वारा निरंतर रूप से पालन की जा रही लेखाकंन नीतियों के अनुसार, दिनांक 31.03.2025 को रु. 379.52 लाख की राजस्व राशि की मान्यता उसकी वसूली के बारे में अनिश्चितता के कारण अगले वित्तीय वर्ष तक स्थगित की जाती है।

7. आय और व्यय लेखा

उपचित आधार पर किये गये व्यय की सीमा के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता को आय माना गया है। वर्ष के दौरान वर्ष के दौरान समूचे व्यय की विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत अनुदान सहायता से पूर्ति की गयी है और अव्ययित अनुदान अगले वित्त वर्ष में ले जाया जाएगा। जब तक उपचित आधार पर वर्ष के लिए व्यय मंत्रालय द्वारा स्वीकृत अनुदान से कम है तो आय पर व्यय की कोई अधिकता नहीं होगी चूंकि अधिक अनुदान अगले वर्ष में ले जाया गया है। विद्युत मंत्रालय से प्राप्त अनुदान सहायता "राजस्व और पूंजी" अनुदान सहायता में विभक्त की गयी है। उपयुक्त प्रदर्शन तदनुसार वित्तीय विवरणों में भी किया गया है।

8. स्टेशनरी और इन्वेंटरी का स्टॉक

विनियमों के कम्पेंडियम (आंतरिक प्रसार) की कीमत को प्रभारित न करने के निर्णय को देखते हुए, बाजार मूल्य को शून्य माना गया है।

9. देय के लिए प्रावधान

वार्षिक लेखा, लेखांकन के उपचित आधार पर होते हैं। तदनुसार बकाया देयताओं, सांविधिक दायित्वों जैसे पेंशन और छुट्टी वेतन, अंशदान, सीपीएफ/ईपीएफ समरूप अंशदान लेखा परीक्षा फीस आदि के लिए प्रावधान किया गया है और उन्हें लेखों में प्रदर्शित किया गया है।

10. 500.88 लाख रूपये की रकम प्रतिभूति जमा के लिए बहिखातों में एनडीएमसी से प्राप्ति योग्य के रूप में रेखांकित की गयी है। जिसमें से 14.31 लाख रूपये लेखों को अंतिम रूप देने से पूर्व एनडीएमसी से प्राप्त की गयी है।

11. तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा, और प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा के आंकड़े, लाख रुपये में राउंड ऑफ किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सुझावों/सुधारों को, जहां आवश्यक हो, चालू वर्ष की प्रस्तुति में शामिल किया गया है।

12. अनुसूचियाँ 1 से 23, 31 मार्च, 2025 को तुलनपत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का एक अभिन्न अंग है। पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी आवश्यक हो, पुनः समूहित किया गया है।

हस्ता./–	हस्ता./–
(राकेश आर्य)	**(हरप्रीत सिंह प्रुथी)**
एकीकृत वित्तीय सलाहकार	सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां तथा भुगतान

(₹ लाख में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष 2024-25	पूर्ववर्ती वर्ष 2023-24
1. आरंभिक शेष के लिए		
(क) हाथ में नकदी	-	-
(ख) बैंक शेष		
(i) चालू खातों में:		
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटोस्वीप सहित)	471.60	371.26
पंजाब नेशनल बैंक (ऑटो स्वीप सहित)	4,560.97	5,852.69
(ii) बचत खाते:		
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटोस्वीप सहित)	4.85	4.44
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया – आवर्ती जमा (ऑटोस्वीप सहित)	62,860.61	71,842.26
(iii) सावधि जमा	715.03	670.77
2. प्राप्त अनुदान		
विद्युत मंत्रालय से		
- पूंजीगत व्यय के लिए अनुदान	700.00	2,578.48
- राजस्व व्यय के लिए अनुदान	7,800.00	8,268.72
3. आयोग से प्राप्तियाँ		
(i) ब्याज प्राप्ति		
- ऑटो स्वीप जमा पर ब्याज	421.03	466.15
- बचत खातों से ब्याज	0.20	0.36
- पेनल्टी एफडीआर से जुड़ा ब्याज	49.43	43.27
- एचबीए अग्रिम पर ब्याज	-	3.38
- कंप्यूटर अग्रिम पर ब्याज	-	-
(ii) कम्पेंडियम की बिक्री	-	-
(iii) अखबारों की बिक्री	0.05	0.09
(iv) आयोग द्वारा फीस प्रभार		
- फाइलिंग फीस	2,932.00	2,182.00
- अनुज्ञप्ति फीस	6,708.18	6,683.42
- टैरिफ फीस	9,468.40	8,844.57
- वार्षिक पंजीकरण फीस	206.95	80.00
- जुर्माना	5.00	-
- विविध शुल्क	9.10	37.76
- अपेक्षित ब्यौरे/दस्तावेज के बिना प्राप्त फीस	10.96	81.75
- अतिरिक्त प्राप्त फीस	-	-
- आरटीआई फीस	-	-
(v) विविध प्राप्तियां	1.74	0.40
4. ऋण/जमा प्राप्तियों के लिए		
(क) स्टाफ से अग्रिमों की वसूली		
(i) मोटर कार/निजी कंप्यूटर अग्रिम	0.24	0.24
(ii) भवन निर्माण अग्रिम	10.23	9.89
(iii) अन्य अग्रिम (विनिर्दिष्ट करें)		
- अग्रदाय	1.90	3.10
- एफटीई अग्रिम वसूली	0.42	1.70
- एलटीई अग्रिम वसूली	1.05	0.01
- चिकित्सा अग्रिम वसूली	0.28	-
(ख) अग्रिम की वसूली		
(i) प्रदाताओं को अग्रिम	-	0.22
(ग) अन्य जमा		
(i) प्राप्त प्रतिभूति जमा	24.34	17.85
(i) अन्यों द्वारा प्रतिदान की गई प्रतिभूति जमा	0.40	0.51
5. विप्रेषण प्राप्तियों के लिए		
(क) प्रतिनियुक्तों से वसूली	1.55	2.77
(ख) अनुज्ञप्ति फीस	2.84	2.53
(ग) आयकर (वेतन/ गैर-वेतन)	451.39	417.50
(घ) जीएसटी पर टीडीएस (सीजीएसटी /एसजीएसटी /आईजीएसटी)	36.77	52.46
(ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस)	-	-
(च) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस)	0.24	0.19
(छ) अन्य प्राप्तियां		
- ईपीएफ/जीएसएलआई वसूली	10.60	25.69
- सीपीएफ मैचिंग अंशदान/ईपीएफ/जीएसएलआई/जीपीएफ/एनपीएस	125.38	136.09
- अनुज्ञप्ति फीस की वसूली (आवास लीज)	1.06	0.63
- प्राप्त ग्रेच्युटी	15.28	1.52
- छुट्टी वेतन अंशदान	2.38	4.82
6. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अधीन आरईसी जमा		
- प्राप्ति	-	-
- फ्लैक्सी जमा पर ब्याज	4,640.70	1,831.46

भुगतान	चालू वर्ष 2024-25	पूर्ववर्ती वर्ष 2023-24
1. खर्चों द्वारा		
(क) स्थापना खर्चे		
(i) वेतन (आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य)	195.93	192.57
(ii) वेतन (अधिकारी एवं स्थापना)	858.47	818.08
(iii) भत्ते एवं बोनस	701.54	580.71
(iv) व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान	658.20	541.42
(v) छुट्टी नकदीकरण	48.18	81.57
(ख) यात्रा खर्चे		
(i) विदेश यात्रा	30.73	66.10
(ii) स्वदेश यात्रा	74.63	46.90
(ग) चिकित्सा तथा स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं	138.78	101.01
(घ) अन्य स्थापना प्रभार		
(i) ट्यूशन फीस/बाल शिक्षा भत्ता	10.45	10.80
(ii) छुट्टी यात्रा रियायत	16.22	14.13
(iii) मानदेय	-	0.22
(ङ) भविष्य निधि में अंशदान	134.26	133.56
(च) अन्य निधियों में अंशदान		
(i) सीपीएफ मैचिंग अंशदान	-	0.06
(ii) एनपीएस मैचिंग अंशदान	43.97	20.90
(छ) स्टाफ कल्याण खर्चे	76.22	73.42
2. प्रशासनिक खर्चों द्वारा		
(क) श्रम एवं प्रसंस्करण खर्चे	790.81	724.16
(ख) विद्युत एवं ऊर्जा	76.75	69.91
(ग) जल प्रभार	5.87	6.95
(घ) मरम्मत तथा रखरखाव	6.44	3.05
(ङ) किराया, दर तथा कर	828.59	2,904.04
(च) वाहन चलन एवं रखरखाव		
(i) टैक्सी भाड़े पर लेने का खर्च	94.69	76.30
(ii) चालन तथा रखरखाव	28.42	33.38
(छ) डाक-व्यय, टैलिफोन तथा संसूचना प्रभार	31.49	28.53
(ज) मुद्रण तथा स्टेशनरी	40.29	23.46
(झ) यात्रा तथा वाहन	5.77	0.65
(ञ) संगोष्ठी/बैठकों पर खर्च	34.50	62.88
(ट) अभिदान खर्चे	378.10	132.36
(ठ) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक/विधिक फीस	-	15.06
(ड) विज्ञापन तथा प्रचार	268.11	143.51
(ढ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
- एएमसी ईपीएबीएक्स	1.60	1.66
- एएमसी फोटोकॉपी मशीन	12.21	11.05
- एएमसी एयरकंडीशनर	0.08	17.12
- एएमसी यूपीएस	0.19	0.76
- एएमसी विद्युत	-	-
- एयरकंडीशनर मरम्मत तथा रखरखाव	6.59	14.22
- पुस्तकें तथा पत्रिकाएं	36.41	33.73
- बैंडविड्थ प्रभार	8.69	-
- भवन मरम्मत तथा रखरखाव	0.65	1.66
- उपभोग्य	22.34	20.26
- कंप्यूटर मरम्मत तथा रखरखाव	26.35	21.63
- विविध खर्चे	1.62	1.06
- प्रशिक्षण खर्चे	5.82	0.97
- पूर्व अवधि व्यय	25.19	2.19
- यूनिफॉर्म व्यय	0.39	0.35
3. किए गए निक्षेप		
(क) प्रतिभूति जमा	4.24	0.39
4. (I) स्टाफ को अग्रिम द्वारा		
(क) अन्य अग्रिम (खर्चे)	2.03	3.10
(ख) एफटीई अग्रिम	10.18	1.82
(ग) एलटीसी अग्रिम	0.97	0.09
(घ) चिकित्सा अग्रिम	0.28	-
(ङ) भवन निर्माण अग्रिम	68.37	7.64
(च) मोटर कार/निजी कंप्यूटर अग्रिम		-
(II) आकस्मिक अग्रिमों द्वारा		
(क) प्रदाताओं को अग्रिम	-	4,786.92
(III) अन्य द्वारा		
(क) प्रतिभूति निक्षेप प्रतिदाय	0.75	41.14

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां तथा भुगतान

(₹ लाख में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष 2024-25	पूर्ववर्ती वर्ष 2023-24	भुगतान	चालू वर्ष 2024-25	पूर्ववर्ती वर्ष 2023-24
	4,640.70	1,831.46	**(IV) समायोजन /विप्रेषण**		
			(क) प्रतिनियुक्तों से जीपीएफ /सीपीएफ /ईपीएफ		
7. अन्य प्राप्तियों के लिए			आदि की वसूली		
- अपीलार्थी द्वारा लगाई गई लागत	**0.10**	4.85	- विप्रेषित जीपीएफ वसूली	**24.57**	22.03
- आस्तियों की बिक्री	**79.05**	2.64	- विप्रेषित ईपीएफ वसूली (केविविआ कर्मचारी स्वैच्छिक)	**86.68**	127.29
- घर पर कम्प्यूटर के लिए वसूली	**1.24**	1.31	- विप्रेषित ईपीएफ (स्वैच्छिक) वसूली	**0.30**	0.65
			- विप्रेषित सीपीएफ वसूली	**-**	-
			- विप्रेषित एनपीएस वसूली	**24.43**	11.15
			- अन्य वसूलियाँ	**1.55**	2.77
			(ख) अनुज्ञप्ति फीस	**2.84**	2.53
			(ग) आयकर (वेतन/ गैर-वेतन)	**464.12**	434.95
			(घ) जीएसटी पर टीडीएस (सीजीएसटी /एसजीएसटी /आईजीएसटी)	**39.68**	57.39
			(ङ)) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस)	**-**	-
			(च) सीजीईजीआईएस /सीईईआईएस	**0.24**	0.19
			5. अंशदानों द्वारा		
			(क) पेंशन	**19.76**	17.21
			(ख) छुट्टी वेतन	**32.93**	30.11
			(ग) ग्रेच्युटी	**23.54**	52.45
			6. नियत आस्तियां तथा प्रगति में संकर्म पर व्यय द्वारा		
			(क) फर्नीचर एवं फिटिंग्स	**-**	-
			(ख) मशीनरी एवं उपकरण	**28.44**	0.94
			(ग) भूमि एवं भवन	**-**	-
			(घ) अमूर्त आस्तियां	**0.11**	23.35
			(ङ) कम्प्यूटर /बाह्य उपकरण	**102.53**	51.00
			(च) चालू कार्य	**324.87**	-
			7. सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अधीन आवर्ती जमा		
			- भुगतान	**244.01**	10,813.12
			8. अन्य द्वारा		
			(क) फीस वापसी	**0.25**	40.00
			9. केविविआ निधि को अंतरित निधियां (भारत का लोक लेखा)	**24,882.26**	18,356.11
			10. अंतिम शेष द्वारा		
			(i) चालू खातों में :		
			यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटो स्वीप सहित)	**262.69**	471.60
			पंजाब नेशनल बैंक (ऑटो स्वीप सहित)	**1,932.77**	4,560.97
			(ii) बचत खातों में :		
			यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटो स्वीप सहित)	**-**	4.85
			यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आवर्ति जमा (ऑटो स्वीप सहित)	**67,257.30**	62,860.61
			बैंक ऑफ इंडिया (ऑटो स्वीप सहित)	**1.84**	-
			(iii) सावधि जमा	**763.47**	715.03
			11. हाथ में नकदी	**-**	-
	1,02,333.54	**1,10,529.75**		**1,02,333.54**	**1,10,529.75**

दिनांक : **27.06.2025**
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता. /–
(राकेश आर्य)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता. /–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

वर्ष 2024–25 के लिए केविविआ नई दिल्ली के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर उत्तर/की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट

क्र. स.	लेखा परीक्षा की टिप्पणियां/अभिमत्त	की गयी कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई
	अभिमत हमारी राय में पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित मामले और लेखांकन नीतियों एवं उसपर नोट सहित के साथ पठित केविविआ की संलग्न वित्तीय विवरणियां जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत एबी/लेखांकन मानकों के कारण एक समान फार्मेट के अनुसार वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह और इसकी वित्तीय कार्यनिष्पादन तथा 31.03.2025 को स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति का उचित एवं स्पष्ट रूप से अनुसरण करती है।	तथ्यात्मक/कोई टिप्पणियां नहीं है
क. क1	**31.03.2025 को तुलन–पत्र** **केविविआ निधि (अनुसूची 2) रु. 84385.33 लाख** **चालू देयताएं और प्रावधान(अनुसूची 3) रु. 72674.98 लाख** 'चालू देयताओं' में 31.03.2025 को अनुदान (राजस्व और पूंजी) की अव्ययित राशि होने से 2197.39 लाख रूपए की राशि शामिल नहीं है जो यथाशीघ्र केविविआ निधि को वापस की जानी थी। इस प्रकार उसे 31.03.2025 केविविआ निधि के अंतर्गत दर्शाने के स्थान पर देयता के रूप में दर्शायी जानी चाहिए। इससे 2197.39 लाख रूपये प्रत्येक की रकम को चालू देयताओं में कम और केविविआ निधि में ज्यादा दर्शाया हुआ है।	तथ्यात्मक, लेखा परीक्षा के सुझाव को नोट कर लिया गया है।
ख ख1	**सामान्य** **अनुसूची संख्या 23 – नोट न. 2 पूंजी प्रतिबद्धताओं और आकस्मिक देयताएं** उक्त नोट में कहा गया है कि केविविआ की 31.03.2025 को मौजूदा देयताओं के संबंध में 179.57 लाख की पूंजी प्रतिबद्धता है। तथापि, लेखा परीक्षा में पाया गया है कि वह कान्ट्रेक्ट, जिसके लिए प्रतिबद्धता को प्रकट किया गया है, अप्रैल 2025 में अर्थात वित्तीय वर्ष 2025–26 में अवार्ड किये गये था। इससे 179.57 लाख रूपये की राशि तक पूंजी प्रतिबद्धताओं को अधिक दर्शाया गया है।	तथ्यात्मक, लेखा परीक्षा के सुझाव को नोट कर लिया गया है।

क्र. स.	लेखा परीक्षा की टिप्पणियां/अभिमत्त	की गयी कार्रवाई/ की जाने वाली कार्रवाई
ग	**आंतरिक नियंत्रणों का निर्धारण** **(i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तताः** आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एबी के आकार के अनुरूप है। **(ii) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तताः** आंतरिक लेखा परीक्षा 2024–2025 की अवधि तक सीए फर्म और पीएओ, एमओपी द्वारा की गयी है। तथापि पीएओ, एमओपी से लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की जानी है। **(iii) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तताः** आंतरिक लेखा परीक्षा 2024–2025 की अवधि तक सीए फर्म और पीएओ, एमओपी द्वारा की गयी है। तथापि पीएओ, एमओपी से लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की जानी है। **(iv) नियत आस्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणालीः** नियत आस्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए, केविविआ द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। तथापि, भौतिक सत्यापन वर्ष 2024–25 के लिए नहीं किया गया। **(v) सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितताः** केविविआ उनके लिए लागू सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमित है। **(vi) इकाई की कार्यप्रणाली से संबंधित अन्य मामलेः** किसी महत्वपूर्ण जोखिम का बोध नहीं हुआ।	तथ्यात्मक /कोई टिप्पणियां नहीं है/ भौतिक सत्यापन के लिए समिति गठित की गयी है।
घ	**अनुदान सहायताः** वर्ष 2024–25 के दौरान केविविआ निधि से रिलीज किए गए 8500 लाख रुपए (पूंजी पर 700 लाख रुपए और राजस्व पर 7800 लाख रूपए) के अनुदान में से, केविविआ ने 6303 लाख रूपए(पूंजी अनुदान का 325 लाख और राजस्व का 5978 लाख रूपए) का उपयोग किया जिससे 2197 लाख रुपए का (पूंजी अनुदान का 375 लाख रूपए और राजस्व अनुदान का 1822 लाख रुपए) का शेष रहा।	तथ्यात्मक /कोई टिप्पणियां नहीं है
ङ.	**अनुक्रिया की कमी** शून्य	तथ्यात्मक /कोई टिप्पणियां नहीं है

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली–110029
दूरभाष : +91 11 26189709 | www.cercindia.gov.in